खण्ड-172, अंक-8
गुरूवार, 20 वैशाख, शक संवत् 1878
(10 मई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 172 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १० मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४८)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाजरसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले
उपनाम छ्न्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पान्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पान्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलालसगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (बादायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बसवन्त सिंह, श्री

बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकीहादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पान्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

रामरतन प्रसाद, श्री
रामराजशुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिवक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री कृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुदरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १० मई, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भटनी चीनी मिल के पुनः चालू होने के लिए जानकारी

*१—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि भटनी मिल के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ? जिससे वह अगले सीजन में चल सके ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—भटनी मिल १९४८-४९ से बन्द है और इसके अगले सीजन मे चलने के प्रबन्ध का अभी कोई प्रश्न नहीं है ।

ढाखिन गांव, जिला आजमगढ़ के श्री राम समुझ बरई की अहिरौला थाने के थानेदार के हाथों मृत्यु

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस प्रकार की कोई सूचना आई है कि आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाने के थानेदार के लगातार घंटों मारने के कारण अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में किसी व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री सम्बन्धित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी हां । कहा जाता है कि आजमगढ़ जिले के पुलिस स्टेशन अहिरौला के ढाखिन गांव के श्री राम समुझ बरई नामक एक व्यक्ति को अहिरौला के थानेदार ने २७-४-५६ को पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई । मामला आई० पी० सी० की धारा ३०४ के अन्तर्गत दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानेदार गांव में क्यों गया था और रामसमुझ बरई को पीटने का क्या कारण था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ये सब बातें जांच के दौरान में सामने आयेंगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि थानेदार अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वह मुअत्तल कर दिया गया है और लाइन सुपुर्द है । गिरफ्तार नहीं किया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—विभाग के अधिकारियों द्वारा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि इस मामले की जांच डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और सर्किल इंस्पेक्टर कर चुके हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मुमकिन है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मैंने निवेदन किया कि ३०४ का केस रजिस्टर हुआ है और तफतीश हो रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामसमुझ बरई का डाक्टरी मुआयना भी हुआ था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जरूर हुआ होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने कृपा करेगी कि क्या कारण है कि ३०४ का केस कायम होने के बावजूद भी अब तक थानेदार गिरफ्तार नहीं किया गया और केवल लाइन हाजिर है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि संबंधित सब-इंस्पेक्टर लाइन्स में अंडर सस्पेंशन है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि वह मुअत्तल है ।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिविल सर्जन ने क्या दी है उस मृत व्यक्ति के संबंध में ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह देने में तो मैं इस समय असमर्थ हूं । जब मुकदमा चलेगा तो उस समय सारी चीजें सामने आयेंगी ।

[बुधवार, ९ मई, १९५६ के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

\+ \+ \+ \+

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील में कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिये जानकारी

*४७—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर राप्ती तहसील डुमरियागंज (जिला बस्ती) में उसने कुटीर उद्योग को अब तक किस रूप में प्रोत्साहन दिया है तथा इस सम्बन्ध में भविष्य की क्या योजना है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है । एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी ।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी अपने उत्तर को समय मर्यादा बांधने का कष्ट करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जल्द से जल्द जवाब जैसे ही सब आंकड़े इकट्ठा हो जायंगे आपके पास भेजा जायगा ।

मथुरा जिले में नन्दगांव-बरसाना क्षेत्र के उत्थान के लिये कार्य

*४८—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में नन्दगांव-बरसाना का क्षेत्र, जो तीर्थ स्थान होने तथा पंजाब व राजस्थान की हद पर होने के कारण विशेष महत्व का है, उसके उत्थान के लिये सरकार कोई एन० ई० एस० व कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स खोलने या और किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नन्दगांव-बरसाना क्षेत्र १९५३-५४ में ही, गोवर्धन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड में सम्मिलित कर लिया गया था। उक्त खण्ड २६ जनवरी, १९५६ से सघन विकास खण्ड में परिवर्तित कर दिया गया है।

बलिया जिले के रतनपुरा विकास क्षेत्र में किसानों को दिये गये पंपिंग प्लान्ट

*४९—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५४ में रतनपुरा विकास क्षेत्र (बलिया) में कितने पम्पिंग प्लान्ट किसानों को सिंचाई के लिये किस्त पर दिये गये थे ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूलसिंह)—सन् १९५४ में रतनपुरा विकास क्षेत्र में ९ पम्पिंग प्लान्ट किसानों को सिंचाई के लिये किस्त पर दिये गये।

*५०—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि पम्पिंग प्लान्ट की कीमत की वसूली के लिये कितने वर्ष का समय दिया गया है ?

श्री फूलसिंह—उन पम्पिंग प्लान्टों की कीमत की वसूली के लिये दस वर्ष का समय दिया गया है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि यह ९ पम्पिंग प्लान्ट पुराने थे और उन पर नये की कीमत लगाई गई ?

श्री फूलसिंह—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि यह जो ९ पम्पिंग प्लान्ट सन् १९५४ में दिये गये उसी साल बेकार हो गये? यदि हां, तो इनकी कीमत में कोई कमी होगी ?

श्री फूलसिंह—प्रश्न के पहले भाग की कोई इत्तिला नहीं। दूसरा भाग उठता नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी श्री गंगा प्रसाद की सूचना को नोटिस मानकर जांच करेंगे कि वे पम्पिंग प्लान्ट पुराने थे ?

श्री फूलसिंह—यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहेंगे तो जरूर किया जायगा।

श्री वीरेन्द्रवर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रत्येक प्लान्ट की कीमत क्या थी ?

श्री फूलसिंह—अब इन प्लान्ट्स की क्या कीमत थी यह तो नहीं कह सकता। पर आमतौर से १९०० से २४०० रुपये तक कीमत होती है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि यह ९ पम्पिंग प्लान्ट उस क्षेत्र के हैं जिनको बाढ़ क्षेत्र कहा जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया इसकी वसूली की मुद्दत बढ़ा देगी और बिना सूद के कर देगी ?

श्री फूलसिंह—अगर ऐसी कोई बात होगी तो पम्पिंग प्लान्ट जिन लोगों को मिले हैं वह प्रार्थनापत्र देंगे।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि विकास क्षेत्र में दिये गये प्लान्ट विकास अधिकारियों के आग्रह पर दूसरे किसानों को दूसरे गांव में कार्य करने के लिये दिये जा रहे हैं?

श्री फूलसिंह—कोई सूचना ऐसी नहीं है।

देवरिया जिले में गुड़ योजना के अन्तर्गत दिये गये कोल्हू

*५१—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ में गुड़ उन्नति योजना द्वारा देवरिया जिले में कितने पुराने नम्बर ३ कोल्हू तकावी पर वितरित किये गये थे?

*५२—क्या यह सही है कि इंडेंट लेते समय तक इनका मूल्य १५० रु० निश्चित किया गया था, और बान्ड भरवाने के समय २२० रुपये करके बांड भरवाया गया तथा इनकी किस्तें भी २२० रुपये के हिसाब से वसूल की जाती हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्र हो रही है। एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी।

जालौन जिले के करघा बुनकर

*५३—श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला जालौन में करघा बुनकरों की क्या संख्या है और उनकी सहायतार्थ गत दो वर्षों से कौन-कौन कार्य किये गये हैं?

*५४—जिला जालौन में करघा बुनकरों की कहां-कहां कितनी रजिस्टर्ड समितियां हैं, और गत दो वर्षों से प्रत्येक को प्रति वर्ष अलग-अलग कितनी आर्थिक सहायता राज्य सरकार की तरफ से प्रदान की गयी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है। एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दो महीने के समय में भी वांछित सूचना सरकार को न मिल सकी इसका क्या कारण है, और यह सूचना कब तक प्राप्त हो जायगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस सम्बन्ध में संचालक उद्योग विभाग को लिखा गया है और जैसे ही वहां से सूचना प्राप्त होगी माननीय सदस्य को भेज दी जायगी।

आजमगढ़ जिले में भट्ठा खोलने के लाइसेंस

*५५—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने नये भट्ठे खोलने के लाइसेंस प्राइवेट लोगों को इस सीजन में दिये गये हैं और वे किन-किन स्थानों पर काम कर रहे हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—आजमगढ़ जिले में इस सीजन में ११ नये भट्ठे खोलने के लाइसेंस प्राइवेट लोगों को दिये गये। यह भट्ठे निम्नलिखित स्थानों पर काम कर रहे हैं—आजमगढ़, मुहम्मदाबाद में २ भट्ठे, करहा, मुबारकपुर, चन्डेसर, गुरेथा, महराजगंज, वलीदपुर (सुल्तानपुर, भेटवरा) तथा मऊ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके उन लोगों का नाम बतावेंगे जिन लोगों को भट्ठे दिये गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि वह कैसी योग्यता रखने वाले लोगों को भट्ठे का लाइसेंस देते हैं? किस किस्म के लोगों को देते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—एक तो उन लोगों को भट्ठे का लाइसेंस दिया जाता है जो लोग सन् १९५०–५१ से पहले से काम करते रहे हैं; दूसरे उन लोगों को जो कि ५०–५१ के बाद से काम करते रहे; तीसरे उन स्थानों के लिये जिलाधीशों को आदेश है जहां कि कोई लाइसेंस न हो और वहां आवश्यकता इस बात की हो कि वहां भट्ठा खोलना जरूरी है तो जिलाधीश और जिला सप्लाई आफिसर को यह अधिकार दिया गया है कि वह वहां की परिस्थिति को देखकर के अगर आवश्यकता समझें तो लाइसेंस दे दें ।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि आजमगढ़ में विभिन्न जगहों पर भट्ठे का लाइसेंस लेने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी सूचना तो हमारे पास नहीं है । यह तो जिलाधीश के पास आये होंगे और जिलाधीश ने उन्हीं में से छांटकर अपनी सिफारिशें लिखकर भेजी होंगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जहां पर यह प्राइवेट भट्ठे चलाने के लाइसेंस दिये गये हैं उन स्थानों पर सभी जगह कोआपरेटिव सोसाइटी के और निजी भट्ठे चालू हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी भी हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री इस सूचना को सूचना समझकर जांच कराने की कोशिश करेंगे कि यह भट्ठे के लाइसेंस वहीं दिये गये हैं जहां पर कि कोआपरेटिव सोसाइटी के भट्ठे और निजी भट्ठे पहले से चालू हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अगर माननीय सदस्य कुछ लिखकर देंगे तो उसकी जांच करा ली जावेगी ।

* * * *

जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समितियों की निर्माण व्यवस्था

*५८—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिला चिकित्सालय परामर्श दात्री समितियों का निर्माण किस तरह होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिला चिकित्सालय परामर्श दात्री समितियों का निर्माण सरकारी राजाज्ञा सं० यू० ओ०-२०६-अ/५–५०–४८, दिनांक ३१ मई, १९४८ के अनुसार होता है । इन समितियों में निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य होते हैं:

(१)	डिवीजन के हेडक्वार्टर्स पर	पदेन सभापति
(२)	कमिश्नर तथा अन्य जिला हेडक्वार्टर्स पर जिला अधिकारी	सदस्य
(३)	जिला अस्पताल का सुपरिन्टेन्डेन्ट या सिविल सर्जन	
(४)	चेयरमैन, म्यूनिसिपल बोर्ड	
(५)	सभापति, जिला बोर्ड	
(६)	जिला नियोजन अधिकारी	
(७)	जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त एम०पीज०, ए म०एल०सीज० तथा एम०एल०एज०	

(७) दो स्त्रियां । इनमें से जहां तक सम्भव हो एक डाक्टर होनी चाहिये जो प्राइवेट प्रैक्टिस करती हो । — सरकार द्वारा निर्वाचित, कार्य-काल ३ वर्ष का होता है ।

(८) रु० ५,००० या उससे अधिक दान देने वाले का प्रतिनिधि ।
(९) स्थानीय इन्डियन मेडिकल एसोसियेशन का प्रतिनिधि । — सरकार द्वारा निर्वाचित । कार्य-काल ३ वर्ष का होता है ।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार द्वारा निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर होता है जिले के कलेक्टरों के रिकमेंडेशन पर या किस तरह ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जिन सदस्यों को सरकार मनोनीत करती है, जिलाधीशों से उनकी सिफारिश आती है, और स्थानीय एम०एल०एज० से भी इस सम्बन्ध में पूछा जाता है । उनके ही परामर्श से उनको मनोनीत किया जाता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या इसकी जांच सरकार करायेगी कि आजमगढ़ जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति में जो एम०एल०एज० हैं उनको नोटिस नहीं दी जाती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो तो लिखकर दें, उस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी करा ली जावेगी ।

[१० मई, १९५६ के लिए रखे गये प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

ग्राम गुगावली, थाना बाह, जिला आगरा में पुलिस और ग्रामीणों में संघर्ष

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २५-२६ नवम्बर, सन् १९५५ को आगरा जिले के बाह थाने के अन्तर्गत गुगावली नामक गांव में पुलिस एवं ग्रामीणों से संघर्ष हो जाने की कोई घटना हुयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—२४ नवम्बर, सन् १९५५ को रूपा के गिरोह ने पी०ए०सी० के दो सिपाहियों को ग्राम गुगावली के पास हत्या कर दी । इस सिलसिले में २५ नवम्बर को पुलिस उक्त ग्राम तथा अन्य ग्रामों में जांच करने गयी जिसके दौरान में कहा जाता है उसने कुछ ग्रामीणों को मारा पीटा । गुंगावली ग्राम के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया ।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीया विद्यावती राठौर, एम०एल०ए० तथा श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी, एम०एल०ए० ने उनके पास उक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस की ज्यादतियों के विरुद्ध कोई लिखित शिकायत भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—माननीय सदस्य २६ अप्रैल को पूछे गये श्री बेचन राम गुप्त के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर को कृपया देखें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुगावली गांव के दो व्यक्ति गिरफ्तार क्यों किये गये थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उन पर यह संदेह था कि उन्होंने डाकुओं को शरण दी ।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—क्या यह सही है कि जिस वक्त इस घटना की जांच हो रही थी किसी पुलिस के उच्च अधिकारी ने इस सिलसिले में कोई वक्तव्य दिया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कोई [illegible] नहीं दिया ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो शिकायतों की जांच की गयी थी वह किस अधिकारी के द्वारा की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—डी०आई०जी०, पी०ए०सी० और आई०जी० पुलिस द्वारा ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह इतनी महत्वपूर्ण शिकायत होने पर इसको सी०आई०डी० द्वारा या कम्प्लेंट आफिसर द्वारा जांच कराने की कोशिश की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस पर तो बहुत मुकम्मिल जांच हो चुकी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी और माननीया श्रीमती विद्यावती राठौर के जो प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आये हैं उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनके जो पत्र थे वह भी उस जांच में शामिल थे ।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस प्रकार की बात कही गई कि कुछ राजनैतिक अवसरवादियों ने अगले चुनाव को दृष्टि में रख कर इस घटना से लाभ उठाने की कोशिश की है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कुछ स्थानीय पत्रों में या और कुछ अखबारों में इस प्रकार की एक खबर छपी थी कि हमारे यहां के किसी उच्च अधिकारी ने कोई इंटरव्यू दिया जिसमें इस प्रकार का आक्षेप कुछ माननीय सदस्यों के खिलाफ किया गया । पता लगाने पर मालूम हुआ कि किसी अधिकारी ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया, और सरकार तो इस बात को समझती है कि हमारे यहां के जो माननीय सदस्य हैं उनके खिलाफ जो इस प्रकार की खबरें अखबारों में छपीं वह निराधार हैं । सरकार माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में ऐसा कोई विचार नहीं रखती है कि उन्होंने कोई ऐसी बात की ।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस घटना के सिलसिले में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे उनका क्या हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनके सम्बन्ध में जांच हो रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गुगावली गांव के जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे उनके सम्बन्ध में कोई पहले से थाने में रिपोर्ट थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वह तो इत्तिला बराबर आती रहती थी ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार को इस बात का संदेह है कि उस गाँव के कुछ लोग रूपा के गिरोह में शामिल थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सरकार को यह सन्देह था कि वह डाकुओं को शरण देते थे ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो अखबारों में यह वक्तव्य प्रकाशित हुआ तो पुलिस विभाग की तरफ से उसका कंट्रेडिक्शन क्यों नहीं छापा गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अखबारों ने किसी अधिकारी के नाम का जिक्र नहीं किया । सिर्फ यह कहा गया कि एक उच्च अधिकारी ने कहा था । लेकिन जब हमने मालूम किया तो कोई उच्च अधिकारी नहीं था जिसने वक्तव्य दिया हो ।

मऊ पावर हाउस, जिला आजमगढ़ में बिजली की कमी

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ पावर हाउस, जिला आजमगढ़ से मऊ और आजमगढ़ नगरपालिका के नागरिकों को आवश्यकतानुसार रात को ही बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं दिया जाता है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—बिजली की कमी के कारण इस समय मऊ तथा आजमगढ़ के नागरिकों को रात को भी बिजली के नये कनेक्शन देना संभव नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मऊ शहर में इस वक्त जो बिजली दी जा रही है वह वहां की आबादी का लिहाज करते हुये बहुत ही कम है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। उसके लिये व्यवस्था की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह व्यवस्था कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह—इस वर्ष में हो जाने की सम्भावना है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि आजमगढ़ के नागरिकों की तरफ से बहुत से प्रार्थना-पत्र बिजली प्राप्त करने के लिये आये हैं ?

श्री धर्मसिंह—नोटिस की आवश्यकता है। इस बात का पता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि मऊ और आजमगढ़ शहर के लिये वहां के लोगों की आवश्यकतानुसार और जिलों के मुकाबिले में सबसे पहले बिजली दी जाय ?

श्री धर्मसिंह—इस पर विचार कर लिया जायगा।

आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में फैजेआम और इसलाहुल मुसलमीन संस्थाओं का सशस्त्र होना

*४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को सूचना है कि मुबारकपुर टाउन (जिला आजमगढ़) में फैजेआम तथा इस्सलाहुल मुसलमीन नामक दो सशस्त्र (भाले बरछे से लैस) मुसलमानों की साम्प्रदायिक संस्थायें कुछ अरसे से काम कर रही हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सरकार को सूचना मिली है कि मुबारकपुर में मदरसा अशरफिया तथा मदरसा यहियाउल नामक दो मुस्लिम विद्यालय अपने विद्यार्थियों को भाला, बरछी तथा अन्य गैर लाइसेंस वाले हथियार चलाने की शिक्षा देते हैं। इन दोनों विद्यालयों के धार्मिक विचारों में मतभेद है। इनके विद्यार्थी पास के इलाकों में अपने-अपने विचारों का प्रचार व अन्य कार्यवाही करते हैं जिसे वे "फैजेआम" व "इसलाह" कहते हैं।

*५—श्री झारखंडे राय—यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस क्षेत्र में साम्प्रदायिक झगड़ों के बचाने के विषय में उसकी ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पुलिस इस मामले में पूरी तौर से सतर्क है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह दोनों संस्थायें किस समय से मुबारकपुर में काम कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—काफी दिनों से काम कर रही हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन लोगों संस्थाओं के पास हथियारों का कोई सारा संग्रह है। यदि हां, तो कितना ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो कोई सूचना नहीं है कि उनके पास हथियारों का संग्रह है। बगैर लाइसेंस वाले हथियार जो हैं, या किसके पास कितने हैं इसकी सूचना रखने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जब वे प्रश्नोत्तर चार में इस बात को तसलीम करते हैं कि बगैर लाइसेंस वाले हथियार हैं, तो क्या वे कोई जांच करेंगे कि ये बगैर लाइसेंस वाले हथियार कैसे और किसी आज्ञा से प्राप्त हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिन हथियारों का लाइसेंस नहीं है उसमें आज्ञा का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय के गजटेड अफ़सरों को एक्सटेंशन देने पर आपत्ति

*६—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में सन् १९५५ और १९५६ में अलग-अलग कितने गजटेड अफसरों को नियमानुसार रिटायर हो जाना था और रिटायर हो जाना होगा ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—सन् १९५५ में १० गजटेड अफसरों को तथा १९५६ में ११ गजटेड अफसरों को रिटायर हो जाना था या रिटायर हो जाना होगा।

*७—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने अफसरों को एक्सटेंशन दिया जा चुका है या दिये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इनमें से ७ अफसरों को एक्सटेंशन दिया जा चुका है। अन्य किसी को एक्सटेंशन दिये जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

*८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार सदन की मेज पर ऐसा विवरण रक्खेगी, जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन कारणों से इन अफसरों को ५५ वर्ष के बाद भी नौकरी में रक्खा जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त सभी ७ अफसरों को पब्लिक सर्विस तथा सरकारी कार्य के हित में एक्सटेंशन दिया गया है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो आफिसर्स सन् १९५५ में रिटायर किये गये थे उनकी क्या आयु और उनका क्या वेतन था और वे किन विभागों में काम करते थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनकी लम्बी सी सूची है आज्ञा हो पढ़ दूं। अधिकतर इनमें परसनल असिस्टेंट हैं और सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। अन्डर सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, इस तरह से १० आदमी हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन ७ आफिसरों को एक्सटेंशन्स दिये गये हैं उनका वेतन आज क्या है, और किन विभागों में वे किन पदों पर काम कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वेतन का ब्योरा तो मेरे पास इस समय नहीं है, सूचना मिलने पर बता दूंगा। लेकिन जिनको दिया गया है उसमें पर्सनल असिस्टेन्ट्स हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी भी है और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी हैं, और सेक्रेटरी एजूकेशन हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन ७ अफसरों को एक्सटेंशन दिया गया है उनमें कोई विशेष योग्यता थी या अफसरों की कमी थी, किस वजह से दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका उत्तर तो दे दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में और गवर्नमेंट के काम के इंटरेस्ट में दिया गया।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि एक एकोनामी कमेटी, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी थे, उसने यह सिफारिश की थी कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक्सटेंशन नहीं दिया जायगा और उसके आदेश भी सरकार की तरफ से जारी किये गये थे ? यदि हां, तो सरकार ने इन लोगों को क्यों एक्सटेंशन दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—साधारणतया तो सरकार की यह नीति है कि एक्सटेंशन न दिये जायं, लेकिन जब पब्लिक इंटरेस्ट इसकी मांग करता हो या सरकारी काम में उससे सहायता पहुंचती हो तो एक्सटेंशन देना कभी-कभी आवश्यक हो जाता है, इसलिये दिया गया।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार भविष्य में अनएम्प्लायमेंट प्राब्लेम देखते हुये और जो नीचे के मातहत हैं उनके असन्तोष का विचार रखते हुये आइन्दा से एक्सटेंशन देना बन्द करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, कुछ बहुत ज्यादा समझा तो नहीं, लेकिन अगर माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि एक्सटेंशन देना बन्द किया जाय तो वह तो बहुत ही विशेष परिस्थिति में जब आवश्यक समझा जाता है तभी दिया जाता है। साधारणतया यह नीति है कि एक्सटेंशन न हों।

होल मील आटा मिल्स लिमिटेड, बाराबंकी के बन्द होने से बेरोजगारी

*९—श्री बाबूलाल कुसुमेश (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार को मालूम है कि होल मील आटा मिल्स लिमिटेड, बाराबंकी बिजली न मिलने के कारण एक साल से बन्द पड़ी है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, क्योंकि उनके गैस प्लान्ट का क्रैन्कशैफ्ट फरवरी, १९५५ में टूट गया था।

*१०—श्री बाबूलाल कुसुमेश—क्या सरकार उपर्युक्त मिल के बन्द हो जाने के कारण वहां के बेकार कर्मचारियों को काम देने की समस्या पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक उनकी बेकारी दूर हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह—इन बेकार कर्मचारियों को काम देने के मुताल्लिक गवर्नमेंट को विचार करने का सवाल नहीं उठता। यह कर्मचारी मिल के मुलाजिम थे।

श्री बाबूलाल कुसुमेश—क्या सरकार को यह मालूम है कि क्रैन्कशैफ्ट भारतवर्ष में नहीं मिलता और वही कारखाना सिर्फ बिजली से ही चल सकता है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार बिजली देकर कारखाने को चालू करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, उस पर विचार हो रहा है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार इस कारखाने को बिजली देने के साथ-साथ बाराबंकी नगर को भी बिजली देने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री धर्म सिंह—इस बात की कोशिश की जा रही है ।

श्री बाबूलाल कुसुमेश—क्या सरकार इस बात का पता लगाने की कृपा करेगी कि उस मिल में कितने आदमी बेकार हैं और उनमें से कितनों को काम मिल गया है ?

श्री धर्मसिंह—केवल ९ आदमी बेकार हुये थे ।

श्री राम सेवक यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी नगर को बिजली देने के सिलसिले में क्या प्रयत्न हो रहा है और क्या स्थिति इस समय है ?

श्री धर्मसिंह—वहां की कम्पनी ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि हमको एक्सट्रा लोड दिया जाय और उस पर विचार किया जा रहा है ।

मिर्जापुर जिले में मशीन युक्त गुब्बारा मिलना

*११—श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार बतायेगी कि क्या उसे मिर्जापुर जिले में एक विशेष प्रकार की मशीन युक्त गुब्बारा मिलने का समाचार प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह किस देश का गुब्बारा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । ये मशीन युक्त गुब्बारे मिट्रयालोजिकल डिपार्टमेंट, नई दिल्ली से मिले थे, और प्राप्त होने पर जिलाधीश मिर्जापुर द्वारा वहीं भेज दिये गये ।

*१२—श्री रामेश्वर लाल—क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि प्रान्त के विभिन्न स्थानों में प्राप्त कुछ विशिष्ट प्रकार के गुब्बारे लखनऊ स्थित प्रयोगशाला जांच के लिये प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय उसकी रिपोर्ट से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यदि "प्रयोगशाला" से माननीय सदस्य का अभिप्राय लखनऊ स्थित मिट्रयालोजिकल आफिस की आब्जर्वेटरी से है तो वहां इस प्रदेश के किसी स्थान से प्राप्त ऐसा कोई गुब्बारा जांच के लिये नहीं प्राप्त हुआ है। यदि उनका अभिप्राय किसी और प्रयोगशाला से है तो उसके नाम की सूचना मिलने पर जांच की जा सकेगी ।

श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार को पता है कि गत दो तीन महीने पहले बनारस के "आज" तथा अन्य पत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर सरकार का ध्यान गया है जिसमें कहा गया है कि प्रान्त के विभिन्न जिलों में ऐसे गुब्बारे प्राप्त हुये हैं जिनके साथ लगी हुयी बैटरी यू० एस० ए० की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ध्यान तो नहीं गया है लेकिन ऐसे गुब्बारे मिले होंगे और कोई विशेष बात इन गुब्बारों के बारे में नहीं है ।

श्री रामेश्वर लाल—नयी दिल्ली से गुब्बारे उड़ाये गये थे और मिर्जापुर में प्राप्त हुये थे उनके सम्बन्ध में जांच क्यों नहीं कराई गई कि वह कैसे गुब्बारे थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी जांच हो गयी है, और वह मिटियोरोजिकल विभाग नयी दिल्ली से उड़ाये गये थे और इस ख्याल से उड़ाये गये थे कि ऊपर की हवा की ह्यूमीडिटी, तापमान तथा वैलोसिटी आदि रिकार्ड हो । इसमें एक इक्विपमेंट ट्रांसमिटिंग का लगा रहता है और वह ह्यूमीडिटी, तापमान तथा वैलोसिटी आदि अंकित कर देता है और उन गुब्बारों में एक स्लिप लगा रहता है कि जो पायें वह कलक्टर को भेज दे और उसको आदेश है कि उसे मिटिरोजिकल विभाग नयी दिल्ली को भेज दे, और कोई खास बात नहीं है । प्रदेश के अन्य स्थानों में भी ऐसे गुब्बारे मिले होंगे और कलेक्टर ने उनको भेज दिया होगा ।

आजमगढ़ जिले के मधुबन थाने के अन्तर्गत भूतपूर्व जमींदारों का किसानों पर जुल्म

*१३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के मधुबन थाने के ग्राम हृदय पट्टी बेलागदायन पट्टी ने मडाड, कतकौली मुरारपुर, कन्धरापुर और हंकारीपुर के अधिवासी एवं सीरदार किसानों की दरख्वास्तें उनके पास तथा जिला अधिकारियों के पास इस आशय की आयी हैं कि उनके खेतों की फसल को भूतपूर्व जमींदार काट रहे हैं और जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ग्राम हृदयपट्टी, कतकौली मिश्र तथा हंकारीपुर से इस आशा की दरख्वास्तें जिला अधिकारियों के पास आयी थीं। शेष ४ ग्रामों से ऐसी दरख्वास्तों के प्राप्त होने की कोई सूचना नहीं है।

*१४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १४-८-१९५५ को परगनाधीश के यहां दरख्वास्तें देने के बावजूद भी कतकौली और मुरारपुर गांव के सीरदार एवं अधिवासी किसानों के खेत काट गये हैं और उन्हें मारा भी गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी तो कोई सूचना नहीं है।

*१५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन थाने की पुलिस के हृदय पट्टी गांव के भूतपूर्व जमींदारों के विरुद्ध उक्त अवैधानिक कार्य करने के कारण ही आज्ञा फौजदारी की दफा १०७ के अनुसार मुकदमा चलाया गया था, जिसे परगनाधीश घोसी ने बिना नोटिस दिये ही वापिस कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जहां तक सरकार को सूचना है १०७ की कार्यवाही सुलह हो जाने के कारण समाप्त हो गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि मुरारपुर के श्री जहांगीर बुसाध ने खेत काटने की रिपोर्ट थाने में १४-८-५५ को हुयी थी और मुख्य मंत्री जी तथा कप्तान को दरख्वास्तें १७,२२ और २९ को दी गयी थीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सरकार के पास ऐसी दरख्वास्त नहीं है। थाने में आयी होगी और वहां कार्यवाही हो रही होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरसन लुहार ने खेत काटने का आवेदन पत्र २६-१०-५५ को दिया था तथा २८-१०-५५ को पुलिस कप्तान तथा थानेदार का मुआयना कराया था।

श्री अध्यक्ष—यह किस प्रश्न से संबंधित है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—प्रश्न संख्या १४ में जो उत्तर दिया गया है वह गलत है, इसलिये मैं पूछ रहा हूं कि इस तरह की दरख्वास्त सरकार के पास आयी थी ?

श्री अध्यक्ष—आप यह पूछ रहे हैं कि दरख्वास्त सरकार के पास आयी थी ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—जी हां।

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १०७ जिसमें सुलह हो जाने की खबर दी गयी है क्या इससे पहले १०७ परगना हाकिम द्वारा वापस कर दी गयी थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके पहले क्या हुआ इसका पता नहीं, लेकिन आपस में सुलह हो जाने के कारण १०७ खत्म कर दी गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुलह किसानों ने अपने खेत की एक चौथाई लेकर की और परगना हाकिम और पुलिस ने मदद नहीं की ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो फरीकैन ने अदालत में बयान किया है और सोच समझकर दिया होगा। इसमें अधिक जांच करने की जरूरत मालूम नहीं होती है।

अल्मोड़े में रावण के पुतले का नवीन स्थान पर जलाया जाना

*१६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या यह बात ठीक है कि गत वर्ष अल्मोड़ा में रावण का पुतला सरकारी आज्ञा से एक नये मार्ग से ले जाया जाकर नगर से दो मील दूर सिटोली के जंगल में जलाया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

*१७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या उक्त पुतले के जलूस को नये मार्ग से ले जाने वाले नये स्थान पर उसे जलाने के सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों ने वहां की हिन्दू जनता की सम्मत्ति प्राप्त की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं। क्योंकि यह आवश्यक नहीं था।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी उक्त समारोह के लिये नजदीक में कोई स्थान निर्धारित करने की कृपा करेंगे ताकि मेले की रौनक वहां कम न होने पाये ?

श्री जगन प्रसाद रावत—ऐसा कोई सवाल वहां उठा नहीं।

इटावा जिले के बिधूना थाने के ग्राम रामपुरवा दला में मारपीट के सम्बन्ध में थानेदार की शिकायतें

*१८—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को पता है कि तारीख १३ जनवरी, १९५६ ई० को जिला इटावा, थाना बिधूना, ग्राम रामपुरवा दला में श्री अनन्तराम कोरी के घर डाका पड़ा ? यदि हां, तो उस सिलसिले में कौन-कौन मुल्जिम गिरफ्तार किये गये और क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—श्री अनन्तराम कोरी के घर डाका तो नहीं पड़ा किन्तु मारपीट की घटना अवश्य हुयी जिसके सिलसिले में चन्द्रभानु, भजन सिंह, धीरज सिंह, मथुरा सिंह, जुरावन सिंह, तथा सुधर सिंह नामक ६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और लखपत सिंह तथा राम औतार नामक २ व्यक्तियों के विरुद्ध कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा ८७/८८ के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

*१९—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या इस मामले में थानेदार के विरुद्ध जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान के पास कोई शिकायत की गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। किन्तु जांच करने पर शिकायत में कोई तथ्य नहीं पाया गया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मारपीट की जो घटना हुयी उसका क्या कारण था, किस आधार पर हुयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इन लोगों में बहुत पहले से एक मकान के सिलसिले में झगड़ा चल रहा था और उन्होंने वक्तन फावक्तन पुलिस में रिपोर्ट भी की थी। उसी सिलसिले में यह झगड़ा था।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मारपीट दिन में हुयी या रात में हुयी, और रात में हुयी, तो किस समय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो दिन का वाकया है।

लखनऊ में ट्रेनिंग लेने वाले पुलिस सब-इंस्पेक्टरों को भत्ता न मिलना

*२०—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)—Advance method of Investigation and Scientific Training के लिये जो Sub-Inspectors जिला से लखनऊ आते हैं उन्हें किसी प्रकार का भत्ता भी दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पुलिस विभाग में एक माह से ज्यादा की अवधि के ट्रेनिंग के लिये भेजे जाने वालों की अस्थायी स्थानान्तरण पर समझा जाता है और इस कारण इन लोगों को कोई दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता है।

*२१-२२—श्री ब्रजभूषण मिश्र—[३१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२३-२४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

निम्न श्रेणी के समस्त कर्मचारियों को २ रु० मासिक वेतन वृद्धि न मिलना

*२५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि ५५-५६ के बजट वर्ष में घोषित निम्न कर्मचारियों की २ रु० मासिक वेतन वृद्धि अभी बहुत से निम्न कर्मचारियों की श्रेणियों को नहीं प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो वे कौन-कौन सी श्रेणियां हैं और उनकी वेतन वृद्धि अभी तक क्यों नहीं होसकी ?

श्री धर्मसिंह—सरकार का विचार चपरासियों, चौकीदारों और नौकर चाकरों जैसे निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में २ रुपये प्रतिमास की वृद्धि कर देने का था और इस सम्बन्ध में अप्रैल सन् १९५५ में आदेश जारी किये गये थे। सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें यह आदेश लागू न किये गये हों। सरकार इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेगें कि इस निम्न श्रेणी शब्द की परिभाषा में कौन-कौन कर्मचारी आते हैं ?

श्री धर्मसिंह—यह तीन तरह के कर्मचारी हैं जिनको यह आदेश जारी किया गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार ने पहले इस सदन में आश्वासन दिया है कि फारेस्टगार्ड आदि अनेक निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को २ रुपया माहवार की वेतन वृद्धि देने का मामला विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि कितनी अवधि के भीतर उनके सम्बन्ध में जांच करके सरकार उनका वेतन बढ़ा देगी ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस जारी किये गये हैं और उनकी रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, इस प्रश्न के उत्तर में नौकर-चाकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं क्या जान सकता हूं कि नौकर-चाकर शब्द किन विशेष नाम लिये जाने वाले कर्मचारियों के लिये प्रयुक्त किया गया है ?

श्री धर्मसिंह--यह तीन तरह के सरकारी कर्मचारी हैं। जमादार, दफ्तरी आदि हैं, दूसरे दफ्तर के दफ्तरी और चपरासी हैं। और तीसरे अर्दली, चपरासी आदि और उनके ग्रेड्स भी भिन्न-भिन्न हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ? विचार होने के बाद यदि यह तय हुआ कि इन को वेतन वृद्धि दी जाय, तो क्या यह उन को रिट्रास्पैक्टिव इफेक्ट दी जायेगी ? या तब से देंगे जब से इस पर निर्णय होगा ?

श्री धर्मसिंह--जो आज्ञा भेजी गई है २५ अप्रैल को, यदि उसके आधार पर तय होता है तो तभी से वह दी जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि पिछले वर्ष बजट भाषण में सरकार ने यह घोषणा की थी कि ३० रुपये तक तनख्वाह पाने वाले निम्न वर्ग के कर्मचारियों को २ रुपये की वेतन वृद्धि करदी जायेगी ?

श्री धर्मसिंह--घोषणा करदी गयी थी। जैसा कि मैंने बताया तीन कैटेगरी के ये लोग थे उनको देदी गई है।

बलिया जिले में कत्ल के मुकदमे

*२६--**श्री गंगाप्रसाद सिंह**--क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि गत वर्ष से अब तक जिला बलिया में कितने कत्ल हुये हैं और कितने मुजरिम उनमें से पकड़े गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--१ जनवरी, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक १५ कत्ल हुये जिनमें १२७ मुजरिम पकड़े गये।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--इन १५ कत्ल के केसेज में कितने मुकदमें चल रहे हैं और कितनों में सजा हो चुकी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जो ये १५ कत्ल हुये इनमें १३ मुकदमों का चालान हुआ और दो में सजा हुई। २ रिहा हो गये और ९ अभी न्यायालय में हैं। २ में अभी जांच होरही है।

सीतापुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*२७--**श्री गंगाधर शर्मा** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में कितने राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों को सरकार से सहायता मिल रही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--१६ व्यक्तियों को पेन्शन मिल रही है।

मुजफ्फरनगर जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस

*२८--**श्री वीरेन्द्र वर्मा**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुज़फ्फरनगर जिले में एक मई, १९५५ से १५ मार्च, १९५६ तक कितने नये बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेन्स दिये गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--५१ बन्दूकें तथा १६ रिवाल्वर व पिस्तौल के नये लाइसेन्स दिये गये हैं।

*२९—**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे जिला मुजफ्फरनगर में १ मई, १९५५ से १५ मार्च, १९५६ तक कितने बन्दूक के लाइसेन्स कैंसिल किये गये और क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुल नौ बन्दूकों के लाइसेन्स कैंसिल हुये । उनके कैंसिल होने के कारण निम्न प्रकार हैं :

तीन लाइसेन्स दारों के पास शस्त्र का रहना जन-शांति के हित मे नहीं समझा गया ।

पांच लाइसेन्सदारों ने स्वयं रद्द करने की प्रार्थना की क्योंकि उन्होंने अपनी बन्दूकें बेच दी थीं । तथा एक ने अपनी वृद्धावस्था के कारण बन्दूक अपने पास सुरक्षित रखने में असमर्थता प्रकट की, जिससे उनका लाइसेन्स रद्द कर दिया गया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन ५१ लाइसेन्सेज में से अधिकांश सरकारी कर्मचारी और शिकारियों को दिये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी फेहरिस्त तो मेरे पास नहीं है कि किस-किस को दिये गये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो १६ रिवाल्वर और पिस्तौल के नये लाइसेन्स दिये गये हैं उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह भी फेहरिस्त मेरे पास नहीं है ।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि बन्दूक के लाइसेन्स के सम्बन्ध में क्या सरकारी कोई आदेश है कि औरतों को बन्दूक के लाइसेन्स न दिये जायं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसा कोई आदेश नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर जिले में पिछले साल से करीब-करीब ५०० लाइसेन्स हासिल करने के लिये प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के पास पड़े हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सम्भव है उन के पास पड़े हों ।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी इस तरह के आदेश जिलाधिकारियों को देने की कृपा करेंगे कि यदि कोई लेडी बन्दूक और रिवाल्वर का लाइसेन्स प्राप्त करना चाहे तो जिलाधिकारी उनको विशेष सुविधा दें ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके लिये कोई विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं है । यदि कुछ महिलाओं को इसकी आवश्यकता होगी तो उनको लाइसेन्स अवश्य दिया जायेगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन ५०० के करीब प्रार्थना-पत्रों का मैंने अभी अपने प्रश्न का उत्तर उनसे मांगा था उनमें अधिकांश वे हैं जिन्होंने अन्टी डेकौइट आपरेशन में काम किया था, और जिलाधीश और पुलिस कप्तान ने जिन से प्रार्थना-पत्रों को दिलवाया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह तफसील तो मेरे पास नहीं है लेकिन पुलिस कप्तान ने अगर दिलाया होगा तो उनके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार भी वह करेंगे ।

इलाहाबाद में ओवरसियरी की शिक्षा

*३०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहबाद नगर में कोई कालेज ओवरसियर की शिक्षा हेतु सरकार की ओर से खोला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस में कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री धर्म सिंह---जी नहीं।

श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या यह सही है कि जो सिविल इंजिनियरिंग कालेज इलाहाबाद में चल रहा है उस में ओवरसियरी की भी शिक्षा दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां ओवरसियरी की शिक्षा दी जाती है।

लोअर इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम क अन्तर्गत सहकारी बैंक द्वारा धन का वितरण

*३१---श्री तेजप्रताप सिंह---क्या वित्त मंत्री बतलायेंगे कि लोअर इनकम ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत कुछ धन प्रदेशीय सहकारी बैंक द्वारा वितरण किया जारहा है ? यदि हां, तो कितना ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---जी हां, लोअर इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ५० लाख रुपया प्रादेशिक सहकारी बैंक का वितरण करने के हेतु दिया गया है।

*३२---श्री तेजप्रताप सिंह---क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रादेशिक सहकारी बैंक द्वारा कितना रुपया अभी तक इस योजना के अन्तर्गत वितरित किया जा चुका है ? क्या सरकार जिलेवार धन वितरण का नक्शा सदस्य की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मंगलाप्रसाद---योजना के अन्तर्गत मार्च ३१, १९५६ तक १७,२९,६५० रु० वितरित किया जा चुका है। जिलेवार धन वितरण का नक्शा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६४७ पर)

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किन कारणों से इतना कम रुपया खर्च हुआ है ?

श्री मंगलाप्रसाद---खर्च इसलिये कम हुआ है कि बहुत कम लोगों ने मांग की। जिन लोगों ने मांग की उनकी तरफ से पूरी शर्तें यानी प्लाट का होना, रजिस्ट्री का होना, उस पर एनकम्बरेंस न होना, आदि बहुत कम पूरी की गयीं।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि लखनऊ कानपुर आदि शहरों को तीन या साढ़े तीन लाख रुपया क्यों दिया गया जब कि बहुत से जिलों को एक रुपया भी नहीं दिया गया ?

श्री मंगलाप्रसाद---ऐसी कोई बात नहीं है, सब जिलों से वहां की डिमांड के बारे में मांग की गयी थी और जितनी वहां की मांग हुई थी उसी के हिसाब से रुपया बांट दिया गया था। मस्लन कानपुर से बहुत पैसे की मांग थी, ८०-९० लाख रुपये की मांग की गयी थी लेकिन दूसरे जिलों से बहुत थोड़ी थोड़ी मांग की गई थी। कई छोटे जिलों में १-१, २-२ लाख रुपये की मांग की गयी। और कुछ से २०-२० लाख रुपये की मांग की गयी। सारांश यह कि जितनी जहां की मांग थी उसी के हिसाब से वहां रुपया रखा गया।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि करीब ७-८ महीने से बहुत बड़ी तदाद में एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं, वे सारी कंडीशंस को फुलफिल भी करती हैं लेकिन फिर भी उन पर विचार नहीं हुआ है और उनको रुपया नहीं दिया गया है ?

श्री मंगलाप्रसाद---ऐसी कोई बात नहीं है। ८० लाख रुपये की मांग मंजूर की गयी है अभी और मांग हो रही है। जिन ऐप्लीकेशन्स में कमी होती है उनको मौका दिया जाता है कि वे उन कमियों को ठीक करलें। ऐसी बात नहीं है कि एप्लीकेशन्स हों, वह ठीक भी हों और पैसा न दिया गया हो। यदि ऐसी कोई चीज है और माननीय सदस्य हमें बतायेंगे तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको यह विदित है कि सारी एप्लीकेशन्स चूंकि लखनऊ ही में निश्चित होती हैं इसलिये उनमें निर्णय होने में बड़ी देर होती है ? और क्या शाखाओं पर भी उन पर निर्णय कराने का विचार किया जायेगा ?

श्री मंगलाप्रसाद—बिलकुल एक ही आधार पर निर्णय यहां हेडक्वार्टर पर और हर जगह किया जाता है, कोई दूसरा आधार नहीं है और इसी आधार पर सब जगह किया जा रहा है और किया जायेगा ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्कूल आदि जो शिक्षा की संस्थायें हैं क्या उनको भी इस आधार पर ऋण दिया जा सकता है?

श्री मंगलाप्रसाद—जी नहीं ।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने उन कारणों पर भी विचार करने की कोशिश की है कि जिनकी वजह से बहुत कम लोगों ने इस रुपये की मांग की है ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां, विचार इस पर भी किया है लेकिन चूंकि यह रुपया गवर्नमेंट-आफ इंडिया से मिला है और उसके साथ उनके कुछ शराअत हैं इसलिये यह भी खयाल रखा जाता है कि जो रुपया दिया जाय वह वापिस भी मिल जाय और इसलिये उनके टाइटिल डीड वगैरा सब देख लिये जाते हैं और सब शराअत पूरे होते हैं तभी दिया जाता है और अगर वह रुपया हम वापिस न कर सकेंगे तो वह दोबारा नहीं मिल सकेगा इसलिये उसमें सतर्कता बरती जाती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था भारत सरकार को लिख कर करायेगी कि यह योजना देहातों में भी लागू की जाय ?

श्री मंगलाप्रसाद—मैंने इस सम्बन्ध में जो मिनिस्टर इन्चार्ज हैं केन्द्रीय सरकार के उनसे बात की थी, वह भी इस तरह की बात सोच रहे हैं, हमें जब कभी मौका मिलता है तो हम उनसे यह बात करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी योजना देहातों के लिये भी हो ।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि हर जिले के साथ न्याय हो सके, इसलिये डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक्स के मार्फत रुपया वितरित किया जाय?

श्री मंगलाप्रसाद—जहां तक न्याय का सवाल है वह तो होता ही है और अगर कहीं अन्याय हुआ है तो उसे आप हमें बतलायेंगे तो वहां भी न्याय हो जायेगा । गो अन्याय अभी तक कहीं हुआ नहीं है और मैं समझता हूं फिर उनको कोई ऐसी शिकायत नहीं रहेगी ।

श्री रामेश्वर लाल—क्या यह सही है कि लोअर इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम में जो रुपया व्यक्तियों को दिया जाता है क्या वह हाउसेज की विशेष प्रक्रिया में ही व्यय करने के लिये दिया जाता है ?

श्री मंगलाप्रसाद—वह इयरमार्क तो होता है । जो व्यक्ति या हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी के सदस्य रुपया चाहते हैं उनको तीन हिस्से में यह लोन दिया जाता है । पहली किस्त तो शरायत पूरे हो जाते हैं तो दे दी जाती है और प्लिन्थ तक बन जाने पर दूसरी किस्त दी जाती है । और जब रूफ तक इमारत पहुंच जाती है तब तीसरी किस्त आखिर तक काम खत्म करने के लिये दे दी जाती है । इसी तरह से ३ हिस्सों में व्यक्तियों को भी किस्त मिलती है और हाउसिंग सोसाइटीज को भी मिलती है ।

बलिया जिले में कत्ल व डकैती की घटनाएं

*३३—श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया में गत १५ मार्च, १९५५ से १५ मार्च, १९५६ तक कितने डाके और कत्ल की घटनाएं हुई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—११ डाके व १३ कत्ल की घटनाएं हुईं।

*३४—श्री राधामोहन सिंह—उपर्युक्त कत्ल व डाकों में कितनों में बन्दूक प्रयोग की गई और किस किस डाके में कितने कितने व्यक्ति मरे और घायल हुये ?

श्री जगन प्रसाद रावत—९ डाकों में बन्दूक का प्रयोग किया गया। कत्ल में बन्दूक प्रयोग में नहीं लाई गई। डाके में मरने और घायल होने वालों की संख्या संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४८ पर)

श्री राधामोहन सिंह—क्या यह सही है कि इतने कम समय में इतने डाके और कत्ल की घटनाएं पहले कभी नहीं हुईं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—बहुत ज्यादा तो अन्तर नहीं है लेकिन कुछ कम अवश्य हुई थीं पिछले सालों में।

श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार इन अभूतपूर्व घटनाओं के कारण आचरण को छोड़कर वातावरण जो जनता में व्याप्त हो गया है उससे अवगत है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—पूरे तौर से अवगत है।

श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस विशेष परिस्थिति में कोई विशेष जांच की कार्यवाही सरकार करने का विचार कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जो कार्यवाही आवश्यक है वह की जा रही है।

रायबरेली जिले के सरेनी थाने में डकैती

*३५—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५५ से फरवरी, सन् १९५६ तक सरेनी (रायबरेली) थाना के अन्दर कितनी डकैतियां हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल एक।

*३६—श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पड़ी हुई डकैतियों में कितनी डकैतियां ऐसे गांवों में पड़ीं जिनमें बन्दूकों के लाइसेन्स थे और कितनी उन गांवों में जहां एक भी असलहा का लाइसेन्स न था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपरोक्त डकैती ऐसे गांव में हुई जहां असलहा का कोई लाइसेंस नहीं था।

बिजली वितरण के लिए पश्चिमी जिलों में मार्टिन कम्पनी का ठेका

*३७—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि मार्टन कम्पनी के पास इस प्रदेश के पश्चिमी भाग के किन-किन जिलों के देहात तथा कस्बों को बिजली वितरण करने का ठेका है ?

श्री धर्मसिंह—प्रदेश के पश्चिमी भाग में निम्नलिखित जिलों के देहात तथा कस्बों में विद्युत वितरण करने का ठेका मार्टिन बर्न के पास है—

(१) मुरादाबाद ।
(२) बिजनौर ।
(३) सहारनपुर ।
(४) मुजफ्फरनगर ।
(५) मेरठ ।

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व मेरठ के निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्युत वितरण का ठेका मार्टिन बर्न के पास नहीं है ।

(१) सहारनपुर नगर ।
(२) रुड़की व रुड़की छावनी ।
(३) हरिद्वार ।
(४) मुजफ्फरनगर म्युनिसिपैलिटी का क्षेत्र ।
(५) मेरठ नगर व मेरठ छावनी का एक भाग ।

*३८—श्री दीनदयालु शास्त्री—इस ठेके की अवधि कितनी है ?

श्री धर्मसिंह—(अ) सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व मेरठ जिलों के इलेक्ट्रिक लाइसेंस की अवधि २७ जून, १९६४ को समाप्त हो जायगी। (ब) मुरादाबाद और बिजनौर के जिलों के लाइसेंस की अवधि ४ फरवरी, १९५९ को समाप्त हो जायगी ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतलायेगी कि मार्टिन एन्ड कम्पनी को यह ठेका किस साल दिया गया था और उस ठेके की क्या शर्तें थीं ?

श्री धर्मसिंह—सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ की जो कम्पनी थी उसको २८ जून, १९२९ को दिया गया था और दूसरा ठेका ५ फरवरी, १९२९ को बिजनौर और मुरादाबाद कम्पनी को दिया गया था ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—मैंने पूछा था कि कम्पनी को किन शर्तों पर ठेका दिया गया था ?

श्री धर्म सिंह—उसमें अनेक शर्तें थीं ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतलायेगी कि प्रतिवर्ष प्रति यूनिट कितनी रकम सरकार इस कम्पनी को देती है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मार्टिन कम्पनी इन स्थानों पर बिजली किस रेट से देती है ?

श्री धर्मसिंह—वह तो रेट्स भिन्न-भिन्न हैं। उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि क्या-क्या रेट्स हैं ।

*३९—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)—[१२ जून, १९५६ के लिये प्रश्न १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हिमालय की बाढ़ रोकने के सम्बन्ध में मीराबेन के सुझाव

*४०—श्री जगदीश सरन (जिला बरेली)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसका ध्यान १८ दिसम्बर, १९५५ के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित मीरावेन जी के Something wrong with Himalayas शीर्षक लेख की ओर गया है ?

वन उपमंत्री (श्री जगनमोहन सिंह नेगी)—जी हां।

*४१—श्री जगदीश सरन—यदि हां, तो क्या सरकार अपने विशेषज्ञों द्वारा इस बात का पता लगावेगी कि banj के स्थान पर chir pine के पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने से भयंकर बाढ़ के आने में सहायता होती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वन विभाग द्वारा बांज (banj*) के स्थान पर चीड़ पाइन (Chir Pine) को प्रोत्साहन नहीं किया जा रहा है बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में बांज के वृक्ष कुछ विद्यमन हैं उनकी समुचित रक्षा की जा रही है। इसलिये सरकार प्रश्न में उल्लिखित विशेषज्ञों द्वारा जांच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं समझती है।

श्री जगदीश सरन—क्या माननीय मंत्री जी ने अपने को संतुष्ट कर लिया है कि मीराबेन द्वारा उक्त लेख में प्रकट की हुई शंकायें सर्वथा निर्मूल हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसमें कुछ हद तक उनका लेख सही है लेकिन यह राय का सवाल है। इसमें एक दम से यह कह देना कि चिल पाइंस बिलकुल बेकार हैं इससे मैं सहमत नहीं हूं।

एस० ओ०, थाना करनैलगंज, जिला गोंडा के खिलाफ शिकायत

*४२—श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को एस० ओ०, थाना करनैलगंज, जिला गोंडा के खिलाफ गत ३–४ मास में शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*४३—श्री गंगाधर शर्मा—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चार। एक पर जांच कराई गई जिससे पता चला कि मामला आई० पी० सी० की धारा ३६३/३६६ के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन है। एक प्रार्थना-पत्र महानिरीक्षक, पुलिस को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया, शेष दो प्रार्थना-पत्रों पर सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उनकी प्रतियां प्रार्थियों द्वारा महानिरीक्षक को भेजी जा चुकी थीं।

*४४–४६—श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)—[३१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजियाबाद कोआपरेटिव कंज्यूमर्स सोसाइटी

*४७—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार गाजियाबाद की कोआपरेटिव कंज्यूमर्स सोसाइटी क्षेत्र संख्या १ तथा २ की आडिट रिपोर्ट १९५४–५५ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—गाजियाबाद कंज्यूमर्स सोसाइटी क्षेत्र संख्या १ तथा २ का १९५४–५५ का आडिट अभी नहीं हुआ है।

*४८—श्री तेजासिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन समितियों की रजिस्ट्री कब हुई थी और ये क्या काम कर रही हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इनकी रजिस्ट्री मार्च ४, १९४९ को हुई थी। उपभोक्ता सहकारी समिति उपक्षेत्र (१) एक भट्ठा चला रही है तथा उपभोक्ता सहकारी समिति उपक्षेत्र (२) दो भट्ठे और एक दूध की डेरी चला रही है।

मिर्जापुर जिले में घाटमपुर बीज भंडार भवन की छत फटने से गल्ले को क्षति

*४९—**श्री राम कृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सही है कि बीज गोदाम, घाटमपुर, तहसील चुनार, मिर्जापुर की इमारत का निर्माण हाल ही में जिला प्लानिंग के अनुदान से A. R. द्वारा हुआ था परन्तु उसकी छत फट गई और गल्ला सड़ गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—घाटमपुर बीज भंडार का निर्माण १९५४–५५ में हुआ। इसके लिये जिला नियोजन समिति की ओर से ६,००० रु० का अनुदान मिला था। घाटमपुर बीज भंडार भवन का निर्माण सहायक रजिस्ट्रार द्वारा नहीं बल्कि घाटमपुर सहकारी संघ द्वारा हुआ। अधिक वर्षा के कारण इसकी छत टपकने लगी थी परन्तु शीघ्र ही भवन की मरम्मत हो जाने से बीज अधिक खराब नहीं हुआ और जो बीज नमी से खराब हो गया था उसे नीलाम कर दिया गया।

*५०—**श्री रामकृष्ण जैसवार**—क्या सरकार यह बतायेगी कि कितने बीज गोदाम मिर्जापुर जिले के प्लानिंग विभाग की सहायता से बने और बनने के बाद किसी इंजीनियर द्वारा उसका verification हुआ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मिर्जापुर जिले में अब तक कुल ११ बीज भंडार भवन का निर्माण स्थानीय प्रबन्ध समिति के द्वारा हुआ। सरकारी आदेश संख्या ८७६२ आर० ३५, दिनांक १३ सितम्बर, १९५४ के अनुसार बीज भंडार भवन के जांच का अधिकार जिले के घोषित पदाधिकारियों को मिला है कि जो काम नियोजन विभाग के अन्तर्गत हो और जिनमें दस हजार से अधिक रुपया व्यय हुआ हो उसकी पूर्णता का प्रमाण पत्र दे दें। अतः किसी इंजीनियर से जांच नहीं कराई गई।

*५१—**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)—[३१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५२–५३—**श्री राम सुमेर** (जिला फैजाबाद)—[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५४—**श्री राजा राम शर्मा** (जिला बस्ती)—[२३ मई, १९५६ के लिये प्रश्न २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सम्पत्ति की सूचना देने के लिये सरकारी कर्मचारियों को आदेश

*५५—**श्री लालबहादुर सिंह** (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकार का कोई ऐसा आदेश जारी हुआ है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के पास नौकरी प्रारम्भ करने के पूर्व क्या सम्पत्ति थी और उसने कब क्या सम्पत्ति पैदा की, का विवरण वह सरकार के पास भेजेगा? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। Government Servants Conduct Rule के नियम संख्या ११ की प्रतिलिपि जैसा कि वह सरकारी विज्ञप्ति संख्या ३३७२/३बी०–११८–१९५४, दिनांक अगस्त १८, १९५४ से संशोधित हुआ है, मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी ग आगे पृष्ठ ६४९ पर)

*५६—श्री लालबहादुर सिंह—इस आदेश का पालन करने की अवधि क्या मुकर्रर की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस आदेश के पालन करने की कोई अवधि मुकर्रर नहीं की गयी है ।

बलिया जिले में कत्ल व डाके

*५७—श्री राम अनन्त पांडेय (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, सन् ५५ से १५ मार्च, ५६ तक बलिया जिला में कितनी डकैतियां और हत्यायें हुई हैं और गत वर्ष इन्हीं महीनों में कितनी डकैतियां और हत्यायें हुई थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अक्तूबर, ५५ से १५ मार्च, ५६ तक बलिया जिले में १० डकैतियां और ६ हत्यायें तथा गत वर्ष इसी अवधि में ६ डकैतियां और ३ हत्यायें हुईं ।

बनारस सेंट्रल जेल में कथित सांसत घर

*५८—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बनारस सेंट्रल जेल के सांसत घर में अभी भी बन्दी पहले ही की तरह रात में बन्द किये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बनारस सेंट्रल जेल में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसका नाम सांसत घर हो ।

*५९—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी—क्या सरकार बतायेगी कि उसका नाम सांसत घर क्यों है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

*६०—श्री उमा शंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कितने राजनैतिक पीड़ितों को कितनी पेंशन दी जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—११ को ३४८ रु० ८ आना मासिक पेंशन दी जा रही है ।

बाराबंकी जिले की पुलिस चौकियां

*६१—श्री उमाशंकर मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कितनी स्थायी और कितनी अस्थायी पुलिस चौकियां हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला बाराबंकी में ८ स्थायी तथा ३ अस्थायी पुलिस चौकियां हैं ।

*६२—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—[१६ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६३-६४—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

गांधी आश्रम, मगहर, जिला बस्ती के लिये बिजली

*६५—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांधी आश्रम, मगहर, जिला बस्ती को कितने हार्स पावर की बिजली किस-किस तारीख को स्वीकार की गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—रोशनी तथा पंखों के लिये ०.२५ किलोवाट बिजली और औद्योगिक कनेक्शन के लिये १० हार्स पावर बिजली, श्री गांधी आश्रम, मगहर, जिला बस्ती को तारीख २९ फरवरी, १९५६ ई० को स्वीकृत की गयी है।

*६६—**श्री धनुषधारी पांडेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजली के पावर को गांधी आश्रम, मगहर, जिला बस्ती अम्बर चरखे के बनाने के लिये उपयोग करेगा? यदि हां, तो क्या उसे बिजली मिल गई और काम प्रारम्भ हो गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अपने एक प्रार्थना-पत्र में उक्त आश्रम वालों ने लिखा है कि बिजली की जरूरत अम्बर चरखा बनाने के लिये है। यह बिजली देने के लिये ११ के० वी० की एक ०.७ मील लम्बी लाइन तथा १५ के० वी० ए० की क्षमता वाला एक सब-स्टेशन बनाना पड़ेगा। ये कार्य प्रगति पर हैं और जैसे ही सम्पूर्ण कार्य तथा शर्तें पूरी हो जायेगी बिजली की वास्तविक सप्लाई दे दी जायगी।

*६७—**श्री तेजप्रताप सिंह**—[२१ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिले की अमिला और सूरजपुर पुलिस चौकियां

*६८—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की अमिला और सूरजपुर अस्थायी पुलिस चौकियों को अब तोड़ देने पर वह विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

बस्ती जिले की पुलिस चौकियां

*६९—**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितनी स्थायी तथा कितनी अस्थायी पुलिस चौकियां हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बस्ती जिले में ७ स्थायी तथा ५ अस्थायी पुलिस चौकियां हैं।

*७०—**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की पुलिस चौकियों में से किन-किन के पास सरकारी भवन हैं और किन-किन के पास भवन नहीं हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्थायी पुलिस चौकियों में से पुरानी बस्ती, पक्का बाजार तथा सिविल लाइन्स के पास अपने भवन हैं शेष ९ पुलिस चौकियों के पास जो कि बासी, मगहर, उसका, मेहदावल, बाघानाला, शोहरतगढ़, बढनी, खुनवा और ककरहवा में स्थित हैं, अपने भवन नहीं हैं।

*७१—**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय**—क्या सरकार जिन पुलिस चौकियों में भवन नहीं हैं वहां पर भवन बनाने का विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

कम्प्लेंट आफिसर्स द्वारा पकड़े गये मामले

*७२—**श्री सुल्तान आलम खां** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य के सब जिलों के कम्प्लेन्ट आफिसर्स (complaint officers) नियुक्त हो गये? यदि नहीं, तो कहां-कहां और क्यों नहीं हुये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बाराबंकी, जौनपुर और फर्रुखाबाद जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के कम्प्लेन्ट आफिसर्स नियुक्त हो गये हैं। इन तीन जिलों के लिये तैनात किये गये आफिसर्स भारत सरकार की सेवा में लगे हुये हैं और वहां से मुक्त होकर यह अपने काम पर आ जायेंगे।

*७३—श्री सुल्तान आलम खां—इन कमप्लेन्ट आफिसर्स (complaint officers) की नियुक्ति के १ माह के अन्दर कितने भ्रष्टाचार (corruption) के मुकदमें और किस-किस विभागों के पकड़े ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फरवरी, १९५६ में कायम हुये ऐसे मुकदमों का ब्योरा इस प्रकार है—

(१)	पुलिस विभाग	५ सब इंसपेक्टर, २ हेड कांस्टेबुल, १७ कांस्टेबुल, १ चौकीदार
(२)	स्वास्थ्य विभाग	१ सैनिटरी इंस्पेक्टर
(३)	सेल्सटैक्स विभाग	१ अमीन
(४)	चकबंदी विभाग	२ अमीन
(५)	माल विभाग	२ लेखपाल
(६)	पंचायत राज विभाग	१ इंस्पेक्टर
(७)	रेन्ट कन्ट्रोल दफ्तर	१ क्लर्क

*७४—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार उनके एक माह के कार्य का जिलेवार नक्शा सदन की मेज पर रखेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह नक्शा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६५०-६५१ पर।)

पुलिस के द्रुतगामी दस्ते

*७५—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुलिस के द्रुतगामी दस्ते किन-किन जिलों में कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह दस्ते आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा, सहारनपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस और आजमगढ़ में कार्य कर रहे हैं।

गाजियाबाद तहसील के लोनी परगने में नलकूप निर्माण

*७६—श्री तेजासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारी विभाग की ओर से जिला मेरठ के लोनी परगना में कहां-कहां नलकूप लगाये गये हैं ? हर एक पर क्या व्यय हुआ और १९५४-५५ में क्या आमदनी हुयी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गाजियाबाद तहसील के लोनी परगना में जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड लोनी के अन्तर्गत है, दस सहकारी नलकूप बनाये गये हैं। आठ नलकूप पूर्णतः तैयार हो गये और शेष में अभी कुछ काम बाकी है। प्रत्येक नलकूप पर हुये व्यय तथा सहकारी वर्ष १९५४-५५ में उससे हुयी आमदनी का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६५२ पर।)

*७७—श्री तेजासिंह—क्या यह सही है कि बहुत नलकूपों पर पक्की नालियां नहीं बनी जिस कारण किसानों को पानी मंहगा पड़ता है और वह नलकूपों का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इन सहकारी नलकूपों में से किसी पर भी पक्की गूलें नहीं हैं जिस कारण सिंचाई पूरी तरह नहीं हो पाती है। अधिकतर रेतीली जमीन होने के कारण यहां पर पक्की गूलों की विशेष आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बिजली मिल जाने से भी इनके चलने में विशेष सहायता मिलेगी, समितियों के पास पक्की गूलों के बनाने के लिये रुपया नहीं है और इसके लिये राजकीय सहायता की आवश्यकता है ।

अतारांकित प्रश्न

१–२—श्री उमाशंकर—[४ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

३–४—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—[२४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

---

*२९ फरवरी, १९५६ के तारांकित प्रश्न २६–२७ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक २९–२–५६ के प्रश्न संख्या २६ और २७ के सम्बन्ध में माननीय वीरेन्द्र वर्मा के एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय नियोजन मंत्री ने कहा था कि इस वर्ष तो नहीं किन्तु अगले वर्ष २५–२६ इंटेंसिव ब्लाक और ९१ एन० ई० एस० ब्लाक खुलेंगे । एन० ई० एस० ब्लाक की संख्या "९१" सही नहीं है । सही संख्या "९९" है । अतः उस दिन की कार्यवाही में यह एन० ई० एस० ब्लाक की संख्या "९१" के बदले "९९" कर दी जाय ।

ईद के उपलक्ष्य में अधिक समय के लिये बैठक स्थगित करने का सुझाव

श्रीमती अब्दुल वाजिद (जिला बरेली)—मैं आपकी तवज्जह एक खास मामले की तरफ दिलाना चाहती थी । जैसे ही सवालात खत्म हुये थे उसी वक्त मैं खड़ी हुयी थी । इत्तफाक से आपने नहीं देखा । अब अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं ।

श्री अध्यक्ष—क्या बात है, कहिये ।

श्रीमती अब्दुल वाजिद—मैं आपसे और आपके जरिये पूरे हाउस से एक दरख्वास्त करना चाहती हूं । कल हमें मालूम हुआ कि ईद के लिये जो ऐडजर्नमेंट होने वाला था वह नहीं होगा बल्कि सिर्फ तीन दिन की छुट्टी होगी । ऐडजर्नमेंट की छुट्टी, पांच दिन हो, तीन दिन हो, या दो दिन हो, वह कोई अहमियत नहीं रखती । बल्कि अहमियत जो चीज रखती है वह यह है कि इस सूबे में मुसलमान एक बड़ी माइनारिटी में हैं और ईद मुसलमानों का खास त्यौहार है ।

श्री अध्यक्ष—आप तो भाषण देने लगीं । आप को क्या तकलीफ है ?

श्रीमदी अब्दुल वाजिद—मैं चाहती हूं कि जैसे पहले कहा गया था यह ऐडजर्नमेंट पांच दिन का होना चाहिये, इसलिये कि हमारा वकार कायम रहेगा । यह मालूम होगा कि यह सेकुलर स्टेट है । इसमें मुसलमान और ईसाई भी वकत रखते हैं । जो गुडफ्राइडे के सिलसिले में हुआ था हम इस किस्म की चीज .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं .....

श्रीमती अब्दुल वाजिद—मैं दरख्वास्त करना चाहती हूं कि फिर से यह हाउस रिकंसीडर करे ।

श्री अध्यक्ष—इस सिलसिले में तो आपको नेता सदन से बात करनी थी क्योंकि यहां पर—आप कृपा करके बैठ जायं—पहले पांच रोज सदन नहीं बैठेगा इसका एलान नेता सदन द्वारा हुआ था, वैसे छुट्टियां ११ और १२ को पहले निश्चित थीं । ईद की छुट्टी १२ या १३ के लिये रखी गयी थी, वह तो अब भी रखी गयी है । सिर्फ इस सदन के सदस्यों की

---

* २९ फरवरी, १९५६ की कार्यवाही में तदनुसार शोधन कर लिया गया है ।

सहूलियत के खयाल से दो रोज बढ़ा देने का इरादा था। वही दिन घटाये गये हैं क्योंकि कुछ लोगों को यह खयाल हुआ कि अगर कार्य समाप्त करना हो तो उसके लिये जो अधिक दिन बढ़ाये गये हैं, ईद की छुट्टी के अतिरिक्त, घर जाने के लिये या और किसी वजह से पांच रोज की छुट्टी लोग चाहते थे, वह न दी जाय। ऐसी सिफारिश की गयी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस बात को स्वीकार किया। सदन में ऐलान कर दिया गया। मैं समझता हूं कि उसमें कोई सेकुलर स्टेट वगैरह का सवाल पैदा नहीं होता, जो इस समय आपने यहां उपस्थित किया। ईद की छुट्टी मिल ही गयी है। इस पर भी अगर आपकी कुछ इसमें तब्दीली करानी है तो माननीय मुख्य मंत्री जी से आप बात करें।

कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना दे दूं। शिक्षा मंत्री जी, रसद मंत्री जी और माल मंत्री जी कुछ विधेयक पुर:स्थापित करने वाले थे, मेज पर रखने वाले थे, वह मेरे पास कुछ देर पहिले तक आये नहीं थे। अभी-अभी उनमें से दो विधेयक आये हैं और वे वितरित नहीं हो सके हैं। और तीसरा अभी तक नहीं आया है। ऐसी हालत में मैं यह इजाजत नहीं दूंगा कि वे इसी वक्त पुर:स्थापित किये जायं या मेज पर रखे जायं, लेकिन जब वे वितरित हो जायेंगे तो दोपहर के बाद यह चीज किसी वक्त में ली जा सकती है।

प्रश्नों के गलत उत्तर मिलने पर आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आज जो १३–१४ और १५ तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने गलत उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष—वह तो मेरे कमरे में बात करने की है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं विधान का प्रश्न पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उसे उपस्थित करने की इस समय इजाजत नहीं दूंगा आपको।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—श्रीमन्, वह दोनों हमारे विधेयक तो हैं यहां सब के पास।

श्री अध्यक्ष—आपने यह लिखा है कि जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है।

श्री हरगोविंद सिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—अच्छा। जो विधेयक वितरित हुआ है वह मूल विधेयक है। आप देखिये विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, ऐसा कार्यक्रम में दिया है। वह तो मेरे पास अभी अभी आया है, वह वितरित नहीं किया गया है।

*उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

†निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, मैं कल जिक्र कर रहा था जो माननीय गौतम जी ने तथा माननीय पालीवाल जी ने इस सदन के समक्ष कुछ शंकायें प्रस्तुत कीं। गौतमजी ने कहा कि अभी तनख्वाहों की डिसपेरिटी समाप्त नहीं हुयी, सेक्रेटरीज की तनख्वाहें बढ़ा दी गयीं, लैन्ड मास्टर गाड़ियों की जगह यूटिलिटी वैन्स या दूसरी ज्यादा कीमती गाड़ियां दी जा रही हैं इत्यादि इत्यादि। और बहुत सी बातें कहीं। इसलिये हमको सेल्स

---

*२७ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।
†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिये।

मैंने कल जिक्र किया था कि किन कारणों से अभी तक हम वेतनों की विषमता को दूर नहीं कर पाये हैं, किन कारणों से अभी यह सम्भव भी नहीं कि इस विषमता को समाप्त कर सकें। समाजवादी अर्थ व्यवस्था की ओर हम जाते हैं, लेकिन अभी समाजवादी ढांचा पूरी तौर पर हमारा तैयार नहीं हो पाया, शायद उसकी शुरुआत भी नहीं हुयी। यदि समाजवादी अर्थ व्यवस्था या उसकी अर्थ व्यवस्था के ढंग का ढांचा अपने देश में स्थापित करना है तो हम चाहेंगे कि यहां के नागरिकों को तालीम की सुविधा हो, शिक्षा निःशुल्क मिल सके, स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सा की सुविधायें हों, और समाज में यदि, इन मौलिक अधिकारों को नहीं दे पायेंगे तो कैसे हम इन विषमताओं को दूर कर पायेंगे। हां, यह सही है कि हमने इनकी ओर पैर उठा दिया है और जो पैर उठा है उसका मुख्य अंग सेल्स टैक्स भी है जिसके द्वारा धन एकत्रित करके निर्माण कार्यों की ओर बढ़ना है। आज आखिर एक दूसरे से जुड़े हुये तारतम्य को कैसे दूर करें? निर्माण कार्य पूरे करने हैं, विकास करना है उसके लिये धन की आवश्यकता है। यदि धन लें तो निस्संदेह लोगों का यह आग्रह होता है कि धन नहीं लिया जाना चाहिये। और यदि धन न लें निर्माण कार्य न करें तो गरीबी कैसे दूर हो? यदि गरीबी है तो कहा जाता है गरीबों से धन न लीजिये। मैं नम्रता पूर्वक कहूंगा कि गरीबी को दूर करने के लिये, निर्धनता को दूर करने के लिये हमें अपने देश का निर्माण करना आवश्यक है और यदि वह आवश्यक है तो निस्संदेह हमारे देश में टैक्स की आवश्यकता पड़ेगी।

माननीय पालीवाल जी ने एक और जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप यह सारा धन टैक्स इवेजर्स से लीजिये। माननीय गौतम जी ने भी ऐसे ही कहा। पालीवाल जी का कहना था कि केवल इन्कम टैक्स इवेजन करने वालों से अगर रुपया वसूल करें तो शायद ६० करोड़ या २ करोड़ रुपया एक साल में मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सेल्स टैक्स की चोरी करने वाले आपके यहां भी हैं उनसे रुपया लीजिये। मुझे कहना नहीं चाहिये लेकिन मैं आपसे नम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि एक ओर तो आप कहते हैं कि टैक्स इवेजन को रोकें और दूसरी ओर आप यह कहते हैं कि १०, १२ या १५ हजार के टर्न ओवर पर टैक्स रखा है उसको कम करिये या ज्यादा रखिये। यदि टैक्स इवेजन के लिये कुछ और कदम उठाये जायं तो आप टैक्स इवेजन की दुहाई देते हैं। मुझे यह भी कहना है कि टैक्स इवेजन के द्वारा क्या हम प्लानिंग करें, उसके लिये क्या कार्य नहीं किये जाते? क्या आज से कुछ दिन पहले इनकम टैक्स इवेजर्स से धन जिस प्रकार वसूल किया गया सदन नहीं जानता? और क्या उसके सम्बन्ध में आज कदम नहीं उठाये जा रहे हैं? गोली मारने के ढंग को तो हमने स्वीकार नहीं किया और न इसका निर्देश महामानव बापू ने दिया और न हमने कभी इसको स्वीकार किया। हम दूसरे देशों की बात भी तो जानते हैं, गोली मार के उन्होंने किसी समाज का नवनिर्माण किया है? हिंसा के द्वारा किसी समाज का नवनिर्माण किया है? और यदि आज हम उस पुरानी कुप्रथा को दुबारा अपनायें, हिंसा की बात को अपने देश में इस्तेमाल करें तो आखिर फिर हमको यह प्रजातंत्रीय ढांचा बदलना पड़ेगा और मैं नम्रतापूर्वक यह भी कहना चाहता हूं कि टैक्स इवेजन के लिए आज जितने कुछ कदम उठाये जा सकते हैं वह इस देश में उठाये गए हैं, और यदि मेरे मित्र उनको जानते नहीं हैं तो मैं नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि टैक्स इवेजन बन्द हो। इसके लिए हमने कहा है कि बड़ी मशीन या बड़ी फैक्ट्री के मैनेजमेंट में हम गवर्नमेंट का रिप्रिजेंटेटिव दें, लेबर का रिप्रिजेंटेटिव दें जिससे कि टैक्स इवेजन दूर हो। उसको हम दूर कर सकते हैं। किन्तु क्या टैक्स इवेजन पर यह निर्माण का भव्य भवन हम निर्मित करें? क्या हम यह कहें कि हमको टैक्स इवेजन के द्वारा धन मिलेगा? और इसलिये उसके द्वारा हम निर्माण का काम अपने हाथ में लें। और क्या माननीय पालीवाल जी नहीं जानते, यदि आज इनकम टैक्स का इवेजन रोका जाता है तो हमारे प्रदेश को तो उसमें से केवल १७ फीसदी धन मिलता है और उसके द्वारा हम किन आंकड़ों पर अपनेइस निर्माण कार्य को पूरा करेंगे?

माननीय पालीवाल जी ने एक चीज और भी कही । श्रीमन्, उन्होंने कहा कि यह निर्माण नहीं है, सत्यानाश है, विकास नहीं है, विनाश है । उन्होंने कहा कि गांधी जी और उनके शिष्य विनोबा भावे के सारे सिद्धान्तों की हत्या है और यदि मैं आगे यह भी कह दूं कि माननीय पालीवाल जी के सारे सिद्धान्तों की हत्या है तो शायद अनुचित न हो। जिस निर्माण कार्य के लिए, जिस सेकेंड फाइव ईयर प्लान के लिए हमें सवा वर्ष तक अपने प्लानिंग कमीशन को बिठाना पड़ा, जिसके लिए कि हमको कलकत्ता के स्टेटिस्टिकल इंस्टीटचूट के और ओरियन्टल स्टेटिटचूट, दिल्ली के विशेषज्ञों से इस कार्य को कराना पड़ा, स्टेट लेवेल पर, जिसके लिए कि न जाने कितने महीने तक और मैं कहूं कि वर्ष भर से ऊपर तक सारे स्टेट में काम किया गया, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज ने काम किया, जिसके लिए देश विदेश के सारे विशेषज्ञों को एकत्रित किया गया, जिससे कि अनइम्प्लायमेंट दूर हों, इस देश से अनइम्प्लायमेंट को शनैः-शनैः दूर कर सकें उसके लिए पूना में एक कमेटी बिठाई गई जिसने कि वर्षों तक न जाने कितने कितने स्टेटिस्टिकल डाटा और क्या-क्या कार्य किये, आज वह सारे कार्य अगर विनाश हैं तो फिर उसके लिए मैं इस सदन के सामने और क्या तथ्य रखूं? उन्होंने कहा कि टी० टी० कृष्णमाचारी और विनोबा भावे और और कई व्यक्तियों ने इसके विरोध में कहा। हमने तो उसका स्वागत किया। हमने कहा कि जो व्यक्ति चाहे, आज उसकी आलोचना करे। हमने उसको अपने विचार विनिमय का एक अंग बनाया। हमने कहा कि जितने विचार इकट्ठे किये जा सकते हैं उन सबको इकट्ठा करें अन्त में हम कुछ कहेंगे और अन्त में नैशनल डेवलपमेंट कौंसिल के सामने जब कि इस देश के प्रधान मंत्री ने अपना वक्तव्य पढ़ा तो उन्होंने इन शब्दों में इस विचार वैषम्य और इस विचार विनिमय का जिक्र किया और उन्होंने कहा—

"They considered the Draft Plan that had been prepared, and made many criticisms and offered many comments on it, whic we, speaking on behalf of those of the Planning Commissio and the Government, welcome."

यही नहीं . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसका आपको हिन्दी में अनुवाद कर देना चाहिए।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा कि यह जो हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन की मीटिंग की, सभी ने इस ड्राफ्ट प्लान पर बहुत देर तक विचार किया और अपने विचार प्रकट किये और हमने सरकार की ओर से और प्लानिंग कमेटी की ओर से सब का स्वागत किया।

आगे चल कर फिर उन्होंने कहा—

"But it does follow that the will to achieve a common purpose is there, the will to find out what is the right step to take, through consultation, and this has been present throughout to an extraordinary degree."

अर्थात् यह कि हम लोगों की यह इच्छा रही है कि हम सहयोग के द्वारा एक मार्ग निकाल सकें और सही मार्ग को खोज सकें। इसको हमने बहुत विशिष्ट ढंग से सम्पूर्ण करने की चेष्टा की ।

"That is, we try out utmost, by consultation in the largest domain possible, to find some solution for India's problems."

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

यानी अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्र में जो सम्भव है विचार-विनिमय करके हम भारतवर्ष की समस्याओं का कुछ हल निकालने की भरसक चेष्टा करते हैं। कुछ अनुचित नहीं है श्रीमन् यदि देशमुख जी ने कोई बात कही, टी० टी० कृष्णामाचारी ने कुछ कहा और विनोबा भावे ने कहा अनएम्प्लायमेंट है, अभी एम्प्लायमेंट की कमी है। हमने कहा कि हमें स्वीकार है, सचमुच अनएम्पलायमेंट है और यदि मैं स्मरण दिलाना चाहूं तो अखिल-भारत वर्षीय कांग्रेस महासमिति के जनरल सेक्रेटरी श्रीमन् नारायण जी ने भी इस प्रकार का विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभी प्लान में जितना कार्य किया जाना चाहिये था उतना कार्य नहीं हो पाया है। हमने यह सोचा था कि कदाचित् हम ८० या ९० लाख आदमियों को नया काम देंगे। उन्होंने कहा कि यह संख्या दुगनी होनी चाहिये। आगे हमने कहा कि हम इसको दुगुना करने की चेष्टा करेंगे। यही नहीं, विनोबा भावे जी ने भी यही विचार व्यक्त किया था कि अधिक लोगों को काम मिलना चाहिये और पालीवाल जी ने शिकायत की कि हमने गांधीवादी विचारधारा की हत्या की। लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा। गांधीवादी विचाराधारा क्या कोई ऐसी विशेष वस्तु है जिसको कुछ ही व्यक्ति समझ सकें? क्या हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की? गांधी जी ने कहा कि बड़ी-बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं है मानव के लिए। हमने इस सम्बन्ध में एक कार्य समिति मुकर्रर की और उससे कहा कि देश की समस्याओं को सामने रख करके उसके सम्बन्ध में कोई हल निकाले जिससे ज्यादा आदमियों को काम मिल सके। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और आज इस देश ने उस पर कार्य करने की चेष्टा की। इस प्रकार से जहां तक सम्भव हो सकता है हमने विकास करने की इस देश में चेष्टा की है। क्या यह सही नहीं होगा यदि इस सदन के सामने मैं यह कहूं कि हमने कुछ किया है या नहीं इससे यह अन्दाज लगाया जा सके कि हम कुछ करना चाहते हैं या नहीं? क्या ५ वर्ष जो गये उनमें हमने इस देश में कुछ नहीं किया? क्या यह सही नहीं है कि हमने इस देश में जो भूमि आज किसानों के पास थी, उसको बढ़ाया? क्या साढ़े बारह एकड़ से हमने ३० एकड़ भूमि नहीं की? क्या यह सही नहीं है कि किसान को जितना पानी दिया जाता था उससे ज्यादा हमने दिया? क्या यह सही नहीं है कि हमने पौने दो करोड़ नयी भूमि को पानी दिया? क्या इस देश के खाद्यान्न को बढ़ाने की चेष्टा हमने नहीं की? हमने किसान को नया पानी, नयी जमीन और नया जीवन प्रदान करने की कोशिश की और इस देश की इकोनामी और आर्थिक व्यवस्था को एक नयी गति प्रदान करने की चेष्टा की। आज हम जानते हैं कि इस देश में १०० में से ६० आदमी खेती करने वाले हैं और २० आदमी गांव में रहते हैं जिनक पास जमीन नहीं है और बाकी २० आदमी जो शहर में रहते हैं वह मध्यवृत्ति के आदमी हैं। आज ऐसे आदमियों को कष्ट है। कुछ उनमें से व्यवसाय करते हैं, कुछ बिजनेस, कारोबार करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, लेकिन ये केवल २० या २२ प्रतिशत हैं। बाकी आदमी तो गांव में रहते हैं। क्या पिछले पांच वर्षों में हमने उन ६० प्रतिशत आदमियों के स्तर को ऊंचा उठाने की चेष्टा नहीं की है? क्या वे आज प्रगति के पथ पर नहीं बढ़ रहे हैं और गांव के रहने वाले को एक उच्च स्थान पर स्थापित करने की चेष्टा नहीं की है? क्या यह हमने नाश किया है? क्या हमने गांव की समस्या को हल करने के लिये प्रत्येक किसान को हम पानी दे सकें, प्रत्येक पांच गांव के अन्तर्गत एक औषधालय, एक चिकित्सालय, एक जच्चाघर, एक पशु-चिकित्सालय स्थापित कर सकें इसका प्रयत्न नहीं किया? क्या हमने ब्लाक्स के जरिये से, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के जरिये से गांव की व्यवस्था को सुधारने का संकल्प नहीं किया? क्या हमने आगे बढ़ कर कुछ नैतिक स्तर ऊंचा रहे, पंचायत व्यवस्था और न्याय प्रणाली को स्थापित करने की चेष्टा नहीं की? और अगर की है तो यह इस बात का प्रमाण है कि हम आगे भी कुछ करने जा रहे हैं।

कुछ और हमारे मित्र आगे बढ़े। पालीवाल जी और भी आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि यह जो गांधियन विचारधारा थी आज इस विचारधारा की हत्या करके आप इस देश को प्रगति के पथ पर नहीं ले जा सकते। मैं सचमुच उस परिभाषा को नहीं जानता जिसको कि गांधियन विचारधारा कहते हैं। मैं केवल इस परिभाषा को जानता हूं कि इस देश को हम कृषि की ओर से निकाल कर कुछ ऐसी अर्थ-व्यवस्था की ओर ले जायें जो कि औद्योगिक हो और जिनमें उन २० आदमियों को जो गांव में बेकार हैं काम दे सकें जो कि शहरी जीवन का पुनर्निर्माण कर सकें, जोकि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा और घरेलू उद्योग धंधों को पनपा सकें और इस देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकें। यही हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी और आज हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को इस देश में प्रारम्भ करने की चेष्टा की है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---टैक्स पर कहिये। पंचवर्षीय योजना पर नहीं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, माननीय मदन मोहन जी का आग्रह है कि मैं टैक्स पर प्रकाश डालूं। मैंने तो कल कहा था और आज भी कहता हूं कि आज विकास करने की जो आवश्यकता है तो हम टैक्स कौन सा लगायें? मैंने यह भी विनयपूर्वक कहा था कि टैक्स हम तब तक नहीं लगायेंगे जब तक हमारे पास दूसरे साधन हैं। उनका आग्रह है कि टैक्स पर कहूं और मैं भी टैक्स पर ही कहना चाहता हूं। आखिर कौन सा टैक्स लगावें, किस सिद्धान्तों को हम उसमें प्रतिपादित करें, किन सिद्धान्तों द्वारा टैक्स लगावें? मेरे मित्र स्वीकार करें या न स्वीकार करें लेकिन यह तो सही है कि आज इस देश में प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली है और उसमें हम उनकी भी बातों को सुनना पसन्द करते हैं और चाहते हैं कि उनसे हमें कुछ प्रकाश मिले लेकिन यदि टैक्स हमें लगाना है तो कहां लगावें। मेरे मित्र नारायणदत्त जी ने अपनी बाइबिल की पुस्तक को हाथ में लेकर काफी प्रतिपादम किया और उनकी बाइबिल है वही श्रीमन् जिसका नाम टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह मेरी बाइबिल नहीं, आपकी है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---और उसके बारे में उन्होंने बार-बार यह कहा कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने यह कहा और वह कहा। लेकिन आखिर हमें तो टैक्स लगाना है और अगर है तो क्या यह सही सिद्धान्त नहीं होगा कि हमें यह टैक्स ऐसे लगाना चाहिये जिसके द्वारा हमको अधिक से अधिक धन प्राप्त हो सके अपने निर्माण कार्यों की पूर्ति के लिये। नम्बर १। क्या यह दूसरा सिद्धान्त ठीक नहीं होगा श्रीमन्, अधिक से अधिक धन हमको प्राप्त हो सके? तो वह तभी प्राप्त हो सकेगा जब उन वस्तुओं पर टैक्स लगावें जिनका कि उपयोग अधिक से अधिक होता है। नम्बर २। नम्बर ३। यह है कि क्या यह सही नहीं है कि जिन वस्तुओं पर अधिक से अधिक टैक्स होता है उन पर टैक्स लगाने का अर्थ यही है कि लोअर इन्कम ग्रूप्स पर जरूर टैक्स लगाना पड़ेगा और यदि यह सिद्धान्त ठीक है श्रीमन्, तो मैं एक चौथा सिद्धान्त जो कि इस सेल्स टैक्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है उसको अब सदन के सामने रखे देता हूं। अधिक से अधिक वस्तुओं पर टैक्स लगा कर, अधिक से अधिक टैक्स इकट्ठा करने के प्रयास के द्वारा हमने कोशिश की है कि उसका प्रभाव कम से कम व्यक्तियों पर पड़े और श्रीमन्, यदि यह सही है तो मैं अपने मित्रों की सेवा में भी और माननीय नारायणदत्त जी तिवारी की विशेषकर और अन्य मित्रों की सेवा में टैक्स लगाने के सम्बन्ध में जो कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने सिद्धान्त निर्धारित किये हैं उनकी कुछ पंक्तियां पढ़े देता हूं :—

"On the whole the kind of tax system which would be best adopted to meet the requirements of Indian economy having regard to the developmental programmes and the reasources required

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

for it appear to be one which would increase the resources for investment available to the public sector on as small a dimunition as practicable on investment for the private sector and which, therefore, is accompanied by the largest practicable restraint on consumption by all classes."

श्रीमन्, मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं इसकी हिन्दी भी कर दूं और वह मोटे तौर पर यह है कि 'भारतवर्ष की अर्थ व्यवस्था को देखते हुये जिस प्रकार की व्यवस्था सब से अधिक उपयुक्त होगी वह विशेष तौर पर यह जो देश का निर्माण का कार्य है उसको सामने रखते हुये और उसके लिये जो साधन उपलब्ध हैं उनको सामने रखते हुये ऐसा मालूम होता है कि जितना धन पब्लिक सेक्टर से निकाल कर प्राइवेट सेक्टर में लगाया जा सके वह उपयुक्त होगा' शायद मुझ से ट्रांसलेशन में गलती हुई है--

"appear to be one which would increase the resources for investment available to the public sector on as small a dimunition as practicable on investment for the private sector and which, therefore, is accompanied by the largest practicable restraint on consumption by all classes."

कुछ शायद मैंने उल्टा कह दिया। वह यह होगा कि पब्लिक सेक्टर के साधनों में से जितना रुपया प्राइवेट सेक्टर में लगाया जा सके वह सबसे अधिक उपयोगी तरीका होगा। कुछ आगे चल कर उन्होंने यह भी कहा, श्रीमन् :--

"For any substantial receipts from commodity taxation and appreciable restraint on consumption in the economy as a whole it will be necessary to extend excise and sales taxzation to the consumption of lower income produce and the goods which are commonly classed as necessaries, including special goods which are included in the Essential Goods Act, under article 286 of the Constitution."

अर्थात् यह कि किसी भी बिक्री टैक्स के द्वारा साधन हमको प्राप्त हो सकें और वे साधन ऐसे हों जिनसे कि कुछ लाभ हो इसके लिये यह जरूरी है कि जो चीजें नित्यप्रति के उपयोग की हैं उन पर कुछ रोक लगायी जा सके और इसके द्वारा यह आवश्यक होगा कि सेल्स टैक्स या एक्साइज ड्यूटीज के लिये जो कि कम आमदनी वाले व्यक्ति हैं उन पर टैक्स का कुछ बोझ। पड़े और इस प्रकार जो आमतौर पर आवश्यक वस्तुयें समझी जाती हैं कांस्टीटचूशन के आर्टिकिल २८६ के अन्तर्गत, उन पर भी कुछ टैक्स का बोझ। पड़े।

श्रीमन्, यहां बहुत चर्चा की गयी और कहा गया कि यह जो टैक्स आपने लगाया-- माननीय नारायण दत्त जी ने जिक्र किया अमीनाबाद में चलनेवाले, फटेहाल कपड़े पहने हुये बिना जूते के उस व्यक्ति का जिसको वह रोज अमीनाबाद में देखते हैं। श्रीमन्, वही नहीं, हम भी देखते हैं। लेकिन उनको यह भी ख्याल आना चाहिये कि उसको जूता पहनाने के लिये, उसके फटे कपड़ों का इन्तजाम करने के लिये कौन सा मार्ग है? आज यह तो सही है कि उसके तेल पर एक पैसा बढ़ा है या जो कुछ और चीजें हैं उन पर भी पैसा बढ़ा है जिसके कारण उस पर कुछ बोझा पड़ता है। लेकिन वह बोझा नहीं है। वह हम उसके साधन में एक बचत करते हैं और उसके द्वारा इस देश की अर्थ व्यवस्था में कुछ वृद्धि करते हैं। कल मैंने जिनका जिक्र किया उन्होंने एकोनामी का जिक्र किया, न जाने कितनी बातों की चर्चा की। मेरा ख्याल है कि वे बातें गलत हैं क्योंकि उनके द्वारा धन नहीं मिलता, उनके द्वारा जो काम हम करना चाहते हैं वह कर नहीं मिलता, उनके द्वारा जो कि आज हमने कहा कि स्तर ऊंचा करें वह बात हम कर नहीं पाते।

मैंने कहा कि आज हमने एक दूसरे सिद्धान्त को भी प्रतिपादित करने की चेष्टा की है। हमने कहा कि टैक्स हमने इस दृष्टि से भी लगाया है कि टैक्स से धन अधिक मिल सके और टैक्स का भार कम से कम व्यक्तियों पर पड़े। शायद मेरे मित्र मुझसे सहमत न हों। तो आग्रहपूर्वक कहता हूं कि जो लिस्ट बनी गजट में जरा उसको देखने की चेष्टा करें। हमने टैक्स सभी चीजों पर लगाया था। कुछ चीजों को हमने मुक्त कर दिया। किताबों को मुक्त किया, पेपर को मुक्त किया, नमक को मुक्त किया, संदल आयल को मुक्त किया, जिसका बड़ा जिक्र नारायण दत्त जी ने किया कि संदल आयल पर से क्यों हटा लिया। लेकिन इसके अलावा आज हमने टैक्स का बोझा किस पर डाला? श्रीमन्, यदि मैं कह सकूं तो इस प्रदेश के ८० फीसदी आदमियों पर टैक्स का बोझा नहीं पड़ा। जो आदमी गांव में रहता है, जो अनाज का प्रोड्यूसर है, जिसके यहां काटेज इंडस्ट्री है, जो आदमी अपने हाथ की बनी हुई खादी पहनता है, जो आदमी अनट्रेन्ड लेदर का इस्तेमाल करता है, जिसके यहां देशी जूती इस्तेमाल होती है, जो आदमी खंडसारी खाता है उसके यहां तो टैक्स का कोई प्रभाव नहीं है। मैं इसके सम्बन्ध में केवल यह जो लिस्ट ईश्यू हुई इसमें संख्या एम० डी० ९११ (१०) की ओर संकेत कर देता हूं। इसमें आया है कि उक्त धारा के अधीन किसी छूट की मंजूरी से सम्बन्धित पहले के सभी व्यक्तियों को अधिक्रान्त करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि केवल निम्नलिखित सूची में उल्लिखित माल बिक्री-कर से मुक्त रहेंगे। और यह जो उल्लिखित माल उसकी एक सूची चमड़ा और खाल की है। दूसरी कौटन वेस्ट की है। फिर सूची दो प्रारम्भ हुई, उसमें हड्डी, जानवरों का चारा, जिसके अन्तर्गत हरा चारा भी आ जाता है और कोल्हू तथा श्रमदान द्वारा पेला हुआ खाने का तेल। नारायणदत्त जी ने जिक्र किया था कि आपने खाने के तेल को ऐक्जेम्प्ट नहीं किया है। मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि हमने ऐक्जेम्प्ट किया है। इसके अलावा हरी तरकारियां तथा ताजे फल, हाथ का कता हुआ सूत, दूध तथा दूध से बने हुये पदार्थ जैसे छेना वगैरा। अब मैं फिर १३ पर आता हूं। हाथ के कारखाने द्वारा बनी हुई चीजें, हाथ के बने हुये चाकू और कैंची वगैरा और इंडस्ट्रीज द्वारा क्वालिटी मार्क की हुई वस्तुएं, चपड़े की चीजें जिसमें लाख वगैरा आती हैं। अब मैं १७ पर आता हूं इसमें तम्बाकू की सूखी तथा हरी पत्तियां आदि हैं जिनका किसी और तरह से रूपान्तर न किया गया हो। फिर मैं १८ में आता हूं। हाथ के करघे द्वारा बनाये हुये सभी प्रकार के कपड़े। मैं नहीं जानता श्रीमन्, मेरे मित्र कहेंगे कि यह तो कपड़े की बात कही गई। हर एक हाथ का बुना कपड़ा नहीं पहनता। कितने आदमी हैं ८० प्रतिशत में से जो हाथ का बना हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं और इन चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, यदि नहीं करते हैं तो कौन सा सेल्स टैक्स का बार ८० आदमियों पर नहीं पड़ेगा जो गांव में रहते हैं।

एक बात हमें स्वीकार करना पड़ेगी और मैं कहूंगा कि आपके सेल्स टैक्स का बोझ मध्य व्यक्ति पर पड़ेगा। उन पर पड़ेगा जो देश में दूकानदारी करते हैं, उन पर पड़ेगा जो मेरे पेशे के और नारायणदत्त जी के पेशे के लोग हैं। उन पर पड़ेगा जो रोटी खाते हैं, सब पर नहीं। यदि वह ऐसा समझते हैं तो गलती करते हैं, जो रोटी खाने के लिये अनाज पैदा करते हैं उन पर नहीं पड़ेगा बल्कि जो रोटी खाने के लिये अनाज खरीदते हैं उन पर पड़ेगा। अनाज खरीदने वाले बीस हैं और अनाज पैदा करने वाले ८० प्रतिशत आदमी हैं। यदि इन सब पर बोझा नहीं पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा?

मुझे एक बात कहनी है। श्रीमन्, मुझे पालीवाल जी के शब्द याद आ गये। उन्होंने कहा था कि जेल यात्रियों को बधाई दें जिन्होंने जेल यात्रा की है, इसके लिये सत्याग्रह किया है और देशभक्तों के दबाव में आकर सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं। मुझे स्मरण है श्रीमन्, आज से दो वर्ष पहले इस सदन के सामने गाय की चर्चा आई।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यह सही है और यह हो सकता है कि यहां गौकशी न हो और इसके लिये एक कानून बने। हमारे कुछ मित्रों ने, हमारे अखबार नवीसों ने विज्ञप्ति जारी की और एक दल था जो गाय को झंडे पर लगाता था और कहता था कि गाय हमारी माता है। उन्होंने सत्याग्रह कर दिया और कानून बन गया। क्योंकि उस समय पंत जी ने कहा था कि कानून बनेगा। इसलिये उन्होंने कहा कि अच्छा मौका है सत्याग्रह कर दिया जाय तो सारा श्रेय उन्हीं को मिलेगा और गाय की हत्या रोकने वालों को श्रेय मिलेगा। जिस दिन यह बना उसके दो दिन बाद ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमें डिटेल्स में जाना है कि क्या-क्या सुधार इसमें करते हैं। क्या कांग्रेस कमेटीज ने मांग नहीं की कि इसमें सुधार होने चाहिये। हमने किया और श्रेय जेल यात्रियों को मिले। मुझे बहुत दुःख है श्रीमन्, और सचमुच मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई कटु बात कहूं, क्योंकि मैं ख्याल करता हूं कि मेरे मित्र भी उन्हीं बातों का विचार करते हैं जिनका मैं करता हूं। किन्तु मैं उनकी सूचना के लिये उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी यह जेल यात्रा कहीं वोट यात्रा तो नहीं है? आपकी यह जेल यात्रा कहीं वोट कैचिंग डिवाइस की यात्रा तो नहीं है?

श्री अध्यक्ष---सावधान। जरा शांत रहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---और श्रीमन्, मुझे तो दुःख है कि मेरे मित्रों को घबराहट है। मैं नहीं जानता....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप विषय पर ही रहें। चुनाव का मसला इतना दिलचस्प हो जाता है कि फिर वही चलेगा। इसलिये उसको मत निकालिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, इस जेल यात्रा या वोट यात्रा के पीछे कुछ भी हो, इतना मैं नम्रतापूर्वक कह सकूंगा कि यह सही है कि इस देश की सत्याग्रह की लड़ाई लड़ने के लिये, इस देश की माता की चरणों में असंख्य नरमुण्डों को चढ़ाने के लिये इस देश के मध्यम वृत्ति के व्यक्ति ने सदा अपना रक्त प्रदान किया। यदि इस देश की स्वतंत्रता का युद्ध किसी ने लड़ा तो वह मध्यम वृत्ति का व्यक्ति था, यदि किसी ने देश को लम्बा-लम्बा चन्दा देकर देश की लड़ाई लड़ी तो वह मध्यम वृत्ति का दूकानदार था और आज यदि सेल्स टैक्स का कोई भार उस पर आता है तो वह उठायेगा और मेरे मित्र, इनेगिने, चाहे जेल यात्रा करें या वोट यात्रा करें, लेकिन मैं निःशंक होकर कह सकता हूं कि वह मध्यम वृत्ति का व्यक्ति जिस ने देश की स्वतंत्रता के लिये अपना रक्त प्रदान किया है वह इस काम में पीछे नहीं हटेगा और जब वह जानेगा कि इस देश के निर्माण के लिये पैसे की आवश्यकता है तो वह हमें देगा।

मैं और कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र नारायणदत्त जी ने कुछ जिक्र कर दिया श्री बी० सी० राय का। उन्होंने कहा कि उन्होंने दो चुनाव लड़कर बंगाल, बिहार मर्जर वापस ले लिया, आप भी वापस ले लीजिये। मैं नारायणदत्त जी की इज्जत करता हूं और उनके लिये मेरे दिल में बड़ी कोमल भावनायें हैं और शायद वह ठीक कहते हों मैं जानता नहीं। लेकिन वह जानते हैं कि हम इसे वापस नहीं लेंगे और मैं उनकी कुछ बात नहीं कहता, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे हृदय में उनके लिये कुछ भावनायें हैं। लेकिन उनके साथ जो बैठने वाले हैं वह चाहते हैं कि रिक्शा चलाने वाले सड़क पर मरें, अकाल पड़ें, प्लेग आये और अन्त में कहा जाय कि अकाल तो कांग्रेस सरकार की वजह से है। और भी वह कुछ चाहते हैं। वह चाहते हैं कि किसी प्रकार से यह टैक्स के प्रोपोजल्स वापस न हो जायं? क्यों? क्योंकि जब वे वोट यात्रा करें तो लोगों से कहें कि उन्होंने यह टैक्स लगाया है तो वोट किसको देते हो।

श्री अध्यक्ष---आप दूसरी तरफ चले जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि यह विषय नहीं है। आप विधेयक पर आ जायं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने श्रीमन्, जानबूझ कर कुछ जेल यात्रा का प्रसंग छेड़ दिया, क्योंकि उसके संबंध में कुछ श्रेय लेने की बात थी। लेकिन जैसी कि आपकी आज्ञा है, मैं आपसे कहना चाहता था कि आज किसी तरह से हमने इस टैक्स को कुछ एक विशेष रूप देने की कोशिश की है। हमने कहा है कि हम कमोडिटीज पर ही टैक्स लगायेंगे। हमने स्माल कमोडिटीज पर टैक्स लगाया जिससे ज्यादा से ज्यादा धन मिल सके और हमने लगाया कि उसका प्रभाव कम से कम व्यक्तियों पर पड़े। मैं आज कह सकता हूं गौरव के साथ, सेल्स टैक्स जिसका बहुत चर्चा है, जिसके संबंध में लम्बी-लम्बी वक्तृतायें हुयीं उसका प्रभाव शायद देश के बहुत कम व्यक्तियों पर पड़े। कुछ और भी चर्चायें आई हैं यहां पर और माननीय नारायणदत्त जी ने कुछ और चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह जो टैक्सेशन इक्न्वायरी कमीशन था इस कमीशन ने तो यह कहा था कि आप केवल सिंगिल प्वाइंट टैक्स मत लगाइये, मल्टी प्वाइंट लगाइये और उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप सिंगिल प्वाइंट लगाना चाहते हैं तो कम से कम वह ३५,००० के टर्न ओवर पर होना चाहिये। मैंने कुछ अपनी पुरानी आदत के अनुसार और शायद यह समझ कर कि माननीय नारायणदत्त जी भी वकालत से सम्बन्ध रखते हैं वह रिपोर्ट जहां पर सेल्स टैक्स का विवरण दिया गया है, कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने की चेष्टा की और उसमें मुझे यह पढ़ने को मिला कि --

> "It is desirable that the sales tax, in a suitable and not unduly burdensome form, should reach the lower income groups and cover a large number of persons; for this to be possible, the rate of tax has to be low, and the system, a multi-point one."

वही बात नारायणदत्त जी ने कही। इसके अलावा यह कि यह सेल्स टैक्स उपयुक्त है और इसका बोझा अधिक नहीं पड़ेगा। इसीलिये इसका प्रभाव कम आमदनी वाले लोगों पर पड़ना चाहिये और बड़े लोगों पर पर भी प्रभाव पड़े। इसका मल्टीपुल प्वाइंट हो और कई स्थानों पर इसका प्रभाव पड़े। इसके आगे भी इसमें कुछ लिखा है कि जिसको उन्होंने नहीं पढ़ा है। इसमें लिखाहै कि —

> "But this can only be one feature of the tax. For the middle and higher incomes and for dealers at a higher level of turnover, the multi-point aspect of the system should co-exist with the levy of a single point tax. All dealers having a turnover exceeding Rs.5,000 a year should be made liable to the multi-point tax in the combined system that we recommend.

सिंगिल प्वाइंट टैक्स भी हो। इस प्रश्न का यह भी एक पहलू है। मध्यम वर्ग और बीच की आमदनी वाले लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़े तं. इसके लिये मल्टीपिल प्वाइंट के अतिरिक्त सिंगिल प्वाइंट भी यह होना चाहिये। सिंगिल प्वाइंट और मल्टीपिल प्वाइंट साथ चलना चाहिये। मेरे मित्र ने यह कहा कि आपने सिंगिल प्वाइंट बनाया और मल्टीपिल प्वाइंट बनाया और आपने १५ हजार का १२ हजार कर दिया और कहा सिंगिल प्वाइंट करेंगे। ३५ हजार रखना भी गलत है। इसी कमीशन ने यह कहा कि यदि सिंगिल प्वाइंट है तो इस तरह से ५ हजार के टर्न ओवर पर भी टैक्स लगाना चाहिये, इसमें क्या गलत है। और यदि सिंगिल प्वाइंट यह है तो ३५ हजार पर भी लगायें। लेकिन इसी ने आगे बढ़ कर यह कहा कि :—

> "The rate of the single-point tax and the taxable quantum of the dealers liable to tax will have to be determined by each state in accor dance with its revenue requirements and other circumstances."

इस सिंगिल प्वाइंट टैक्सेशन की क्या दर हो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रत्येक राष्ट्र को कितने धन की आवश्यकता हो और दूसरी क्या परिस्थितियां हैं, जिनके अन्दर कितना

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

लगाया जाना चाहिये । मेरे मित्र ने बहुत समय सदन का लिया था । उन्होंने कहा और कुछ आगे बढ़े और इस प्रकार की बातें कहीं कि यह जो इसमें कुछ धाराओं की ओर संकेत है कि यह बिलकुल डिफेक्टिव है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं । माननीय वित्त मंत्री जी ने उनका जिक्र किया है कि जो हमने बदल कर कुछ धाराओं में संशोधन किया है और जो किया है वह यह कि कुछ नयी चीजों को स्थापित किया कि जिनका टर्न ओवर १२ हजार हो या १२ हजार वालों को यह भी स्वतंत्रता है कि यदि वह चाहें तो कम्पोजीशन के द्वारा टैक्स दें । वह यदि चाहेंगे कि उनकी आमदनी इतनी है तो उसके लिये तय कर दिया जायगा कि तुम इतना टैक्स दो । इसका अर्थ यह है कि समझौते के द्वारा वे टैक्स दें । उसकी आमदनी कुल १२ हजार या १० हजार है तो उससे कहा जायगा कि तुम इतना टैक्स दो और वह ३० दिन के अन्दर अपना टैक्स दे दें । फिर उसके लिये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया । इसको तो हमारे मित्र नारायणदत्त जी जानते होंगे, किन्तु यह कम्पोजीशन से तय हुआ तो इसके उपर वह जा नहीं सकते । मेरे मित्र को यह जानना चाहिये कि ३० दिन के अन्दर अगर वह अदा नहीं करता है तो उस पर टैक्स लगा है उसको वह अपील कर सकता है । तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहां हो गया यह मेरी समझ में नहीं आया । अपील की मियाद चार साल कर दी । अपील की मियाद के बारे में उन्होंने कहा कि केवल ९ प्वाइन्ट कर दिये गये हैं । मैंने इसको ढूंढने की चेष्टा की कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट की धाराओं में कहां पर अपील ९ प्वाइंट का प्राविजन हो सकता है ? लेकिन वैसा मुझको नहीं मिला । हां, रिवीजन में जरूर कानूनी चीज देखी जाती हैं लेकिन अपील फैक्ट्स पर होती हैं । इसलिये उसमें लिखा गया कि रिवीजन के लिये ९ प्वाइंट और अपील के लिये चार वर्ष तक की मियाद हमने रक्खी । अपील की मियाद को बढ़ा कर हमने तीन बरस से ४ बरस कर दिया । अब बताइये इसमें बैषम्य कहां दिखायी पड़ता है, कौन सी बुराई इसमें हमने पैदा कर दी है ?

नमक के संबंध में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की । लेकिन संदल आइल के संबंध में उन्होंने कहा कि यह संदल का तेल क्यों छोड़ा गया । उनका इशारा था कि यह जानबूझ कर छोड़ा गया क्योंकि यह लग्जरी की चीज है । कौन नहीं जानता कि संदल का तेल कितनी ही दवाइयों में काम आता है, कितने ही स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है । यही नहीं, बात दूसरी भी थी । बात यह भी थी कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें उन चीजों पर टैक्स करने की बात कही गयी थी जिन चीजों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होता है । यह सभी जानते है कि संदल के तेल का कितना प्रयोग होता है और उस पर टैक्स लगाने से कितना रुपया मिल सकता था । सभी जानते हैं कि वह ऐसी वस्तु नहीं है जिसका ज्यादा प्रयोग होता हो । क्योंकि उसका प्रयोग अधिक नहीं होता इसलिये उसको छोड़ दिया गया और यह टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हुआ ।

श्रीमन्, इसके संबंध में मैं एक चीज और कह कर इसको समाप्त कर दूंगा । मैं समझता था कि माननीय पालीवाल जी, गौतम जी या मेरे मित्र नारायणदत्त तिवारी शायद इस चीज को तो समझ ही सकेंगे और शायद यह सदन इसको स्वीकार कर सकेगा कि हमने जो टैक्स लगाये, जानबूझ कर लगाये और उस वक्त लगाये जब कि प्रदेश में दो चुनाव चल रहे थे । मेरे मित्र गौतम जी और पालीवाल जी ने इसका विरोध किया । उन्होंने कहा कि आपने आर्डिनेन्स क्यों बनाया ? गौतम जी ने कहा कि वह बजट का अंग बन सकता था । पालीवाल जी ने कहा कि जब अपने यहां सत्र चल रहा था तब उसको ले आते । गौतम जी ने इस समय मैं जो विवाद करना चाहता था उसके काटने की चेष्टा की, उन्होंने कहा कि आप यह कहेंगे कि टैक्सेशन ऐसी चीज नहीं है कि उसको फौरन लगाना चाहिये और जहां तक इवेजन की बात है उसके लिये साधन हो सकते थे । मैं आदि से अन्त तक उनको सुनता रहा कि वे कोई साधन बताते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई साधन नहीं बताये । उन्होंने कहा कि टैक्सेशन में बहुत से प्रोपोजल ऐसे हैं जिनके लिये आर्डिनेन्स की आवश्यकता

नहीं है। सत्र के सामने उनको आ जाना चाहिये। मैं जानबूझ कर विवाद में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि इसका कानूनी पहलू और सारा दृष्टिकोण नियमों के अन्तर्गत आ जाता है। जब उच्च न्यायालय के सामने यह मामला गया तो उन्होंने निर्णय दिया कि यह ठीक था कि आर्डिनेन्स पारित किया गया। मैं इस संबंध में इतना कह दूं कि हमने आर्डिनेन्स इस लिये पारित किया कि जिससे हम टैक्स इवेजन को रोक सकते, जिससे कि कुछ आदमी अपने यहां गेहूं के कोठे भर कर तैयार न कर लें, जिससे सारे खाद्यान्न और दूसरी सामग्री जिन पर कि १ अप्रैल से टैक्स लगने वाला था वह निश्चय हो जाय कि किसी को उसका पहले से पता न चले। शायद बहुत से सदन के माननीय सदस्यों को भी यह मालूम हो कि एक परिपाटी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी चलती है और जिसको हम लोग भी दिल्ली में मानते हैं, वहां दो तीन मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं जिनको पहले से ज्ञान होता है कि टैक्स किन-किन चीजों पर लगेगा और वह सदस्य भी पहले से निर्धारित होते हैं मंत्रिमंडल की ओर से, उनके अलावा किसी मंत्री तक को पता पहले से नहीं लगता। मेरे मित्र संभवतः जानते होंगे कि हमारी पार्लियामेंट में, हाउस आफ प्युपिल्स में या हमारी लोक सभा में भी केवल ३ मंत्री ही हैं जिनको लगने वाले टैक्सेज का पहले से ज्ञान हो पाता है, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टिर और प्राइम मिनिस्टर, इनके अलावा नए टैक्सेशन का पहले से किसी को ज्ञान नहीं होता कि कब टैक्स लगेगा, लेकिन हमारे माननीय मित्र चाहते हैं कि उनके टैक्सेज बजट में आने चाहिए थे जिनके द्वारा हमें ५ करोड़ की निश्चित निधि वसूल करनी थी। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे मित्र जरा विचार करें कि यह टैक्सेज जिनके द्वारा किसी स्टेट के लिए धन वसूल किया जाता है वह केवल खेलने की, राजनैतिक विवाद की चीज भी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इसके द्वारा देश की जनता के जीवन-मरण का प्रश्न और जीवन का निर्माण सब कुछ इस पर निर्भर है।

मैं केवल एक चीज का और जिक्र कर देना चाहता हूं और वह यह कि हमको आज उधर से कुछ धमकियां दी जाती हैं और श्री पालीवाल जी ने कहा कि अगर इन टैक्सेज की वसूली की जायगी तो वह सत्याग्रह करेंगे। मुझे तो उनके आगरे के भाषण को भी सुनने का अवसर मिला था, वहां उस चुनाव के जमाने में हड़ताल हो रही थी और उस वक्त गालियां देने वालों का मजमुआ जमा करने का इस बहाने बड़ा अच्छा अवसर था और वहां पर पार्क में श्री पालीवाल जी ने जिक्र किया कि हमारे लिए चुनाव तो बेकार की चीज है.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यहां पर यहीं के भाषण पर टीका होनी चाहिए, बाहर अगर किसी का भाषण हुआ है तो उस पर यहां टीका नहीं होनी चाहिए।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---तो श्रीमन्, मैं उसको वापस लेता हूं। मैं यह जिक्र कर रहा था कि उन्होंने अपने यहां के भाषण में भी कुछ धमकियां दी थीं और ताज्जुब यह है वह धमकियां आज उस व्यक्ति के द्वारा दी जा रही हैं जो कि यहां मिनिस्टर रह चुका है और जिसने इस प्रदेश में इस सेल्स टैक्स को आरम्भ किया था। मैंने कल माननीय वित्त मंत्री से जानकारी करने की चेष्टा की तो उन्होंने बताया कि पालीवाल जी के मंत्रित्वकाल में ही यहां सेल्स टैक्स आरम्भ हुआ था लेकिन आज वह उसी अपने लगाये हुए सेल्स टैक्स का विरोध कर रहे हैं, यह कैसी विषमता है कि आज उसी सेल्स टैक्स का विरोध वह व्यक्ति करे केवल इस लिए कि आज दुर्भाग्यवश वह इधर नहीं है और उन्हें उधर बैठने का मौका मिला है और इस लिये उन्होंने आज जीवन दान दिया है और उन्होंने जीवन अर्पण किया है, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए।

एक चीज का जिक्र मैं और कर दूं। उन्होंने बार-बार महात्मा गांधी का जिक्र किया और माननीय बिनोवा भावे का भी जिक्र बहुत बार किया।

एक सदस्य---वह आपको बुरा क्यों लगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वह मुझे बुरा इस लिए लगा कि जो इसके अधिकारी नहीं हैं वह भी जिक्र करते हैं। मुझे बुरा इस लिए लगा कि जिन्होंने उनकी शिक्षा को धारण करना छोड़ दिया वह उनका जिक्र करते हैं, और वह मुझे बुरा इस लिए भी लगा कि वह व्यक्ति जिसने कल इस सेल्स टैक्स का यहां प्रतिपादन किया वह आज यहां अपना जीवन दान उसके विरोध में करें और उसके लिए वह गांधी जी की दुहाई दे। मैं तो बहुत ही नम्रतापूर्वक कहूंगा कि यह सरकार जिस दल के द्वारा चलती है वह केवल चुनाव की लड़ाई के लिए महात्मा गांधी ने नहीं बनाया था। मैं यह भी नम्रतापूर्वक कहूंगा कि यदि चुनाव की लड़ाई के लिए ही वह दल बनाया गया होता तो उस दल का एक प्रतीक तो मौजूद है---मेरा मतलब जन संघ के उन प्रतिनिधि से है जो अभी आए हैं और पालीवाल जी की कार में .....

श्री अध्यक्ष---मैं इस तरह का जिक्र सदन में ठीक नहीं समझता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---हम जवाब दे लेंगे, उनको बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको भी रोकूंगा यदि ऐसा जिक्र आप करेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैंने उसे वापस ले लिया। मैंने इस लिये वापस ले लिया क्योंकि श्रीमन् का आदेश है और ठीक ही है। मैं यह कह रहा था श्रीमन्, जिस दल के द्वारा आज से कुछ दिन पहले लखनऊ में सभा की गई और कहा गया कि किसानों का लगान हम आधा कर देंगे क्योंकि इलेक्शन जीतना है .....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि फिर आप बाहर की बात करने लगे। आपका भाषण असंगत हो रहा है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बहुत अच्छा। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जिस दल के द्वारा आज इस प्रदेश की सरकार चलती है वह केवल चुनाव का दल नहीं है और वह यदि केवल चुनाव का दल होता तो हम में यह नैतिकता कहां से आती? जब दो चुनाव लड़े जा रहे थे हम छाती ठोंक कर उस आंधी को अपनी छाती पर लेते और कहते कि सेल्स टैक्स हमने लगाया है और ठीक लगाया है। हमने यह कहा कि इस देश के शासन की बागडोर तुमने हमारे सुपुर्द की है, इस देश का शासन हम चलाते हैं, इस देश के निर्माण कार्य का जो बोझ हमारे कंधों पर है और मैं समझता हूं कि जब ऐतिहासिक रूप से हमने इस देश को स्वतंत्रता ली थी तो इसके निर्माण के कार्य को भी हमें ही पूरा करना है और हमने उस बोझ को पूरा करने के लिये यह कदम उठाया।

श्री राजनारायण---रावण भी ऐसा ही समझता था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे मित्र श्रीमन्, बहुत ही व्यग्र हैं, अधीर हैं। न जाने कहां और किस जगह जाकर कौन सा जूता किधर पिंच करता है। अंग्रेजी की कहावत है "व्हेयर दी शु पिंचेज"। तो मैं यह कह रहा था कि मैं इस सम्बन्ध में क्या चर्चा करूं। हममें यह नैतिकता थी उस समय जब चुनाव लड़े जा रहे थे, हमने इसे पारित किया। हममें यह भी नैतिकता है कि आने वाले ८ माह में जब चुनाव लड़े जायंगे तो आज इसको रक्खा है। इस लिये मैं आज केवल इस सदन से नहीं बल्कि संसार से कहना चाहता हूं कि चुनाव में मत दे कर आप इस देश की शासन की बागडोर उसे सौंपते हो तो उससे कहते हो कि इस देश की गरीबी को दूर करने के लिये वह ऐतिहासिक कार्य करो, उससे कहते हो कि इस देश के उस मजदूर जिसके बारे में माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि जूते, कपड़े और मकान का प्रबन्ध करो। इस देश की गरीबी के फोड़े को दूर करने के लिये उसको मत दे कर सर्जन मुकर्रर करते हैं और यदि आप किसी को सर्जन मुकर्रर करते हैं तो वह चाकू लेकर जब फोड़ा चीरता है तो मरीज कभी गाली देता है और कभी थप्पड़ मारता है, चीखता है लेकिन सर्जन को अपना कार्य पूरा करना होता है तो हमको जब अपना सर्जन बनाया है

कि हम गरीबी के फोड़े का आपरेशन करें तो हमें इस कार्य को पूरा करना है। इसके लिये आप नाराज हो सकते हैं। कभी-कभी गाली दे सकते हैं लेकिन कार्य हमको पूरा करना पड़ेगा। अब एक चीज आपकी आज्ञा से और भी कह देता हूं। मैंने यह कहा कि केवल चुनाव के लिये हमने इस दल का निर्माण नहीं किया। हमने निर्माण किया था किन्ही आदर्शों की पूर्ति के लिये। जिन्होंने निर्माण किया उनके झंडे के नीचे जाने का मुझे भी सौभाग्य मिला। उसके निर्माता तो पालीवाल जी हैं और उसमें भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला। इस लिये जिस दल का निर्माण जो इस प्रदेश में चलता है तो उस दल के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये यदि मेरे मित्र व्यग्र भी हों, यदि आज आप यह भी सोचें कि हमको केवल चुनाव के लिये इस कार्य को पूरा नहीं करना है। यह भित्ति चित्र श्रीमन् के सामने प्रस्तुत है जिसकी शिक्षा पर चलने का हम सबको गौरव प्राप्त है--जिस के लिये हमारे साथी कहते हैं कि इस भित्ति चित्र की शिक्षाओं पर हमको चलना है--तो क्या हम पर वह हंसेगा? नहीं अगर आज हम कायरता से कदम पीछे हटाते हैं इस देश के निर्माण को पीछे फेंक कर केवल चुनाव के लिये, वोट पाने के लिये उन लोगों में से एक बने जो कि हमला करें, जो इस देश में फूट डालने का प्रयत्न करें, जो कि देश के निर्माण कार्य को क्षति पहुंचाने की चेष्टा करें (कई आवाजें)। एक मानव ने कार्य आरम्भ किया और कुछ व्यक्तियों ने उस कार्य को अपने स्वार्थों के लिये, और उन कामों के लिये जो उचित नहीं थे, ऐतिहासिक रूप से उस कार्य को चौपट किया। श्रीमन्, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, मैं मंत्री जी से एक जानकारी जानना चाहता था।

श्री अध्यक्ष--वह आप अपने भाषण में कह दीजियेगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि टाइम लिमिट कर दी जाय। अगर एक-एक घंटा का व्याख्यान होगा तो काम समाप्त नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--इस पर मैं बाद में सोच लूंगा। अब इस समय श्री बालेन्दुशाह जी भाषण दे रहे हैं उनके लिए टाइम लिमिट नहीं है।

***महाराजकुमार बालेन्दुशाह** (जिला टेहरी गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री पालीवाल जी को बधाई देता हूं कि जिस बारीकी से उन्होंने इस बिक्री कर से सम्बन्धित विधेयक की चर्चा पर इस राज्य की पूरी निर्माण योजना पर बहस खोल दी और सोचने पर मैं समझता हूं कि कोई अनुचित बात भी नहीं हुई। मैं इस सदन के सदस्यों का ध्यान जो बातें इस सदन में मार्च के महीने में बीती थीं, तो विचार इस सदन में उस समय प्रकट किये गये थे और जो निर्णय इस सदन ने उस समय लिया था उसकी ओर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मार्च के महीने के अवसर पर यहां बजट सेशन हो रहा था और बजट सेशन के दौरान में हममें से सब ने अपने-अपने विचार प्रकट किये। मैंने संभवतः अपने जिले के लिए यह शिकायत किसी मंत्री महोदय के सामने रखी थी कि हमारे यहां कुछ कार्य नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से और सदस्यों ने भी यही विचार रखा कि उनके यहां नलकूप नहीं लग रहे हैं या किसी सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है और इसी प्रकार हर एक सदस्य ने अपने-अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि सरकार जहां इतना पैसा व्यय कर रही है तो उनके क्षेत्र के निर्माण कार्यों में पैसा व्यय नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार की बातें उस समय हो रही थीं, मुझे याद नहीं आता कि उस समय किसी भी एक सदस्य ने यह कहा हो कि संभवतः मेरे क्षेत्र में दो नलकूप बनाने के बजाय केवल मात्र एक ही बनाने से पूर्ति हो जायगी। संभवतः इतना अधिक व्यय करना, इतना बड़ा भारी डेफिसिट पैदा करना उचित बात नहीं और जो निर्माण के कार्य हैं उन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

में भले ही कुछ कमी कर दी जाय किन्तु सरकार के और इस राज्य की जो आर्थिक दशा है उसको इस प्रकार बारम्बार और वर्ष प्रतिवर्ष डेफिसिट में बढ़ाने से उचित नहीं होगा, वह न किया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस सदन द्वारा बनाये हुए कई एक अधिनियम हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट द्वारा रद्द कर दिये गये हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि यह एक सदन की शोभा की बात होगी कि यदि किसी भी अवसर पर हमने पहले जो निर्णय किया यदि किन्हीं कारणों से सदन उस निर्णय को बदलना चाहता है तो सदन को सहर्ष उस निर्णय को बदलना चाहिए। विशेषकर अध्यक्ष महोदय, जब कि एक वित्तीय सम्बन्धी विषय सदन के सम्मुख आता है तो यह एक अजीब परिस्थिति है कि बजट सेशन में तो हमसे जब पैसों की मंजूरी मांगी जाती है तो अदूरदर्शिता के कारण या अपने क्षेत्र के हित के कारण उस समय हम यह नहीं सोच पाते कि आया यह पैसा जो हम इस समय स्वीकार कर रहे हैं वह आयेगा कहां से?

उचित यह होता कि उसी समय जब कि इतने बड़े डेफिसिट के लिये हमारी मन्जूरी मांगी जा रही थी, उसी समय सदन के सदस्यों के सामने यह प्रस्ताव रख दिया जाता कि इस डेफिसिट की पूर्ति इस प्रकार की जा रही है या करने का सुझाव सरकार रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हुआ नहीं और अब हमारे सामने जो परिस्थिति है वह यह है कि हमने सोच-विचार कर बहस करके अपने विचार प्रकट करने के बाद इस वर्ष का जो बजट है उसमें ९ करोड़ का डेफिसिट स्वीकार कर लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इसके पूर्व के वर्षों का भी हिसाब लगाना आवश्यक है। सन् १९५५-५६ में साढ़े ५ करोड़ का डेफिसिट, १९५४-५५ में ३ करोड़ ९१ लाख का डेफिसिट, १९५३-५४ में ४ करोड़ ४२ लाख का और १९५२-५३ में ४ करोड़ २४ लाख का डेफिसिट हमने सोच समझ कर स्वीकार किया। अध्यक्ष महोदय, डेफिसिट की पूर्ति करने का जहां तक मैं देख पाता हूं केवल मात्र दो ही तरीके हैं। एक तो यह है कि नासिक में जो कारखाना है उसका प्रोडेक्स बढ़ाया जाय। किन्तु दुर्भाग्यवश जब कागज की व सम्भवतः स्याही की कमी पायी जाती है तो नासिक के कारखाने पर निर्भर रहना आज सम्भव नहीं। तो यदि नासिक से मदद नहीं मिल सकती तो और कोई उपाय हमारे सामने नहीं है और सरकार के सामने विशेषकर नहीं है कि वह टैक्स लगाये।

अब जो प्रश्न पालीवाल जी ने उठाया मैं समझता हूं बहुत सही उठाया। उनका प्रश्न यह था और फाइनेंस मनिस्टर एक समय होने के कारण वह यह तो कभी नहीं कह पाते कि टैक्स कभी नहीं लगना चाहिये। इसलिये उन्होंने यह बात सामने रखी कि अगर टैक्स लगाने ही का विचार रखा जाता है तो यह इस सदन का हक है कि वह देखें कि टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। यह सदन यह देखे और अपने आप को संतुष्ट करे कि जिस कार्य के लिये टैक्स लगाया जा रहा है क्या वास्तव में जो आमदनी टैक्स से होगी क्या उस कार्य में ही लगेगा और अन्त में सदन यह भी देखे कि जो कार्य सरकार करने वाली है क्या वास्तव में उससे देश और प्रदेश का हित होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि डेवलपमेंट कार्य की जो भी रूप-रेखा सरकार ने बनाई है, प्रथम पंचवर्षीय योजना तो समाप्त हो चुकी है और जो अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई है, उसके सम्बन्ध में जो रूप-रेखा बनी है, यह तो मानी हुई बात है कि जिन्होंने बनाई है उनमें से कइयों की राय में मतभेद पाया जाता है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, इस विषय में विशेष कर उन कन्जरवेटिव्ज में से हूं जिनका यह विश्वास है कि चाहे घर का बजट बनाना हो, चाहे राष्ट्र का बनाना हो कुछ हद तक एक बात पर ध्यान रखना आवश्यक जो अंग्रेजी में है "Cut your coat according to your cloth" किन्तु अध्यक्ष महोदय, इच्छा सब की यही रही कि अधिक से अधिक रफ्तार में और तेजी से प्रगति की जाय। यह बात स्वीकार कर ली गई है कि चाहे वास्तव में प्रगति हो रही हो या नहीं किन्तु प्रगति की ओर एक तेज रफ्तार से हमें चलना है। मैं सरकार की नीति देखता हूं कि जिस नीति के साथ दुर्भाग्यवश मैं सहमत नहीं हूं, कम से कम पूर्णतः

सहमत किसी भी सूरत में नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, कहां तक डेफिसिट फाइनेंसिंग द्वारा हम अपनी निर्माण की योजनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, कहां तक टैक्सेज़ बढ़ा कर हम अपनी आमदनी की कमी की पूर्ति करें और करने की उम्मीद रख सकते हैं? यह मैं समझता हूं यहां इस सदन में केवल मात्र इलेक्शन के दृष्टिकोण से भाषण दे कर इस प्रश्न का हल होना असम्भव है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सरल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना चल चुकी है और जो हमारे वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में वह कोई कर नहीं लगायेंगे, न बढ़ायेंगे उस आश्वासन की उन्होंने पूर्ति की है। अब प्रश्न हमारे सामने यह है अध्यक्ष महोदय, कि जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना है, जिसको कि कई विद्वानों ने एक ऐम्बीशन और इम्प्रैक्टिकेबुल प्लान कहा है, यदि इस प्लान को पूरा करना ही है तो किस तरह हम उसकी पूर्ति के लिये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं डेवलपमेंट की जो योजनायें हैं उनके सम्बन्ध में इस अवसर पर न कहूंगा किन्तु इतना ही संकेत करूंगा कि जब तक कि जनतन्त्र प्रणाली के अनुसार यहां इस देश और प्रदेश का राज्य शासन चलेगा दुर्भाग्यवश हम जो इस ओर बैठते हैं हम अपने विचार प्रकट करने के बाद यदि बहुमत को प्रभावित नहीं कर पा सकते हैं तो जो स्वीकृत योजनायें हैं उसमें सहयोग देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मैं यह नहीं कहता अध्यक्ष महोदय, कि केवल मात्र यहां इस सदन में भाषण देना ही हमारा काम है और विरोध यहां इस सदन में ही हम कर सकते हैं। जितने भी तरीके हैं, सम्भवतः सत्याग्रह भी इसमें हो सकता है, उन सभी तरीकों से हमें और इस सदन में जो विरोधी दल के सदस्य हैं उन्हें अधिकार है कि हर सरत से वह सरकार को अपने विचारों से प्रभावित करने की चेष्टा करें। किन्तु वास्तव में अध्यक्ष महोदय, लाचारी है। यदि हम सरकार को अपने विचारों की ओर नहीं खींच सकते तो मैं समझता हूं कि एक समय कभी न कभी इसका अन्त होगा और अन्त में जब कि हमारी सब चेष्टायें असफल हों, हमें सरकार को सहयोग का हाथ देना होगा क्योंकि सरकार भी उस जनता की प्रतिनिधि है जैसे कि हम हैं। अभी प्रश्न शुरू ही में है। सेल्स टैक्स का विषय नया है। सेल्स टक्स के विरोध में बातें यहां हो रही हैं और इसके अलावा बाहर और जो उपाय हैं उनको भी काम में लाने का अभी अवसर है। किन्तु मैं जब दूर दृष्टि से देखता हूं कि जब भी यह कार्य समाप्त होगा हम को सब को, यदि हम अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो सरकार को जो भी वर्तमान सरकार हो उसका साथ देना ही पड़ेगा? किन्तु अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि टैक्स लगाना है तो उसके कई एक रूप होते हैं। माननीय आचार्य जी ने, आर्डिनेंस का जो रूप यहां अख्तियार किया गया, उसका कुछ हद तक सफाया देना चाहा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टेक्निकल दृष्टिकोण से जैसा कि हाई कोर्ट के निर्णय ने भी स्पष्ट किया, हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। किन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं केवल उसी एक तर्क का उत्तर देना चाहूंगा जो कि मंत्री महोदय की ओर से दिया गया कि यदि सेल्स टैक्स के जो नये सुझाव थे वह आर्डिनेंस द्वारा लागू न किये जाते तो सम्भवतः प्रोफिटियरिंग, होल्डिंग इत्यादि इस प्रकार की बहुत सी कार्यवाहियां हो जातीं जिससे कि न केवल मात्र रेवेन्यू में ही हानि होती बल्कि जनता को भी परेशानी होती। अध्यक्ष महोदय, आचार्य जी ने सही कहा कि हमारे पार्लियामेंट में इस बात का प्राविजन किया गया है कि, जो विधेयक टैक्स मेजर्स के पेश किये जाते हैं वे फौरन लागू हो जाते हैं और यहां इस प्रकार का कोई प्राविजन नहीं। यानी यदि यह बिक्री कर का जो संशोधन विधेयक है यदि यह मार्च के महीने में यहां हमारे सामने लाया जाता तो बजट सेशन के दौरान में तो उस पर बहस न हो पाती और सम्भवतः इसी समय वह पारित होता।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आर्डिनेंस की चर्चा कर रहा था और इस सम्बन्ध में मैं सदन के सदस्यों का ध्यान सरकार की तरफ से जो तर्क इसके पक्ष में दिया गया था उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। सरकार की तरफ से यह कहा गया था और सम्भवतः अभी भी कहा जाता है कि यदि सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में जो संशोधन लाने का सरकार ने विचार किया यह आर्डिनेंस के रूप में न लाया जाता और उसके बजाय एक विधेयक के रूप में सदन के सम्मुख रख दिया जाता तो इससे प्राफिटियरिंग इत्यादि, इस प्रकार की जो बुरी कार्यवाही होती हैं उसके लिये एक अवसर मिल जाता। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस तर्क की जो गम्भीरता बतलायी जाती है वह समझ में पूरी तरह से नहीं आ रही है। यदि यह विधेयक हमारे सामने मार्च के महीने में रख दिया जाता तो उसका क्या परिणाम होता, यह हम देख लें। आर्डिनेंस द्वारा किन्हीं वस्तुओं में दर के जो भाव हैं, टैक्स के जो दर हैं वह बढ़ाये गये हैं। आज अध्यक्ष महोदय, यदि यह मार्च के महीने में व्यापारियों को पता लग जाता कि पहली अप्रैल से इन-इन वस्तुओं के ऊपर टैक्स अधिक दर से लगेगा तो वह क्या कर लेते और क्या कर सकते थे ? अधिक से अधिक वह यह कर लेते कि मार्च के महीने में अपनी किताबों में फर्जी एंट्रीज दिखा कर जो अप्रैल की बिक्री है उसको कवर करने की चेष्टा कर लेते। इससे कितनी हानि होती, कितनी आर्थिक हानि होती इसका अन्दाज देना इस वक्त सरल नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि यदि ऐसा कर भी लेते तो क्या हमारा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को जिसके सामने महीनेवार आंकड़े आते हैं। क्या १२ महीने में से एक महीने में इतना अधिक सेल देखने पर शुबहा न होता ? क्या वह इसको पकड़ नहीं पाते और पकड़ने के बाद क्या उचित कार्यवाही उन व्यापारियों के खिलाफ नहीं ली जा सकती थी। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं समझता हूं कि जो कुछ भी आलोचना आर्डिनेंस द्वारा इस बिक्री कर में संशोधन लाने की की गयी है वह सत्य है और विशेष कर इस बात पर ध्यान देते हुये कि हमारे जो भी टेक्सेशन मेजर्स हैं वह उस दायरे के नहीं हैं, उनके नतीजे से उतना फ्लक्चुएशन मार्केट में नहीं हो सकता जितना कि पार्लियामेंट के सामने जितने टैक्सेशन प्रपोजल्स होते हैं उनका असर पड़ेगा।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं सदन के सदस्यों का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में पहले से सूचना देने में कोई आपत्ति होती तो फिर पिछले दिन मंत्री महोदय, हाफिज जी ने अपने भाषण के दौरान में जो रियायतों का वर्णन किया, जो कि अभी लागू नहीं हुई हैं जिनसे कि जो लाभ व्यापारियों द्वारा उठाने की संभावना और शंका रखी जाती है, वह आज नहीं उठा सकते हैं क्या ? आर्डिनेंस के मुताबिक कापी-बुक्स में, सैंडल वुड और टैक्स्ट बुक्स में सेल्स टैक्स बढ़ाया गया था और अब भी लागू है, किन्तु हाफिज जी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि इन पर जो टैक्स बढ़ाया गया था वह नहीं बढ़ेगा। तो जिस तर्क के आधार पर यह कहा जाता था कि टैक्सेशन मेजर फौरन घोषित करने के बाद ही लागू हो जाना चाहिये, वह तर्क इस वाकयात के सामने कहां रहता है ? हमारे सामने वित्त मंत्री महोदय ने स्वयं इस तर्क का खंडन कर दिया है और इसलिये यह कहना कि केवल आर्डिनेंस की ही मार्फत यह टैक्स मेजर लाया जा सकता था यदि किसी और रूप में लाया जाता तो उससे घोर दुष्परिणाम होने की सम्भावना थी, उस तर्क में अब कोई तत्व नहीं रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री पालीवाल जी ने अपने भाषण के दौरान में एक तर्क यह रखा कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया'। बहुत सही उन्होंने कहा क्योंकि यदि हम देखें तो इतनी चर्चा और इतने आन्दोलन के बाद आज हमको बताया जाता है कि इससे आमदनी केवल मात्र साढ़े पांच करोड़ के लगभग होगी और इस बात पर हम ध्यान देते हैं कि इस वर्ष का डेफिसिट ९ करोड़ का है तब इस संशोधन द्वारा केवल उसका लगभग आधा ही मिलेगा तो फिर यह कहा जा सकता है कि "मच ऐडो एबाउट नथिंग" इससे क्या फायदा ? पालीवाल जी ने यह भी कहा था कि यदि केवलमात्र इतनी आमदनी

बढ़ानी थी तो इतना रुपया तो सरकार और ही उपायों से कर सकती थी और उदाहरण देते हुये उन्होंने कहा कि इतनी रकम एकानामी कर के और फिजूलखर्ची रोक कर के और इतनी रकम इवेजन को बन्द करके हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता और माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया था कि इस दिशा में उनका ध्यान पहले ही से गया हुआ है। प्रश्न यह नहीं है कि इस टैक्स मेजर से हमें केवल साढ़े पांच करोड़ की आमदनी प्राप्त होने वाली है । प्रश्न यह भी नहीं है कि इस आमदनी में किसी और रूप से भी धन पा सकते हैं जो और टैक्स न लगाया जाय, प्रश्न केवल एक ही है और वह यह है कि हमको केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया है कि यह हमारी जो योजनायें डेवलपमेंट वर्क्स के सम्बन्ध में हैं और जो उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये सुझाव दिया था उसमें केन्द्रीय सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि यह राज्य सरकार चाहती है कि यह कार्य फौरन् कार्यान्वित हो तो राज्य सरकार के लिये यह होना चाहिये कि वह अपनी आमदनी, राज्य सरकार की आमदनी, बढ़ा ले। पालीवाल जी ने जो बताया कि खर्च में कमी कर के, एकानामी इत्यादि कर के जो पैसा बचाया जा सकता है वह भी आमदनी का रूप धारण करता है, सही कहा। किन्तु अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यह सेल्स टैक्स न लगाया जाय तो हमारे सामने और क्या है ऐसी चीज जिससे हम आमदनी बढ़ा सकते हैं, लैंड रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, और क्या वह उचित होगा? इन्कम टैक्स का जिक्र होता है लेकिन भूलते हैं हम कि वह एक केन्द्रीय विषय है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। यह भी कहा जाता है कि जब इतना प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है तो क्यों न उस प्रोडेक्शन के ऊपर किसी रूप से टैक्स लगाया जाय? यह बहुत हद तक एक्साइज के मातहत पड़ेगा और वह भी केन्द्रीय विषय है। अध्यक्ष महोदय, पालीवाल जी ने जो कुछ कहा कि खर्च में कमी की जावे, फिजूल खर्ची रोकी जावे, इवेजन रोका जावे, यह तो सब मानते हैं और मैं मानता हूं किन्तु साथ ही साथ उनकी तरफ से मैं यह आशा करता था कि खास कर एक समय वित्त मन्त्री होने के कारण वह हमारे सामने कोई और सुझाव रखते जिससे आमदनी बढ़ायी जाय । खर्च रोकना, एकानामी करना यह इन्डाइरेक्ट तरीका है उससे पैसे की बचत होगी, कंजर्व करना हुआ किन्तु आज प्रश्न केवल इतना ही नहीं है किस प्रकार से हम अपने पैसे का सदुपयोग करें। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण स्थान का है और इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। पालीवाल ने सही कहा कि बहुत कुछ फिजूलखर्ची होती है वह रोकी जा सकती है । इवेजन बन्द किया जाय। उसके जो आमदनी में घाटा होता है वह न होगा। किन्तु आमदनी कैसे बढ़ाई जाय, इसके सम्बन्ध में दुर्भाग्यवश श्री पालीवाल जी ने कुछ अपने भाषण में नहीं कहा। मैं वित्त क सम्बध में बहुत कम जानकारी रखता हूं किन्तु जब यह देखता हूं कि हमारे सामने एक प्रकार का अल्टीमेटम है, एक तरफ़ स हम सब ने यह निश्चय कर लिया है कि हमारे डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वह इसी तेज रफ्तार से चलता रहेगा —केन्द्रीय सरकार ने उस रफ्तार को कुछ हद तक काटा, शेष जो बचा है उसकी पूर्ति के लिये भी, अब हमारे सामने यह अल्टीमेटम है कि यदि इस शेष को भी पूरा करना है तो केन्द्रीय सरकार कुछ रकम से अधिक न दे पायेगी और बाक़ी रकम राज्य सरकार के ऊपर है, वह उसको किसी प्रकार से करें। तो टैक्सेशन के अलावा दुर्भाग्यवश और कोई उपाय निकलता नहीं। मैं यह नहीं कहता कि टैक्सेशन हमेशा आवश्यक ही होता है। मेरे मित्र श्री पालीवाल जी ने सही कहा कि टैक्सेशन से जो आमदनी होगी और उस आमदनी का जो उपयोग होगा उस पर ध्यान करना आवश्यक है। किन्तु मैं अदब के साथ यह कहूंगा कि उसके लिये समय अब नहीं है। समय था, समय भविष्य में पैदा किया जा सकता है। सरकार की नीति पर अविश्वास प्रकट कर के, सरकार के द्वारा निर्धारित निर्माण के जो लक्ष्य हैं उनमें कमी कर के यदि यह सदन की राय होती है कि जिस रफ्तार से कार्य होने का विचार रखा जाता है उससे न हो, जितने ट्यूबवेल्स बनने हैं उतने न बनें, जितने कम्युनिटी पोजेक्ट्स खोले जाने हैं उतने न खोले जायं, यदि यह इच्छा है और मैं समझता हूं बहुत हद तक यह इच्छा और विचार सही भी हो सकता है और इसके लिये मैं

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

केवल अपना ही विचार नहीं किन्तु उन विद्वानों के भी नाम ले सकता हूं और लेता हूं जिनकी भी यह राय है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है यह एक बहुत ही ऐम्बिशस और हद तक इम्प्रक्टिकेबिल स्कीम बनी है। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो लाचारी है कि एक तरफ तो हमने साधनों के ऊपर विचार न कर के लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है और अब उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये हमसे यह कहा जा रहा है, जनता से यह आशा की जा रही है कि वह उसमें मदद करे। तो हमारे सामने कोई और उपाय नहीं दिखाई देता सिवाय इसके कि टैक्स लगायें। उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स के विषयों के ऊपर बहुत चर्चा हुई। हमारे श्री पालीवाल जी का जो संशोधन है उसके अनुसार वह यह चाहते हैं कि यह विधेयक पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट किया जाय। मेरी समझ में नहीं आया कि इस सुझाव से क्या विशेष लाभ होगा? यदि लाभ होता है तो अवश्य किया जाय किन्तु लाभ मेरी कम बुद्धि में समझ में आता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो ज्ञान है कि एक समित बैठाई गई थी सरकार द्वारा इसी सेल्स टैक्स के विषय पर जांच करने के लिये और उस समिति के कुछ सदस्यों ने प्रदेश भर का भ्रमण किया और जगह-जगह से विचार इकट्ठे किये गये। आपको आश्चर्य होगा कि जहां भी इस समिति के सदस्य गये वहां केवल मात्र एक ही प्रकार का सुझाव दिया गया। यदि मैं गल्ले का व्यापार करता हूं तो मैंने समिति के सम्मुख यह विचार रखा कि गल्ले पर न लगाया जाय किन्तु कपड़े पर लगाया जाय। कपड़े के व्यापारी ने कहा कि कपड़े पर न लगाया जाय किसी और वस्तु पर लगाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह आशा करना कि कोई भी कर चाहे कितना ही अच्छा और आवश्यक क्यों न हो किन्तु जनसाधारण को स्वीकृत होगा, मैं समझता हूं यह एक गलती है। कोई भी ऐसा कर मुझे दिखाई नहीं देता जो कि जनता सही वाकयात को न जानते हुए स्वीकार करेगी विशेषकर जब कि किस्म-किस्म के विचार जनता के सामने रखे जाते हैं और रखे जायंगे और स्वाभाविक है कि मतों में अन्तर हो। तो अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव माननीय पालीवाल जी के हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि वह टैक्स लगाने के सिद्धान्त के खिलाफ हैं, उनको जो आपत्ति थी वह यह थी कि आर्डिनेन्स के द्वारा आपत्तिजनक है। मैं आशा करता हूं कि इसमें दो रायें नहीं होंगी।

दूसरी बात यह है कि कौन-कौन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया जाय, इसके सम्बन्ध में कोई विशेष विचार प्रकट नहीं किये। किन्तु यह राय अवश्य है कि जिस प्रकार की वस्तुओं से हटाया जाय वह सोच समझ कर हटाया जाय और सोच समझ कर बढ़ाया जाय। जहां तक अध्यक्ष महोदय, वस्तुओं का सवाल है मैं यह समझता हूं कि इनको तीन ही श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रथम तो यह जो आज की आवश्यकता है यानी टुडेज नैसेसिटीज की चीजें हैं, द्वितीय यह कि टूमारोज नैसेसिटीज की चीजें हैं और तीसरी श्रेणी में लक्जरी की हर एक वस्तु आती हैं। इन तीनों श्रेणियों में से पहली और दूसरी श्रेणी में यह अन्तर है कि आज सरकार की चेष्टा यह है कि उन्नति के साथ-साथ जनता का जीवन-स्तर बढ़े और जो चीजें उसके जीवन के लिये कल आवश्यक हो जायंगी इसके सम्बन्ध में विचार करना होगा। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार जो तरीका अख्तियार किया जाता है तो एक ऐडहाक तरीके से और समझ कर कहता हूं कि जो टैक्सों की दरें हैं वह विभिन्न दरें हैं और वह ऐडहाक तरीके से की जाती हैं। किसी का बोलबाला हो जाय या किसी विशेष वस्तु के सम्बन्ध में कोई सेंटीमेंट हो या ऐसे कंसीडरेशन हों जो बहुत हद तक इरेलेवेंट हों, उनके कारण टैक्स की दरें ऊंची और नीची होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, वस्तुओं का इन तीन श्रेणियों में क्लासिफिकेशन करने के बाद विभिन्न कारणों से रिबेट देने की व्यवस्था की जा सकती है। काटेज इंडस्ट्रीज के संबंध

में सरकार की नीति है कि उनको उत्साह मिले। पहले सवाल यह है कि पहले श्रेणी मुकर्रर हो जाय और रिबेट के रूप में या सहायता के रूप में उनको दे दिया जाय और जब भविष्य में वह सहायता के इच्छुक न हों तो उसकी दर को पूरी कर दें। ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है, क्योंकि यह पाया जाता है कि जो विभिन्न वस्तुओं पर दरें हैं वह किसी एक सिद्धांत पर निर्धारित नहीं की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, फूड ग्रेन्स पर जो कर लगाया गया उस पर बड़ी चर्चा हुई और वैसे देखने पर काफी आश्चर्यजनक बात प्रतीत होती है कि आज सरकार खाने की चीजों पर भी टैक्स लगाने जा रही है? मगर अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। हमारी पहली योजना समाप्त हो चुकी है और इसमें विशेष ध्यान कृषि और गल्ले के उत्पादन में अधिक धन व्यय किया गया था। इसमें मतभेद है कि आया इतनी वृद्धि हुई किन्तु इतना स्वीकार करना होगा कि जितना सरकार कहती है उतनी नहीं हुई, तो भी वृद्धि अवश्य हुई है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह बात पाई जाती है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप फूडग्रेन्स में वृद्धि हुई। अब इसको देखा जाय कि इसका परिणाम क्या हुआ? जब गल्ले का उत्पादन बढ़ा तो उसका स्वाभाविक नतीजा यह हुआ कि गल्ले के दाम गिरे। इससे मैं पूछता हूं कि हमारे काश्तकार पर क्या असर पड़ा। काश्तकार पर इस गिरावट पर जो असर पड़ना चाहिये था। किन्तु जो प्रश्न मैं आपके समाने रखना चाहता हूं वह यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा गल्ले का उत्पादन बढ़ा, लेकिन काश्तकार को यदि लाभ नहीं हुआ तो हानि भी नहीं हुई। अब यदि गल्ले पर टैक्स लगाया जाता है तो उससे किसको चोट पहुंचती है? यह ठीक है कि उत्पादन बढ़ने से काश्तकार को लाभ हुआ, लेकिन काश्तकार को विशेष लाभ नहीं हुआ। पहले जब वह १० मन बेचता था तो आज वह २० मन बेचता है किन्तु इसका लाभ हुआ उन व्यक्तियों को जो गल्ला काश्तकार से खरीदते थे। क्योंकि वे तो मंडी में बैठ कर केवल व्यापार के दृष्टिकोण से गल्ला खरीदते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कंज्यूमर को बचाने की चेष्टा है यह तो एक सैद्धांतिक प्रश्न उठा दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम इंडाइरेक्ट टैक्सेशन की विरुद्ध हैं। कोई भी इंडाइरेक्ट टैक्सेशन ऐसा नहीं है कि जिसका अन्त में भार कंज्यूमर पर न पड़े। अब चाहे उसको किसी भी स्टेज पर लगा लिया जाय मगर वह क्रमशः एक बिक्री से दूसरी बिक्री पर पड़ता रहेगा और अन्त में पूरा जो कर लगा है वह बेचारे कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा। सैद्धांतिक रूप से इसकी सफाई इस तरह से की जा सकती है कि हालांकि कंज्यूमर पर पड़ेगा लेकिन फिर भी यह इतनी कम रकम में इतने विस्तार में बांट लिया जाता है कि उसकी चोट किसी विशेष व्यक्ति को नहीं पहुंचती है। इंडाइरेक्ट टेक्सेशन का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करना, मैं समझता हूं कि यहां असंगत है। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि हमारे हाथ में, राज्यों के हाथ में टैक्सेज का कोई उपाय नहीं है सिवाय इंडाइरेक्ट टेक्सेशन के। इंटरटेनमेंट टैक्स हम लगा सकते हैं, सेल्स टैक्स हम लगा सकते हैं और इसी में हमारी ताकत सीमित है। इसलिये बेचारे जो कंज्यूमर का नाम लिया जाता है और उसके नाम में व्यापारी लोग जो आन्दोलन और शोरगुल मचाते हैं वह कहां तक सही बुनियाद पर है यह सोचने की बात है और इस पर अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि यदि हमें इस राज्य की, अपनी उन्नति के कार्य को पूरा करना है तो केवल मात्र यह इन्डाइरेक्ट टैक्स के एक दो तरीके ही हमारे पास हैं उन्हीं के द्वारा हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और कोई तरीका हमारे सामने नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी समय ले लिया और अन्त में एक बार फिर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आया हमारे सामने कष्ट क्या है। मैं इस संबंध में उसका सारांश यह कि हम चाहें या न चाहें, चाहे वह उचित हो या अनुचित, किन्तु यह बात हमारे सामने स्पष्ट है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं। जब लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस समय विचार प्रकट किये गये थे। पालीवाल

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

जी उस समय यहां नहीं थे, नहीं तो अवश्यमेव जिस प्रकार के विचार उन्होंने प्रकट किये अभी, उस समय भी वह ऐसे ही विचार प्रकट करते कि जो हमारी प्रगति की रफ्तार हो रही है वह इतनी तेज है कि जिसमें कंसोलिडेशन और स्टेब्लिशमेंट साथ-साथ नहीं हो रहे हैं। परन्तु हमारे सामने यह बात नहीं है कि आया हम टारगेट्स कम करें। मैं यह कहता हूं कि यदि टारगेट कम करने की कोई बात हो सकती है तो हम टारगेट को कम कर के टैक्स में रिलीफ दें किन्तु एक व्यापक दृष्टिकोण से हमें यह देखना है कि यदि उन टारगेट्स को पूरा करना है और यदि केन्द्रीय सरकार से हमको केवल सहायता मात्र सहायता मिलती है और उससे अधिक सहायता हमारी वह नहीं कर सकती है तो फिर हमारे सामने क्या उपाय है? विरोधी दल में ऐसे सदस्य हैं जो सदस्य एक समय वित्त मंत्री रह चुके हैं किन्तु हमें इस प्रश्न को साथ ही साथ राजनैतिक दृष्टिकोण के एक प्रैक्टिकल दृष्णिकोण से भी देखना है कि किस तरीके से हम अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि टेक्निकली हमारा यह लक्ष्य नहीं है। सरकार का लक्ष्य है किन्तु डेमोक्रेसी में जब तक यह प्रथा रहेगी कि बहुमत हमेशा एक ही है तो उस विचार से हमारा भी यह लक्ष्य बन जायगा और बनता है कि हम भी इसमें सहायता के लिये सहयोग दें। यदि सरकार के सुझाव में हमें आपत्ति मिलती है तो उस आपत्ति को जाहिर करते हुये हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उसके स्थान पर दूसरा उपाय रखें और यदि उन उपायों को हम न रख पायें और यदि और उपाय न सुझायेंगे तो यह लाचारी है। यदि हम चाहते तो लाचारी के साथ उस लक्ष्य की पूर्ति की ओर सहायता और सहयोग देना हमारा एक प्रकार का कर्तव्य बन जाता है।

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—श्रीमन्.....

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ समय ऐसा निर्धारित कर दिया जाय कि अधिक सदस्य इसमें बोल सकें और योग दे सकें। यह सब की इच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—अब तो मैं शिक्षा मंत्री को बुला चुका हूं। बाद में आप कह सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६५३-६५५ पर)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५६

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—मैं उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी—'छ' आगे पृष्ठ ६५६ पर)

कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५६

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—मैं कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५६, को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६५७-६७५ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—हमसे यह कहा जा रहा है कि इसके लिये ४ दिन नियत है, इसपर विवाद होने के लिये । तब तो मैं समय निर्धारण की आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन, अब इस समय यह सदन बिक्री कर विधेयक पर विचार कर रहा है। सरकार की ओर से माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने एक बहुत ही सारगर्भित भाषण दिया है । मुझे अफसोस है कि इस समय वह सदन में उपस्थित नहीं हैं। श्रीमन्, आप और यह सदन स्वतः परिचित हैं कि यद्यपि सरकारी पक्ष के सम्मानित सदस्य कुछ भी सदन में कहना चाहते हैं तो मैं अपनी ओर से कोई दावा प्रस्तुत नहीं करता, मैं चाहता हूं कि वह खुल कर अपनी बातें कहें और जब कहें तो सहने की हिम्मत भी रखें । इसलिए श्रीमन्, जब कि सरकारी पक्ष को यह अवसर हम प्रदान करते हैं तो यह भी आशा करते हैं कि वह हमारे लिये भी अवसर देंगे ।

जब बिक्री कर विधेयक या कोई भी ऐसा विधेयक टैक्स बढ़ाने का सदन के सामने प्रस्तुत होता है तो यह माना जाता है कि आज जो पंचवर्षीय योजना चालू है या जो प्लानिंग की योजना है उसके बजट की पूर्ति के लिये है । इसलिए हमें यह आवश्यक हो जाता है कि जो सरकार की योजनायें हैं, कांग्रेस सरकार जिस तरह से समाज का निर्माण करना चाहती है आखिर वह सब है क्या? वह तत्वपूर्ण है या वह असार तो नही है? इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं सरकार की एक-एक योजना पर थोड़े में अपना मत प्रकट करता चलूंगा क्योंकि जब तक सदन सरकार की इन योजनाओं को नहीं परखेगा तब तक सरकार की ओर से टैक्सों को बढ़ा कर जो योजना की पूर्ति की बात कही जाती है, सदन उससे अवगत न हो पायेगा। सरकार इन योजनाओं से किस माने में कहती है कि वह विकास कर रही है ? किस माने में कहती है कि वृद्धि हो रही है ? किस माने में प्रदेश धनधान्यपूर्ण हो रहा है ? मैं तो देखता हूं कि सरकार चाहे जितनी घोषणायें करती रहे, चाहे जितनी रिपोर्टस् पेश करती रहे लेकिन वह सब सारहीन हैं, तत्वविहीन हैं । श्रीमन्, यदि हम गौर से देखें तो हम उन योजनाओं को देश को या प्रदेश को आगे ले जाने वाली योजनायें तो नहीं कह सकते, राष्ट्रीय उत्थान की योजनायें तो नहीं कह सकते लेकिन अगर कह सकते है तो कुछ व्यक्तियों के विकास और उत्थान की योजनायें कह सकते हैं । कुछ मंत्रियों और कुछ सरकारी कर्मचारियों के विकास की योजनायें कह सकते हैं । उसके साथ ही साथ देश का ह्रास हुआ है, उसके गौरव को नुकसान हुआ है, देश पतनोन्मुख हुआ है । हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सामाजिक ह्रास, आर्थिक ह्रास, राजनैतिक और आध्यात्मिक ह्रास हुआ है तथा नैतिक ह्रास हुआ है । आप हर माने में देखेंगे कि हमारा प्रदेश ह्रास की ओर चलता चला जा रहा है । जब हम सदन के सामने कोई आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो बार-बार इस सदन में ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ न कुछ आंकड़े सरकारी किताबों में कहीं न कहीं आये रहते है और बार-बार उन आंकड़े को सरकार के सामने रखने का प्रयत्न किया गया लेकिन यह सरकार अब भी अपने कदम को बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है ।

जब हम उत्तर प्रदेश की सरकार की विकास योजनाओं को परीक्षा की कसौटी पर कसते हैं तो उसमें हमें उस विकास को भी देखना पड़ेगा जो उस साम्राज्यशाही हुकूमत ने किया और जिस हुकूमत को मिटाने के लिये हम भी तैयार थे और प्राण की बाजी लगाते थे । उस समय हम जेल में जाते थे तो वोटों को प्राप्त करने के लिये जेल में नहीं जाते थे। यह बात उनके लिये सत्य है जो किसी न किसी तरह बगल मार कर या माफी मांग कर वहां से चले आये या जो एक दिन भी वहां न गये हों और वह आज यहां बैठ कर गलत नीति के बिरोध में जो कुछ कहा जाता है उसको वोट मांगने की बात कहते हैं । उन के मुख के लिये यह शोभनीय हो सकता है । मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, मेरी तो आदत है कि अगर शूल अपनी कटुता को नहीं छोड़ता तो फूल को अपनी सुगन्ध नहीं छोड़नी चाहिए। दुष्ट अपनी दुष्टता को न छोड़े लेकिन मैं तो अपनी साधुता पर ही रहता हूं । मैं तो आपके द्वारा सदन

[श्री राजनारायण]

को बताना चाहता हूं कि यदि उस अंग्रेज की साम्राज्यशाही हुकूमत के आंकड़ों को देखा जाय तो क्या यह सत्य नहीं है कि उनके जमाने में प्रति दिन रेल की एक मील पटरी बिछी है। यह अंग्रेज हुकूमत के जमाने का आंकड़ा है। जब कांग्रेस सरकार की ओर से कुछ आंकड़े दिए जाने लगे तो हम ने औसत लगाया कि डेढ़ सौ वर्ष तक जिस अंग्रेजी राज्य की यहां हुकूमत रही उसके कार्यों का औसत प्रतिदिन का लगाया जाय और इस सरकार के जमाने के कार्य से उसकी तुलना की जाय तब मालूम होगा कि कौन कितना प्रगतिशील रहा है। तो उनके जमाने में प्रति दिन १ मील पटरी बिछी है। माननीय परिपूर्णानन्द जी को शायद यह आंकड़े पसन्द न आयें। इस तरह से अगर देखा जाय और हर साल का हिसाब लगाया जाय तो यहां एक चीनी का कारखाना खुला है और हर चौथे महीने एक कपड़े की मिल खुली है और उधर यह जो गंगा, जमुना और शारदा आदि की नहरें हैं वह सब अंग्रेजों के जमाने की हैं। जो यह जेलखाने हैं वह भी उन्हीं के जमाने से चले आते हैं और आज जिस जेलखाने में २०० आदमी की जगह है उसमें आज ६०० और हजार-हजार आदमी भरे जाते हैं। माननीय परिपूर्णानन्द जी कभी जेल नहीं गये हैं वह क्या जानें? न अंग्रेजी जमानें में और न इस जमानें में वह कभी जेल गये हैं इसलिए उनको आज भी नहीं मालूम है कि जेलों में क्या हालत आज है। तो मैं यह कह रहा हूं कि जितनी कचहरी और थाने खुले हैं वह सब अंग्रेजी जमाने के हैं और बड़ी-बड़ी बिल्डिन्ग और शहर मदरास, कलकत्ता, बम्बई है, दिल्ली है, नैनीताल है, शिमला है, मंसूरी है, यह सब किस राज्य के समय के हैं? यह सब विकास इस तरह की नई योजना बना लेने से, दो चार इमारत बना देने से, रेलवे प्लेटफार्म पर जरा टीन बिछा दिया और एन० ई० एस० ब्लाक के दो चार कमरे बन गए, इसी को अगर कोई विकास समझे तो समझे लेकिन अगर सही मानों में किसी स्टेट के विकास को देखना है तो यह देखने की बात है कि क्या उस प्रदेश के नागरिकों की आय बढ़ी है या गरीब मजदूर और किसान जो देहातों में हैं उनकी पहले कितनी आय थी और अब वह कितनी हो गई है और अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो इस सूबे के आंकड़ों का हिसाब लगाने पर मालूम होगा कि सन् ५० में एक आदमी की औसत आय २१२ रुपया थी और सन् ५४ में उन देहात के लोगों की औसत आय २१२ से घटकर केवल १९२ रुपया ही रह गई। तो इसको सदन के माननीय सदस्य विचार करें कि यह विकास हुआ है या ह्रास हुआ है? २१२ की जगह १९२ रु० औसस रह जाय यह विकास हुआ या ह्रास हुआ?

इसके साथ ही साथ यहां माननीय उप-सुरक्षा मंत्री जी बैठे हैं और वह अपने विभाग को अच्छी तरह से जानते हैं कि देहात में जो यह २० रुपया प्रति व्यक्ति औसत आय की कमी हो गई है उसका नतीजा यह हुआ है कि प्राइमरी स्कूलों में विद्यार्थियों की तादाद कम हो रही है, सन् ५० के मुकाबले में करीब २ लाख की तादाद में विद्यार्थियों की कमी हुई है। इसका क्या कारण है? अगर आंकड़ों को देखा जाय तो आप यह पायेंगे। उसी तरह से श्रीमन् आप देखें कि सरकार की ओर से बराबर इस बात को कहा जायगा कि अन्य उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि अगर ४६ के आंकड़ों को बेस न माना जाय तो ४२ में उत्तर प्रदेश में जितना गल्ला पैदा हुआ है उस औसत में आज भी गल्ला पैदा नहीं होता। यह सरकार बिल्कुल व्यर्थ है और भ्रम जाल के आंकड़े पेश करती है। यह सरकार का कहना बिल्कुल गलत है। ४२ में ज्यादा गल्ला पैदा हुआ है और आज उसके बनिस्बल कम गल्ला पैदा हो रहा है तो फिर कहां विकास और वृद्धि हो रही है।

उनकी योजनाओं के बारे में श्रीमान् मुझे अभी याद आ गया जब कि मैंने अपने मित्र की ओर देखा-रामसेवक की ओर। आज वह व्यक्ति नहीं है लेकिन हिसाब किताब है। उस हिसाब किताब से जो इस सरकार के द्वारा धन का दुरुपयोग हो रहा है और सरकार के अधिकारियों द्वारा धन का दुरुपयोग हो रहा है, एक सच्चा चित्र सामने आयेगा। वह सियाराम बाराबंकी जिले के रहने वाले जिनकी श्री अवधशरण जी उर्फ लल्ला जी, एम० एल० ए० के साथ हत्या की गई उन्होंने अपने गांव में एक पुल बनवाया। मगर बराबर सरकार की ओर से मांग होती गई कि उस पुल को बनवा दिया जाय। ६ हजार रुपया उसने

खर्च किया। कुछ उसको श्रम मिला जिसमें उसको पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन उसके हिसाब के सिलसिले में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बराबर यह कहता रहा कि कम से कम २४ हजार रुपये का हिसाब दो और अगर २४ हजार रुपये का हिसाब बना कर तुम हमें नहीं दोगे तो आगे हम किस तरह से इस तरह का बढ़िया पुल बनायेंगे, हम आगे क्या करेंगे ? अब सम्मानित सदस्यों को इस सदन के बतलाऊं कि २४ हजार की उनकी स्कीम पहले की थी लेकिन ६ हजार में वह बना दिया गया। सारा खर्चा जोड़ कर जितना श्रम लगा, जिसको नहीं दिया गया उसको जोड़ कर १२ हजार ही हुआ और वह २४ हजार नहीं होने पाया। उसने कहा कि हम झूठ क्यों बोलें, बेइमानी क्यों करें, क्यों हमसे गलत लिखाते हो? डिपार्टमेंट बराबर टालता रहा उसको। कोई माननीय मंत्री महोदय इसका हमें उत्तर दें कि इसी तरह से जो विकास की योजनायें सरकार की कार्यान्वित हो रही हैं उनमें क्या उनको जनता के धन का दुरुपयोग होते नहीं दीखता? चौथाई रकम से ज्यादा बरबाद होती नजर नहीं आती? फिर कैसे सरकार दम भर सकती है कि वह जनता के धन का सदुपयोग कर रही है और धन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? धन का दुरुपयोग इससे ज्यादा क्या होगा, और मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अभी बनारस में जहां से माननीय सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री इस प्रदेश के और माननीय कमलापति जी सिंचाई मंत्री जी इस प्रदेश के आते हैं सारनाथ में नया पुल बनाया गया। बनारस के अखबारों को मंगा कर देखा जाय, एक धक्के के लगने से सारा का सारा पुल ढह गया। वहां के समाचार-पत्रों के सम्पादकों ने यह बात कही कि अफसोस तो यह होता है कि जब पुल गिर पड़ा तो उसमें से बालू निकलती हुई पाई गई, तब भी यह सरकार जांच करने के लिये तैयार नहीं है, तब भी उस पर परदा डालने की कोशिश हो रही है।

मैं श्रीमन्, एक बड़े मजे की इस सरकार की योजना के बारे में जिक्र करूंगा। श्रीमन् वह विकास योजना यह थी कि मैं बनारस जेल में था। कैदियों को कैम्प में ले जाया जा रहा था, उन्हें राष्ट्रोत्थान के काम को कराने के लिए योजनाओं में उनको लगाया जाता है। मैंने सुपरिंटेंडेंट को चिट्ठी लिख कर दी कि मैं स्वतः काम करना चाहता हूं, यदि कोई सही मानी में राष्ट्रीय विकास हो रहा है तो उस योजना में मैं भी एक कैदी की तरह शामिल होना चाहता हूं। श्रीमन्, मैंने उस पत्र में स्वतः लिखा था कि नियम की कोई भी बारीकी मुझे कैम्प में जाने से रोके तो आप उसको हार्गिज न मानें और यदि सुपीरियर क्लास में मेरा रहना वहां जाना रोके तो मैं स्वतः सुपीरियर क्लास को छोड़ता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं। (श्री राजनारायण से) आप बैठ जायं।

श्री राजनारायण—आप स्वतः समझ सकते हैं कि इस भाषण पर कोई प्वाइन्ट आफ आडर नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय ने नारायणदत्त जी को प्वाइन्ट आफ आर्डर पर बोलने नहीं दिया था।

श्री व्रजभूषण मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह कोई बजट की स्पीच नहीं है। यह बिक्री कर विधेयक है, उससे संबंधित नीति पर बातचीत करें। कैदी की हैसियत से काम करने के लिये नहीं भेजे गये उसका प्रश्न नहीं है और यह भाषण अप्रासंगिक हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—वास्तव में माननीय सदस्य अगर बाहर की चीजों को न लायें तो उत्तम होगा।

श्री राजनारायण—मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल माननीय नारायणदत्त जी खड़े हुये थे और माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया था कि इसमें कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता और नारायणदत्त जी को कुछ कहने भी नहीं

[श्री राजनारायण]

दिया। मैं समझता हूं कि कोई इसमें ऐसा प्रश्न नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि एक पैसा एक धेला भी टैक्स सरकार की तरफ से अगर विकास योजनाओं का नाम लेकर लगाया जाता है और अगर मैं उन विकास योजनाओं का परदा फाश नहीं करूंगा तो टैक्स के अनौचित्य को कैसे साबित करूंगा? श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि दो दिन के बाद जवाब आता है, जरा माननीय मंत्री महोदय अपने डिपार्टमेंट में जाकर खोजेंगे, कि आप सुपीरियर क्लास स्वतः छोड़ने की घोषणा कर दीजिये। मैंने कहा कि क्या मैंने लिखा नहीं था? अगर कोई फार्म हो तो मैं भर कर दे दूं। मैंने लिखा कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं सुपीरियर क्लास छोड़ता हूं और मैं काम करने के लिये स्वतः अपने को तैयार करता हूं। उसमें यह भी लिख दिया कि यदि अबकी बार आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं इसका यही मतलब लगाऊंगा कि जो इन कैम्पों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जनता के धन का अपव्यय हो रहा है उसको छिपाने के लिये नहीं जाने देते हो, यही मैंने लिख दिया। उसके बाद, सिविल सर्जन ने मुझको कभी देखा भी नहीं, उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन कहते हैं कि "यू आर अनफिट टु गो देअर।"

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इससे कोई संगति नहीं है।

श्री राजनारायण—जितनी इस सरकार की योजनायें चल रही हैं सारी की सारी...

श्री उपाध्यक्ष—इतने विस्तार के साथ इस घटना का वर्णन देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, वक्ता अपने ढंग से समझता है कि आवश्यकता है या नहीं, यह पार्लियामेंट की पद्धति में कहीं नहीं माना गया है कि किसी दूसरे से सीखें कि आवश्यकता है या नहीं। लक्ष्मीरमण आचार्य जी डेढ़ घंटे बोले। मैं आपकी आज्ञा तो पालन करूंगा और आपके संकेत को समझ कर उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको रेफर तो करूंगा, उसका संकेत तो करूंगा। माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य या दूसरे मंत्रीगण क्या भूल गये अहरौरा की उस घटना को जिसमें बांध का बांध बह गया? आजमगढ़ का बांध का बांध बह गया और सारा शहर डूब गया। इसी प्रकार की योजनाओं के लिये रुपया मांगते हैं। कौन ऐसा मूर्ख नम्बर वन होगा जो इस टैक्स को बढ़ाने के हक में वोट देगा। राष्ट्रीय निर्माण को, राष्ट्रीय विकास को हम अपने नुक्ते-नजर से देखेंगे, अपने एंगिल आफ विजन से देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास हो रहा है या नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी तो अब यह भी कहने लगे हैं कि जो इसको राष्ट्रीय विकास नहीं मानता उसको मैं राष्ट्रद्रोही समझता हूं। माननीय मुख्य मंत्री का यह दम्भ भी हमें सुनना पड़ा। माननीय चन्द्रभानु जी जब बिक्री कर के विरुद्ध बोलने गये थे, यही अध्यादेश आया हुआ था जिसको अब कानून का रूप दिया जा रहा है तो उन्होंने एक भाषण दिया। कई संस्थायें हैं, कोई समाज सुधार समिति है, क्या-क्या नाम है, माननीय गेंदा सिंह मुझ से ज्यादा जानते होंगे, कोई भूदान समिति है, कोई बुद्धिदान समिति है, पचासों समितियां बनी हुई हैं। एक समिति में माननीय गुप्त जी में बोलते हुये कहा कि इस आन्दोलन में जो लोग पड़े हुये हैं वह अशिक्षित, स्वार्थी, किन्तु उग्र नीति के मानने वाले हैं। उनका बड़ा लम्बा चौड़ा बयान पढ़ा। माननीय गुप्त जी की सेवा में मैंने एक पत्र लिखा और उनसे मैंने कहा कि माननीय गुप्त जी, आपको अशिक्षित तो मैं नहीं कहता लेकिन आप को शिक्षित समाज का शत्रु कहने का साहस जरूर करता हूं। मैंने अपने पत्र में लिखा और मैंने उनको बताया। गुप्ता जी आंकड़े देते हैं, यह सदन भी इन आंकड़ों को समझ ले। आंकड़े देते हैं कि फलाने मुल्क में ४३ परसेंट टैक्स है, फलाने सूबे में ५० परसेंट, ३५ परसेंट टैक्स है। हमने गुप्ता जी से

निवेदन किया कि मान लीजिये कि कहीं आमदनी १ हजार रुपया प्रति व्यक्ति है और उसका खर्चा ४०० रुपया महीना है, ५० परसेंट अगर वहां टैक्स लगा दिया जाय तो ५०० रु० तो टैक्स होगा, १०० तो बचेगा कि नहीं ? मगर इस प्रदेश की आमदनी १९२ रुपया है और अगर मासिक खर्चा २० रुपया भी रख दिया जाय तो २४० रुपये हो गये तो अगर उस पर ४ पैसा भी टैक्स पड़े तो वह खून चूसना हुआ या नहीं ? क्या किसी ने देखा है कि सुई लगा करके रावणशाही के जमाने में रावण खून लेता था ? जब जनता खाना नहीं पायेगी, कपड़ा नहीं पायेगी, रहने के लिये मकान की व्यवस्था नहीं होगी, दवा दारू का इंतजाम नहीं होगा और टैक्स का बोझ बढ़ता चला जायगा ऐसी हालत में जब सरकार एक पाई भी टैक्स बढ़ाती है तो वह खून को चूसती है और उसी सिद्धांत के मुताबिक मैं कहता हूं कि आज यह हुकूमत गरीबों का खून चूस रही है और कल्पित तरीके से अराष्ट्रीय योजना बना करके राष्ट्रीय विकास का नाम लेती है । श्रीमन्, गुप्ता जी का जवाब मुझे नहीं मिला इस सवाल का। हमने उनको बहुत से आंकड़े दिये थे, अब मैं उन सबको बताऊंगा तो सदन का ज्यादा समय लगेगा। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं इस सदन के सम्मानित सदस्य इन बातों को समझें कि इस प्रदेश की आमदनी क्या है, एक आदमी की आमदनी कितनी है, टैक्स देने की कुव्वत उसमें है या नहीं है और यदि उसमें कर देने की क्षमता नहीं रह गई तो उस क्षमता के ऊपर एक पैसा, एक आना, २,३ या ४ आना बढाना क्या है ? अन्याय है या नहीं ? यह हक का काम है या नाहक का ? मैं कहता हूं कि बिक्री कर को आज सरकार जिस ढंग से बढ़ा रही है वह जोर जुल्म का काम है, नाहक का काम है, अन्याय है और इससे राष्ट्र और प्रदेश का विकास नहीं होगा, देश का ह्रास होगा, जनता नीचे जायगी, वह अपनी तरक्की नहीं कर पा सकती।

यू० एन० ओ० में ७६ राष्ट्र हैं और अन्न के बारे में हिन्दुस्तान का नम्बर ७६ वां है, सबसे पिछड़ा हुआ मुल्क है और सबसे पिछड़ा हुआ होने के कारण मंत्री लोग अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिये नकल करेंगे दूसरे मुल्कों की। जिस प्रदेश की हुकूमत के पास पैसा न हो, जिस प्रदेश की हुकूमत को कोई राष्टीय विकास के कार्य को कार्यान्वित करना हो, पैसे की कमी की घड़ी में हुकूमत के मिनिस्टरों की तनख्वाहें बढ़ाना अन्याय है, उनके लिये सहूलियतें कैसे बढ़ सकती हैं ? सदन के सम्मानित सदस्य इसका जवाब दें। अगर पैसे की कमी थी तो करोड़पतियों से लो। एक जवाब आसानी से दे दिया जाता है सरकारी पक्ष की ओर से कि अगर मान लें, इतने लोगों की आमदमी ले लें तो कितनी आमदनी हो जायगी ? इस समय मैं उधर नहीं जाऊंगा, बाद में ब्योरे से आऊंगा मगर मैं अभी यह कहना चाहता हूं कि अगर एक पैसा ऐसा भी हुकूमत मांगती है तो हम क्यों दें और अगर हम नहीं देते हैं तो रंज क्यों होता है ? यह अपने को जनतांत्रिक कहते हैं। श्रीमन्, अब आप जरा इस बात को सोचें कि यही हुकूमत सन् १९४६ में बनी, यही हुकूमत करीब सन् १९५२ में बनी। मंत्री लोग करीब-करीब वही है सब मिलाकर २८ हो गये हैं मंत्री, उपमंत्री पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी इन सब को मिला कर। मगर उसको देखा जाय.....

एक सदस्य—कुछ छूटे भी ।

श्री राजनारायण—मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूं कि डा० सम्पूर्णानन्द भी वैसे, श्रीमान् गुप्ता जी भी वैसे और मोहन लाल गौतम वैसे, मैं आपको साफ बताता हूं। सब एक ही चट्टे के बट्टे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह आप व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, वह जरा जवाब दे रहा हूं।

मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता कि सी० बी० गुप्ता अच्छे या सम्पूर्णानन्द अच्छे या मोहन लाल गौतम खराब या कौन अच्छा कौन खराब, यह व्यर्थ का विवाद है, मैं इसमें

[श्री राजनारायण]

जाना ही नहीं चाहता, अगर वह कांग्रेस पार्टी में हैं तो सब वैसे ही हैं। अच्छे हम अपने को मानते हैं, उसको छोड़कर अलग हो गये हैं। जो अपने को अच्छा मानता है वह कांग्रेस में रह ही कैसे सकता है? अगर अच्छे हो तो उसी में लपटे-घसीटे क्यों चले जा रहे हो।

हरिजनों के बारे में मैं थोड़ा सा कह दूं, श्रीमन्, वैसे मैं उसको बाद में लेना चाहता हूं। यहां विकास की बात करते हैं। बहुत से हरिजन और बैकवर्ड कम्युनिटी के सदस्य यहां हैं, वह मुझे माफ करेंगे। बार-बार यह कहा गया कि आज हिन्दुस्तान की लड़ाई पोलिटिकल, राजनैतिक समानता, इक्वैलिटी और लीगल इक्वैलिटी, कानूनी समानता की नहीं है। हिन्दुस्तान की लड़ाई सोशल इक्वैलिटी सामाजिक समानता की है, इकोनामिक इक्वैलिटी (आर्थिक समानता) की है। लेकिन कोई आदमी, माननीय मुख्य मंत्री का बयान पढ़कर, कोई हरिजन एम० एल० ए० उस बयान को पढ़कर समझ सकता है कि क्या नीति उनकी है? वह कहते हैं कि हरिजन मंदिर प्रवेश भी होगा और मंदिर के मान मर्यादा की सुरक्षा भी हमें करनी होगी। क्या बात है, क्या बात कही? इसमें कितने धन का दुरुपयोग हो रहा है? श्रीमन्, आप सोचेंगे कि इसमें कैसे दुरुपयोग हो रहा है? तो मैं एक-एक कारण बताने के लिये तैयार हूं। हरिजन सहायक विभाग है, उनको न जाने कितना रुपया मदद दी जाती है, न मालूम कैसे-कैसे वह खर्च किया जाता है, न मालूम कैसे-कैसे मुकदमेबाजी चल रही है, दो दो, तीन तीन वर्ष से मुकदमेबाजी हो रही है। वह रुपया कहां से आता है? हमारे पास से ही तो आता है, जनता की कमाई से ही तो आता है। इसलिये इस तरह की बातों को न छेड़िये। मैं माफी चाहूंगा अपने कांग्रेस के एम० एल० ए० भाइयों से कि इस समय वह हमें इन बातों की ओर न ले जायं। सारा का सारा रुपया यों ही जा रहा है। तरह-तरह के विभाग खोल करके, कोई बैकवर्ड सहायक समिति खोल करके कोई, और विभाग खोल करके सब का सब रुपया आज किधर खर्च किया जा रहा है? वेस्टेड इंटरेस्ट, स्वार्थ को स्थायित्व प्रदान करने के लिये कायम किये जा रहे हैं। उन लोगों को सहायता देकर जो कि कांग्रेस की जी हुजूरी कर सकें, कांग्रेस की हां में हां कहें, इस तरह से सारे हमारे धन का दुरुपयोग हो रहा है। जब उसका हिसाब कसौटी पर कसा जायगा तो सारा सदन इस बात को अच्छी तरह से जान सकेगा। आज अगर कोई दुनिया में आर्थिक समानता की बात करे। इकोनामिक इक्वैलिटी की लड़ाई लड़ने की, सदुपदेश देने की कोशिश करे और वह यह कहे कि सामाजिक समानता की लड़ाई छोड़ दो, तो यह हर्गिज नहीं हो सकता। आज हमारा प्रोग्राम, सोशलिस्ट पार्टी का प्रोग्राम, इकोनामिक इक्वैलिटी का, सोशल इक्वैलिटी का प्रोग्राम है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि जब तक हिन्दुस्तान में हरिजन अनटचेबिल (अछूत) माने जाते रहेंगे तब तक हिन्दुस्तान की आजादी बेकार है, वह आजादी, आजादी नहीं ह। लेकिन वह विकास की बात करते हैं।

आज नौ वर्ष से हुकूमत चल रही है कांग्रेस की, वह बतायें कि इसमें कितना विकास उन्होंने किया है? मैं आपसे यह कहूंगा कि यह धन का दुरुपयोग है और इस बिक्री कर विधेयक पर जो चार दिन या ६ दिन बहस होगी यह भी धन का दुरुपयोग ही है। धन का दुरुपयोग इस मानी में है कि पहले बिक्री कर के बारे में जो इस सदन में वाद-विवाद हुआ था और जो जनता की आकांक्षाओं को मूर्त्तिमान स्वरूप प्रदान किया गया था, इस सदन के उस वादविवाद को देखा जाय। क्या उस समय हमने नहीं कहा था कि नमक पर टैक्स नहीं लगना चाहिये था, क्या हमने नहीं कहा था कि किताबों पर टैक्स नहीं लगना चाहिये था, क्या हमने यह नहीं कहा था कि न्यूजप्रिंट पर टैक्स नहीं लगना चाहिये था? उन बातों को छोड़ देते हैं और फिर आप सोचेंगे श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने कल कहा कि यह न सदन समझ ले कि यह कोई अंतिम बिक्री कर का विधेयक है। छः महीने के अन्दर-अन्दर कोई विधेयक और आ सकता है और यदि छः महीने के अन्दर कोई

विधेयक और आने वाला है तो आज ही जल्दी क्या है ? क्यों यह हुकूमत परेशान है ? क्यों इस तरीके से एक अनुचित विधेयक लाद करके गरीबों के खून को वह चूसना चाहती है ? क्यों नहीं इन्तजार करती केंद्रीय सरकार का जिससे बिक्री कर का सामान्य नियम हो। क्या जल्दी पड़ी हुई है, यह समझ में नहीं आता। मैं यह निवेदन कर रहा था कि सम्मानित सदस्य व्यर्थ के वाद-विवादों में न तो स्वतः जायं और न किसी को ले जाने की कोशिश करें।

जो वस्तुस्थिति है, आब्जेक्टिव सिचुएशन है, उसको मैं आपके द्वारा इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं। वह आब्जेक्टिव सिचुएशन यह है कि आज गल्ले की सिचुएशन क्या मानी जाती है ? गल्ले के लिये कई बार पं० जवाहरलाल जी नेहरू ने भी और बहुत से नेताओं ने भी कहा कि जब देश में अन्न का संकट हो तो अन्न के संकट के निवारण के लिये जिस तरह से लड़ाई के जमाने में काम होता है उस तरह से कार्य किया जा सकता है, यह भी नेशनल इमर्जेंसी के रूप में समझा जा सकता है। आज गल्ले पर बिक्री कर क्यों लगे, माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई उसका समुचित उत्तर नहीं दिया। वित्त मंत्री जी यह कहते हैं कि किसान जो गल्ला पैदा करेगा उस पर बिक्री कर हम नहीं लगायेंगे। कहां लगायेंगे ? वह उनका प्वाइन्ट कहां आयेगा, यह उन्होंने साफ नहीं किया है। उन्होंने कल यह कहा कि ३ प्वाइन्ट हो सकता है, ४ प्वाइन्ट हो सकता है, ५ प्वाइन्ट हो सकता है, यह नाटकीय ढंग है। इस नाटकीय ढंग से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। तो वह कहां लगेगा ? किसान जो गल्ला पैदा करता है उस पर नहीं लगायेंगे, तो किसान पैदा ही करता है या खरीद कर खाता भी है ? या देहात का गरीब पैदा ही करता है या खाता भी है ? अगर सरकार की हिम्मत हो तो कहे कि जो खेतिहर मजदूर हैं वह जब गल्ला खरीदेंगे तो उन्हें कोई सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देहात में जो लोग मजदूरी कर के अपनी रोजी पाते हैं वह खरीदेंगे तो उन्हें नहीं देना पड़ेगा। जो हरिजन सामूहिक रूप में बरबाद हो रहा है खाने के लिये, शिक्षा के लिये, रहने के लिये, पहिनने के लिये। वह जितना गल्ला खरीदेगा सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं हुकूमत ने ये सब बातें कह दीं ? हरिजनों के पास खेती है, बतायें माननीय सदस्य ? ४० लाख आज गरीब खेतिहर मजदूर हैं जो गल्ला खरीदकर खाते हैं और बहुत से लोग हैं। ७३ फीसदी किसान दो एकड़ से कम जमीन रखता है हमारे प्रदेश का। वह ७३ फीसदी किसान कितना गल्ला पैदा करेगा, कितना गेहूं पैदा करेगा, कितना चावल और दाल पैदा करेगा जिससे उस पर बिक्री कर न लगे और वह उसको खरीदना न पड़े ? खरीदना पड़ेगा, इसलिये यह नारा सदन में उठाना श्रीमन्, कि बिक्री कर किसान पर नहीं लगेगा, यह सरासर गलत है। "किसान" शब्द भी बड़ा भ्रामक है। इससे भी जरा सदन के लोगों को परिचित हो जाना चाहिये कि किसान किसे कहते हैं। आज एक हजार, दो हजार, तीन हजार, ४ हजार एकड़ खेती करने वाले लोग भी किसान के नाम से संबोधित होते हैं। इसलिये उस शब्द को कह करके इस सदन में भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिये। हमारा "किसान" से तात्पर्य उन्हीं छोटे-छोटे लोगों, टिलर आफ दि स्वाइल से, जमीन के जोतने वाले से है। वह खेतिहर मजदूर जो जीवन के सहारे से वंचित हैं, जिनके जीवन के लिये कोई सहारा नहीं, जिनके जीवन का स्रोत सूख रहा है, जिन्दगी का चिराग बुझ रहा है, उन से मतलब है। उसे उसी अर्थ में लेना चाहिये। जितने पिछड़े लोग हैं, जिसमें पिछड़ी जातियां आती हैं, अहीर, कुर्मी, भर, कितनी जमीन उनके पास है ? कैसे खाते हैं ?

रिक्शा चलाने वाले हैं, श्रीमन्। एक बार हमने रिक्शा चलाने की कोशिश की। पैर भी हमारा कट गया और उसको हम खींच भी नहीं पाये। मैं निवेदन करूंगा कि मैं अपने को इसके लिये दोषी मानता हूं क्योंकि मैंने अभी तक रिक्शा पर चलना छोड़ा

[श्री राजनारायण]

नहीं है। मगर देश भर में मैं आपको बताऊं डाक्टर राममनोहर लोहिया खासकर, बराबर कहा करते थे हैं कि हमें रिक्शा पर नहीं चढ़ना चाहिये और यह अशोभनीय है कि एक मनुष्य अपने को दूसरे मनुष्य से खिचवाये। मैं परिस्थितिवश अपने को ठीक नहीं कर पाया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि उन कांग्रेस मंत्रियों में से जो आज टैक्स को बढ़ा रहे हैं जरा एक दिन रिक्शा खींचने की कोशिश करें और यह देखें कि रिक्शा खींचने वाले कितना गल्ला पैदा करते हैं। यह उसी रिक्शा को खींचकर जो कुछ मजदूरी पाता है उस पैसे से जाकर गल्ला खरीदता है, वह गल्ला खरीदने पर उसको टैक्स देना पड़ेगा और उस पर बिक्री कर का बोझ पड़ेगा। इसीलिए डाल्टन ने कहा कि बिक्री कर एक बड़ा रिग्रेसिव टाइप का टैक्सेशन होता है। बिक्री कर में उसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है, जिनके खान्दान में ज्यादा लोग होते हैं जिनको ज्यादा सामान खरीदना पड़ता है और जैसा कि लोग कहा करते हैं यह बिक्री कर सही मानों में बिक्री कर नहीं है बल्कि खरीद कर है, बल्कि इसको उपभोक्ता कर कह लीजिये और उपभोक्ताओं पर ही उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ज्यादातर बिक्री कर से कौन परेशान होता है? व्यापारी वर्ग तो हिसाब-किताब के फेर में परेशान होता है और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी सरकार की ओर से हुई है, मगर जो भी तर्क सरकार की ओर से दिये जाते हैं मैं समझता हूं कि सदन का एक भी सम्मानित सदस्य ऐसा अब नहीं होना चाहिये कि वह उन तर्कों से अपने को सहमत पाये? उसमें कोई सार नहीं, कोई तत्व नहीं। केवल बहुत से आँकड़े किताबों को लेकर पढ़ दिया करें लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज जो हालत हमारे मुल्क में पैदा हुई है, हमारे प्रदेश में पैदा हुई है। वह हालत यदि सरकार का कहना सही है तो नहीं पैदा होनी चाहिये थी और सरकार का कहना गलत है, असत्य है इसीलिये वह हालत पैदा हुई। श्रीमन्, तमाम लोग बैठे रह गये मगर बिक्री कर अध्यादेश जब पहली अप्रैल से लागू हो गया तब इसके विरोध में जो जनविक्षोभ पैदा हुआ, जो जनजागरण हुआ, आप सब इस बात के साक्षी होंगे कि क्या इस तरह की हड़ताल, इतनी लम्बी हड़ताल, इसके पहले भी कभी हुई?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--वह आपकी ही वजह से हुआ।

श्री राजनारायण--ठीक कहा परिपूर्णानन्द जी ने, कि हमारी वजह से हुआ और आगे होगा और हमारी ही वजह से वे वहां से हटेंगे। हां, तो मैं यह कह रहा था कि मैं लीगल क्विब्लिंग्ज में नहीं पड़ना चाहता, हम तो सही-सही बात देखते हैं। माननीय परिपूर्णानन्द जी सिर्फ कानून का सहारा लेकर और एक कानून का जंगल लेकर आयें लेकिन उससे हमको खाना नहीं मिलेगा और उससे हमको कपड़ा नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा? आंकड़े ये देते हैं, आंकड़े हम देना नहीं चाहते थे। मैं थोड़े ही में निवेदन करूं कि श्रीमन्, हमारे पास बहुत से मेमोरैन्डम आये। मैं आज इस पर बोलना नहीं चाहता था, हमारी तबियत खराब थी लेकिन सदन में आ गया और बहुत से लोगों ने कहा तो मैंने कहा लाओ आज ही बोल लूं।

यह सरकार बराबर कहा करती है कि उत्तर प्रदेश में बिक्री कर से आमदनी कम होती है और जब-जब यह बिक्री कर को सामने लाते हैं तो मद्रास और बम्बई को लाकर खड़ा कर देते हैं और उसी मद्रास और बम्बई के हिसाब से अपने को ले चलना चाहते हैं। जरा यह देखा जाय कि बिक्री कर का हिसाब-किताब मद्रास में क्या है, बम्बई में क्या है और क्या हिसाब-किताब दूसरे प्रान्तों में है? गल्ले के बारे में बतलाया गया कि गल्ले पर तो कर लगना ही नहीं चाहिए और बहुत से प्रान्तों में गल्ले पर तो कर है ही नहीं। सब से बाद फिर आता है बम्बई। कपड़े के ऊपर लीजिये तो उस पर जो बिक्री कर की दर है और यह सब सिंगिल प्वाइन्ट है, यह भी माननीय परिपूर्णानन्द जी समझते होंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—समझा देंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आप से एक बात निवेदन करूंगा कि आखिर इस सदन में सब सम्मानित सदस्य हैं और जब हम खुद इतना लेटीट्यूड देते हैं कि वह कुछ कहना चाहेंगे तो हम स्वयं बैठ जायेंगे और उनको कहने का मौका देंगे तो फिर माननीय परिपूर्णानन्द जी जोर से क्यों नहीं कहते। यह फुस-फुस मार्का हमको पसन्द नहीं है। तो मैं यह कह रहा था श्रीमन्, कि कपड़े पर जो बिक्री कर की दर है वह आन्ध्र में ३ पाई, हैदराबाद में ३ पाई, मद्रास में ३ पाई, मैसूर में ३ पाई, ट्रावनकोर कोचीन में ३ पाई, उड़ीसा में ३ पाई, कच्छ में ३ पाई, बिन्ध्य प्रदेश में ३ पाई, बिहार में ३ पाई, आसाम में ६ पाई, बम्बई में ६ पाई, दिल्ली में ६ पाई, मध्य प्रदेश में ६ पाई, मध्य भारत में ६ पाई, मनीपुर में ६ पाई, पंजाब में ६ पाई, पेप्सू में ६ पाई। यहां कितना होगा, माननीय परिपूर्णानन्द जी? १ आना, १२ पाई। अब इसका हिसाब देखिये कि बिक्री कर की यह दर रखकर इन सूबों में आमदनी कितनी होती है? तो आन्ध्र में ३ करोड़ १५ लाख रुपये—ये सही आंकड़े हैं, एस्टिमेटेड मैं नहीं दे रहा हूं, ५४-५५ में माननीय परिपूर्णानन्द जी देखेंगे। हैदराबाद में २ करोड़ रुपये, मद्रास में ९ करोड़ ५० लाख। और दर क्या है मद्रास में ३ पाई, मैसूर में १ करोड़ ५७ लाख, ट्रावनकोर कोचीन में २ करोड़ ५ लाख, बिन्ध्य प्रदेश में १८ लाख, बिहार में २ करोड़ ३२ लाख, बम्बई में १६ करोड़ ६१ लाख। बम्बई और मद्रास का हिसाब अगर देखें तो मद्रास में ३ पाई और बम्बई में ६ पाई की दर है। यानी करीब-करीब दूने से कम का हिसाब बम्बई में आयेगा। बम्बई में जो ६ पाई है उस ६ पाई बढ़ौत्तरी का औचित्य वहां की जो बिक्री कर से आमदनी होती है, उस से आ जाता है। अब जरा कपड़े के उत्पादन को भी हम देख लें कि बम्बई में कितना कपड़ा पैदा होता है, मद्रास में कितना होता है और यू० पी० में कितना होता है और कितने कारखाने वहां हैं और कितने यहां हैं? तो वार्षिक उत्पादन कपड़े का २ अरब के ऊपर तो बम्बई का हुआ, ४८ करोड़ के ऊपर मद्रास का और १६ करोड़ हुआ उत्तर प्रदेश का। अब माननीय परिपूर्णानन्द जी क्या चाहेंगे? मैं उनका नाम तो गलती से ले लिया करता हूं क्योंकि हाफिज साहब को कभी-कभी वे रिप्रेजेन्ट करते हैं। कोई उनके प्रति इलविल हमारी नहीं है। बम्बई में ३३९ कारखाने हैं कपड़े के, मद्रास में ९८ और उत्तर प्रदेश में ३४।

उत्तर प्रदेश में कारखाने बढ़ा कर अगर आज वर्तमान कांग्रेसी हुकूमत १५०/२०० कर दे तो इधर सरकार का ध्यान नहीं जायगा। इस पर तो आपका ध्यान बाद में आयेगा। आप यह सोचेंगे कि बम्बई में या मद्रास में जो बिक्री कर ९ करोड़ और १६ करोड़ हो रहा है तो हम भी अपने यहां कारखाने न बढ़ाकर, उत्पादन न बढ़ाकर जहां वहां तीन पाई और ६ पाई है, वहां हम १२ पाई कर दें। यह आपका कितना गलत आधार है! श्रीमन्, इसको आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हुकूमत सही आंकड़े न देकर जाल में फसाती है। सही आंकड़े न देना, यह भी एक तरीके से अन्याय और गलत है। तो सारी पिक्चर सामने न रखकर सरकार की तरफ से कोशिश हुई, इसी बात का प्रयत्न हुआ कि ९ करोड़ कई लाख मद्रास में आता है और १६ करोड़ बम्बई से आता है और उत्तर प्रदेश में केवल पांच सवा पांच करोड़ ही आता है। अब श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जो वित्त मन्त्री हैं, उनकी बजट की तकरीर को पढ़ लें, उसमें उन्होंने संकेत किया था, यह कह कर कि मद्रास में इतना आता है और बम्बई में इतना आता है और उत्तर प्रदेश में बहुत कम आता है इसलिए अपने यहां बिक्री कर को बढ़ाना पड़ेगा। उस समय हमने बजट के सामान्य वाद-विवाद के अवसर पर कहा था कि आप बिक्री कर को बढ़ायेंगे और हम आपको हटायेंगे और आपको हटाने के लिए यदि आन्दोलन करना पड़ेगा, परिस्थितियों के अनुकूल तो उसको हम करने के लिए तैयार हैं और सरकार झुकेगी। मैं साहस के साथ कहता हूं कि हुकूमत बिक्री करके सम्बन्ध में झुकेगी, गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा, लाचार होना पड़ेगा। गलत कानून

[श्री राजनारायण]

लाना, गल्ले पर टैक्स लगाना गलत है और उपयोगी वस्तुओं पर टैक्स लगाना गलत है। यह राष्ट्र-हित विरोधी है, जनहित विरोधी है, और समाज-हित विरोधी है। समाज-हित विरोधी, जनहित विरोधी और राष्ट्र-हित विरोधी कामों में हमारा कभी भी उनके साथ सहयोग नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, मैं आपको यह बतला दूं कि मैं उन लोगों में से हर्गिज नहीं हूं जो सरकार के साथ सहयोग करूं। मैं तो सरकार की राष्ट्रीय विकास योजना को मानता ही नहीं हूं। इसमें सहयोग करने या न करने की तो बात ही नहीं है। लेकिन मैं तो आपकी हर चीज की कसौटी पर देखता हूं। जनता का व्यय होता चला जाता है, देश नीचे को चलता जा रहा है, पतन होता चला जाता है और यह कहें कि विकास है, विकास है, आप यह कहते चले जाइये कि एक डाल पर चिड़िया, दूसरी डाल पर चिड़िया, आप इस तरह से रात भर कहें, लेकिन कहानी का पता नहीं चलता, इसी प्रकार से सरकार का विकास कार्य चलता है।

मैं श्रीमन्, आपको बतलाऊं, औद्योगिक कारखानों को देखा जाय तो १,७३६ कारखाने बम्बई में थे और १,४७१ मद्रास में थे और उत्तर प्रदेश में केवल ६०० थे लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं होता है कि क्यों न हम ज्यादा सामान पैदा करके भाव कम रखकर जनहित में कदम उठायें।

सरकार सोच समझकर कर कदम नहीं उठाती है जिसका नतीजा यह हो रहा है प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आज हमारे यहां इतने कम कारखाने होने पर भी सरकार बम्बई और मद्रास से मुकाबला करती है जहां कि ३३९ और ९८ कारखाने हैं और अपने यहां वहां से दुगना और चौगुना टैक्स लगा रही है। इस से कपड़े का व्यापार नष्ट होगा। इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं, दो रायें भले हो सकती हैं। अपने प्रदेश में आज न मालूम कितना कपड़ा आ रहा है। दिल्ली से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, क्योंकि अपने प्रदेश का कपड़ा जहां साढ़े ४२ रुपये का होगा, वहां दूसरे प्रदेश का कपड़ा ४० रुपये का ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमें ढाई रुपये का सीधे-सीधे घाटा उठाना पड़ेगा। वहां के कपड़ों को जब लोग सस्ता पायेंगे तो कैसे यहां का कपड़ा बिकेगा ? यह सरकार यहां के उद्योग को सहारा देने की बात करेगी कैसे ? उसका विकास कैसे करेगी और कैसे आगे चलायेगी ? इसलिए श्रीमन्, निश्चित रूप में यह मानिये कि हमारा बड़ा सख्त विरोध है और हम कहना चाहते हैं कि कपड़े पर जो सरकार ने बिक्री कर बढ़ाया है वह नहीं बढ़ना चाहिए। इसको वापस होना चाहिए। इससे जनता का अहित होगा। हमारा कपड़े का रोजगार चौपट हो जायगा और कपड़े का रोजगार चौपट करके यह सरकार जनता का हित नहीं करेगी, अहित ही करेगी। श्रीमन्, इसके बारे में सरकार की ओर से एक तर्क दिया जा सकता है। मैं उस तर्क की ओर भी आपकी आज्ञा से आना चाहता हूं। वह तर्क क्या होगा सरकार का ? सरकार का तर्क यह हो सकता है कि एक तरफ तो आप विरोधी पक्ष के लोग कारखाने बढ़ाने की बात करते हैं, कारखाने खोलने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब सरकार कारखाने खोलने के लिए लोन (कर्ज) देती है तो उसका विरोध भी करते हैं। मैं आज पहली बार इस सदन के सम्मानित सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने जेल से, उस समय सदन में इसकी चर्चा नहीं हुई थी, माननीय सम्पूर्णानन्द जी को एक पत्र लिखा, जब कि अखबारों में एक खबर निकली थी कि ३ करोड़ और कई लाख रुपये की मदद कर्ज के रूप में, लोन के रूप में यह सरकार उद्योगपतियों को दे रही है। मैंने माननीय सम्पूर्णानन्द जी को चिट्ठी लिखी थी और उनसे निवेदन किया था कि कानपुर के जो उद्योगपति हैं, बनारस के जो महाराजा बनारस हैं, क्या आज उन के पास पैसे की कमी है ? आप उनको लोन क्यों दे रहे हैं ? उनके पास काफी पैसा है और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सरकार कौन सी योजना चला रही है ? किस योजना के लिए हमसे इस टैक्स को बढ़ाने की बात करती है ? क्या इसी किफायतसी योजना के लिए ? मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि यह जो तीन करोड़ कई लाख

रुपया लोन के रूप में उद्योग विकास के लिए दिया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी ? मैं समझता हूं कुछ नहीं। यह हमारे राष्ट्र के जीवन और मरण का प्रश्न है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब वह कर्ज की बात हमारे सामने आयी, तो तत्काल ही हमने माननीय सम्पूर्णानन्द जी को लिखा कि हर्गिज नहीं देना चाहिए। आज भी मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि कोई सरकारी मन्त्री चाहे कुछ भी इन उद्योगपतियों के लिए कहे, स्टीमेट करे, लेकिन मैं पूछता हूं कि सरकार ने किस उद्योग को खोलने के लिए यह रुपया दिया है ? उसके पास कोई नक्शा नहीं, कोई योजना नहीं और रुपया उठा कर दे दिया गया। फिर भी यह देखा जाना चाहिए कि उनके पास पैसा है या नहीं। उनके बैंक का एकाउन्ट क्यों नहीं देखा गया और मैं, श्रीमन्, एक आदमी के बारे में जानता हूं। अच्छी तरह से जानता हूं। काशी नरेश जो वहां की ग्लास फैक्टरी को चलाते हैं, उसका एक उद्योग उन के पास है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—व्यक्तिगत आलोचना को क्या आप परमिट कर रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए।

श्री राजनारायण—मैं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं एक तर्क दे रहा हूं कि वहां एक ग्लास फैक्टरी है। काशी नरेश का धन उसमें लगा हुआ है। कई वर्षों तक एक अमरीकन कारीगर जिसको ५,००० रुपया माहवार दिया जाता था, उसमें लगा रहा और उस पर काफी धन व्यय हुआ है और उसी को यह सरकार मदद कर रही है। काशी नरेश के पास बहुत पैसा है अगर हम इस बात को न कहें तो . . .

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—आप इजाजत दे रहे हैं . . .

श्री राजनारायण—नहीं देंगे, तो हम कहेंगे कैसे ? मैं श्रीमन्, आप से कहना चाहता हूं कि यह उद्योगपतियों को मदद देना कुनबा परस्ती और फेवरिटिज्म के नारे को चरितार्थ करना है। इस तरीके से अब मैं आगे आने वाली बात पर आना चाहता हूं। आगे आने वाली कांग्रेस पार्टी के चुनाव के लिए चन्दा मांगने के लिए यह एक हथकन्डा है।

श्री उपाध्यक्ष—इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजनारायण—मैं इसी पर आ रहा हूं। आपके द्वारा मैं श्रीमन्, इस सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने यह निवेदन करूंगा कि सदन के सम्मानित सदस्य यह जान लें कि वह हमारे निवेदन को जिस रूप में हम सदन के सामने रखते हैं उस रूप में ही उसको सामने मानने की कृपा न किया करे। उसके अन्दर जाने की कृपा किया करें। यदि वे उसकी तह में पहुंचने की कोशिश करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे भाषण में कितना सार रहता है और वह कितने सत्य होते हैं। इस मामले में मैंने समाचार पत्रों में गेंदा सिंह जी का बयान पढ़ा। मुझे खुशी हुई कि गेंदा सिंह जी ने इस सवाल को उठाया। माननीय मुख्य मन्त्री जी का पत्र मुझे फैजाबाद जेल में मिला। उसमें लिखा था कि आपने जो चिट्ठी भेजी है वह चिट्ठी मुख्य मन्त्री जी को मिल गयी है। उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई और क्या नहीं हुई इसका पता नहीं। हमने कहा था कि जिनका मैं नाम बताता हूं उनसे पता लगायें कि उनके पास इतनी आमदनी है या नहीं। वह इस योग्य हैं या नहीं जो देश के विकास के लिए रकम दे सकें। उस छिपी हुई रकम को वह बाहर क्यों नहीं निकालते और उस छिपी हुई रकम को निकाल कर राष्ट्र के विकास में वह क्यों नहीं लगाते ? श्रीमन्, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास बनारस के बिसातखाने के व्यापारियों का प्रतिनिधि मण्डल आया, जिसमें उन्होंने हर तरीके से इस बात की चेष्टा की और कहा कि हमारे सामान पर बिक्री कर नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि बनारस में चुंगी का टैक्स बहुत ज्यादा है। उन्होंने इस कारण को बताया कि प्रदेश में दूसरे स्थानों से हमारे यहां चुंगी बहुत ज्यादा है और हम उस से परेशान हैं। अभी उससे ही हम छुटकारा नहीं पाये थे कि जो पहले का बिक्री कर लगा हुआ है, अब यह दूसरा

[श्री राजनारायण]

बिक्री कर आ गया। इसके बोझ से हमारा रोजगार ही चौपट हो जायगा। उसका सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं है। अब आप विचार करें कि यह न्याय है या अन्याय है ? कल श्री हाफिज साहब ने इस सदन को अवगत कराया कि वह टेक्स्ट बुक पर से बिक्री कर हटा देंगे। उन्होंने टेक्स्ट बुक से टैक्स हटा दिया। न्यूजप्रिन्ट से हटा और नमक से हटा और दूसरी कई चीजों से हटा। बड़ी खुशी हुई।

श्रीमन्, यहां पर नेशनल यूनियन आफ स्टूडेंट्स एक संस्था है। उसकी उत्तर प्रदेश की शाखा की मीटिंग यहां हुई थी। सब विद्यार्थी परेशान हैं उनकी वजह से वह मीटिंग हुई थी और दूसरी यंग सोशलिस्ट लीग उत्तर प्रदेश की भी बैठक हुई जिसके जनरल सेक्रेटरी श्री विजय कुमार हैं। तो उन सबका प्रस्ताव हमारे पास आया। यंग सोशलिस्ट लीग और नेशनल यूनियन आफ स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि हमारे पास आये और इन लोगों ने साफ-साफ कह दिया कि अगर किताबों पर से बिक्री कर नहीं हटाया गया तो जुलाई से लोहा गर्म होगा। मैंने कहा, आज हमारी ओर से जरूर कोशिश की गयी होती अगर तुम भी न कहते तो भी हमारा यह फर्ज था और हम बिक्री कर को खत्म कराने पर तुले हुए हैं। जब तुम इम्तहान देते थे, जुलूस में शामिल नहीं हुए थे तो ठीक है, लेकिन अब आप खाली हो गये हैं, आप मैदान में आओ और इस सरकार की जो यह दकियानूसी, जनहितविरोधी नीति है, खून चूसने वाली और कर बढ़ाने वाली नीति है उसको मिटाने का प्रयत्न करो। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। मालपुआ ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मालपुआ उतना ही ज्यादा मीठा हो जितना आप कम मीठा डालो, ऐसी बात नहीं है। तो जब जोर जुल्म बढ़ता है और हल्ला कम होता है, तो जुल्म और भी ज्यादा बढ़ता है, लेकिन जब जुल्म जोर बढ़ता है और उसी के साथ-साथ हल्ला भी बढ़ता है तथा उसके विरोध में हम अपना कदम साधते चलते हैं तो उस जोर जुल्म में कमी होती है। इसलिए जरा हल्ला और तेज करो, आन्दोलन को गतिशील करो, यह उनको समझाया। तो श्रीमन्, उन्होंने समझा कि वह किताबों पर बिक्री कर जो है उसका बहुत बुरा असर होगा और जिस समुदाय पर असर होता है, वह ऐसा समुदाय है, जो जीवन तक पर खेलने को आमादा हो जाता है, इसलिए लेने के देने पड़ जायेंगे। इसलिए इधर से उधर करने को सरकार ने सोचा, मगर किताबों पर से हटाया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किताबें किस पर छपती है ? माननीय परिपूर्णानन्द जी बतायें कि क्या वे कपड़े पर छपती हैं। तो आपने जो किताबों पर टैक्स था, उसको तो हटाया, लेकिन कागज पर आपने सिंगिल प्वाइन्ट (एक सूत्री) का मल्टी-प्वाइन्ट (बहु सूत्रीय) कर दिया तो क्या उस से किताबों पर दाम नहीं बढ़ेंगे ? कहां गये एजुकेशन मिनिस्टर साहब ? मालूम होता है उनको कोई चिन्ता ही नहीं है कि किताबें मंहगी बिकें या सस्ती। माननीय वित्त मन्त्री जी ने बताया कि यह जो बिक्री कर का मामला है वह एक विभाग से ही सम्बन्धित नहीं है, उसका सम्बन्ध एग्रीकल्चर और शिक्षा विभाग से भी आता है। तो उनको भी यह सोचना चाहिए था कि जो टैक्स लगाया जा रहा है, वह उन पर तो नहीं लगाया जा रहा है जो जीवन की आवश्यक वस्तुयें कहलाती हैं ? उनको सोचना चाहिए था कि अगर किताबें मंहगी हो जायंगी, तो विद्यार्थी उनको खरीद भी न पायेंगे और अगर न खरीद पायेंगे तो कैसे शिक्षित होंगे ?

मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि कल मुझे आंसू आ गये। दारुलशफा में। बीरबल सिंह नाम का एक लड़का है। जो वहां चपरासी रक्खे जाते हैं उनमें वह है। दो दिन से वहां काम कर रहा है। उसके भाई सेक्रेटेरियट में बड़े ओहदे पर हैं। नवीं कक्षा से उसने पढ़ना छोड़ दिया। जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि जब दो रुपया महीना फीस और ढाई रुपया महीना, जुर्माना होने लगा है तो पढ़ना छोड़ दिया, नौकरी की तलाश में चला। सोचा कि जो कुछ भी हो कोई न कोई काम करके जीवन निर्वाह करूंगा। करीब एक घंटे वह मेरे पास बैठा रहा। उसके हाथ में पढ़ने के लिए एक पुस्तक थी "चर्चिल के भाषण"। ऐसे अच्छे-अच्छे होनहार प्रतिभाशाली नौजवान हमारे

प्रदेश में हैं जो धन के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर किताब जिस कागज से छपे उस पर मल्टीपिल बिक्री कर पड़ना कहां का न्याय है? वह तो अन्याय है, घोर अन्याय है और यह शिक्षा को पीछे ले जाने वाला घातक कदम है।

श्रीमन्, मैं आपकी सेवा में कुछ और बातें निवेदन करना चाहता हूं। मैं माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य की भांति केवल कांग्रेस पार्टी के एलेक्शन मैनीफेस्टो को ही नहीं सुनाना चाहता, मैं होता ही कौन हूं कांग्रेस पार्टी के एलेक्शन मैनीफेस्टो को सुनाने वाला? लेकिन हां, मैं जनतन्त्र में विश्वास करता हूं, लेकिन जब देश में प्रमुख राजनैतिक पार्टियों में से जनतन्त्र लुप्त हो जाता है तो सरकार तानाशाही कदम उठाती है। यहां आज जिस पार्टी की हुकूमत है उसमें जनतन्त्र है या नहीं, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा लेकिन उन्होंने बड़ी चर्चा चुनाव की की है और उन्होंने कहा है कि यह सरकार हिम्मतवाली सरकार है और साहस वाली सराकार है और यह केवल चुनाव को सामने रखने वाली सरकार नहीं है और अगर उन्होंने कहा कि हम चुनावों को सामने रखते तो जिस समय उप-चुनाव हो रहे थे उस समय यह सरकार ऐसा अध्यादेश जारी न करती। उसी समय हमने कहा था कि रावण अपनी गलतियों को पहले से नहीं समझ सका और जो गलती करता है वह उसको नहीं समझता, जब उसका असर होता है तभी उसको पता चलता है। जब जनता यह देखती है कि ऐसे बेहूदा तरीके का टैक्स लगाया जा रहा है तो वह उसको कैसे बरदाश्त कर सकती है? सरकार देखे कि चुनाव में जो सरकारी मोटर चलाए जाते हैं और जो सरकारी और अर्द्ध सरकारी साधन प्रयोग में लाए जाते हैं इसका प्रचार जनता को कहां तक रोक सकता है और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी उप-चुनाव में चारों खाने चित्त गिरी।

अब एक समस्या उठी, मैं जरा सदन के माननीय सदस्यों से सिद्धान्त की बात कहना चाहता हूं? वह जरा क्षमा करें। अभी जो कांग्रेस कमेटी का इजलास हुआ था उसकी कार्यवाही को मुझे जेल में पढ़ने का मौका मिला उसमें किसी कांग्रेस के मेम्बर ने कहा था कि यहां पर ऐसे मंत्री और जिम्मेदार लोग हैं जो चोर और डाकुओं को छिपाते है। मैं उसमें नहीं जाता जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात चलेगी तो मैं उसका जिक्र करूंगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब ने और एक माननीय सदस्य ने यह बात खास तौर से कही है कि इस अध्यादेश का असर चुनाव के नतीजों पर पड़ा है और जिस व्यक्ति ने कहा है वह उस पार्टी के संगठन के लिहाज से कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह उसका सदर है, हमारे लिए तो वह मामूली है लेकिन वह उस संस्था के सदर हैं।

दूसरी तरफ आप डाक्टर राय को देखिये, उन्होंने कहा कि मैं जनतंत्र को मानता हूं और मैं जानता हूं कि बंगाल और बिहार की जनता बंगाल और बिहार के विलयन के विरोध में है लेकिन जब चुनाव में कांग्रेस हार गई इसलिए जनता के सामने हमारी सरकार नतमस्तक हो रही है। क्या यह नहीं कहा डाक्टर राय ने, बतायें माननीय परिपूर्णानन्द जी?

श्री उपाध्यक्ष---इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष से बोलते में राय न लेना चाहिए।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---आदेश हो चुके हैं कि चुनाव की चर्चा न हो, इसलिए उनको इस तरह श्रीमन् न बोलने दिया जाय।

श्री राजनारायण---मैं यह कह रहा था कि एक तरफ तो इस देश में इतने बड़े और इतने महान् प्रश्न को लेकर चर्चा हुई और न मालूम कितने दिन तक अखबार इस समस्या को लेकर अपने पन्ने रंगते रहे। न मालूम कितनी बड़ी-बड़ी हस्तियों ने देश के वातावरण को बदलने की बात कही। बंगाल और बिहार के विलयन

[श्री राजनारायण]

का जो प्रश्न आज उठ खड़ा हुआ है उस सम्बन्ध में कहा गया कि इसने प्रदेश की जनता में उदारता का भाव बढ़ाया है---व्यापक बनाया है। बम्बई का सवाल भी इसी प्रकार हल हो जायगा। तरह-तरह की बातें हुईं लेकिन एक ही चुनाव के हारने में कांग्रेस समझ गई कि डा० बी० सी० राय का भाषण हुआ---समाचार पत्रों में बयान निकला जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश की सरकार को जनमत के सामने झुकना ही पड़ेगा।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री राजनारायण---मैं श्रीमन्, निवेदन कर रहा था डा० बी० सी० राय की एक बात कि बंगाल के एक चुनाव में....

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन मर्तबा प्वाइंट आउट कर चुका कि डेढ़ घंटे से चुनाव का जिक्र हो रहा है और काफी इसका जिक्र हो गया।

श्री अध्यक्ष---दूसरों का आर्ग्यूमेंट आप रिपीट न करें।

श्री राजनारायण---कतई नहीं। अगर यह आर्ग्यूमेंट किसी ने दिया हो तो मैं छोड़ दूं।

श्री अध्यक्ष---नारायणदत्त तिवारी जी ने यह आर्ग्यूमेंट दिया है जो आप दे रहे हैं।

श्री राजनारायण---अच्छा ठीक है। मेरा इतना ही कहना है एक रिफरेंस के लिये कि यहां पर बाराबंकी के दो चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस हारी। उसमें बिक्री कर का मामला था। हमारा यह कहना था कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट को वोट करोगे तो तुम्हारे ऊपर टैक्स बढ़ेंगे। आगरा और बदायूं में भी यही हुआ। इसी प्रसंगवश आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मित्र श्री कुंवर गुरुनारायण जी ने जब बिक्री कर के विरुद्ध कोई आन्दोलन नहीं चला था तो एक बयान निकाला था और उन्होंने बड़ी बहस भी की कि भाई अगर दुनिया के मुल्कों में अगर कोई समस्या खड़ी होती है तो उसमें जनता किस मत को मानती है, इसका फैसला कैसे हो, तुम सत्याग्रह कैसे करते हो? मैंने पूछा फिर क्या आश्रय लें। उन्होंने कहा आप इलेक्शन करा लें, हमने कहा ठीक। अगर बाई इलेक्शन ही सरकार डंडे के जोर से चलाये और जीते तो क्या होगा? मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा सत्याग्रह वह हथियार है जो घर से लागू होकर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर भी लागू किया जा सकता है। इसलिये हमें वह साथी दोष न दें। वे साथी हमें बुरा भला न कहें। वे साथी हमको वोट लेने के लिये, जेल जाने की बात न कहें। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जरा वे अपनी छाती पर हाथ रख कर पूछें क्यों १४४ इस हुकूमत ने लगा दी। क्या हम अपने से जेल गये। हमको जेल का कोई शौक है। यह बात मैं श्रीमन्, आपको बतला दूं कि अंग्रेजी जेल में जो आनन्द आपने किया होगा इस कांग्रेसी राज्य की हुकूमत में वह भी खत्म हो गया।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजनारायण---वहीं आ रहा था। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यहां पर बड़ी बात कही गई। हम जेल गये लेकिन अपनी इच्छा से नहीं गये। कभी भी मैं कह देना चाहता हूं कि हमारी यह इच्छा नहीं होती जेल जाने की लेकिन हमारी एक इच्छा है और वह इच्छा है अन्याय से लड़ने की, अत्याचार से लड़ने की और जोर जुल्म से लड़ने की। अगर दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी हस्ती और बड़ी से बड़ी ताकत हमें अत्याचार और अनाचार से लड़ने में रोकना चाहे तो नहीं रोक सकती। फिर धारा १४४ क्या है। हम जीते या नहीं जीते। उस दल के जो सम्मानित सदस्य यहां बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि तीन दिन बाद १४४ को हटा लेना हमारी जीत है, हम

बीते। उसमें भी हम विजयी हुए और यदि सरकार तनिक भी नैतिकता और सदाचार का अंश अपने में रखती तो जब १४४ हटा ली गयी तो जेल से छोड़ देते। कोई चोर डकैत नहीं थे। एसेम्बली के तमाम मेम्बरान गये थे।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सिवा विधेयक के अन्य बातों का जिक्र आप न करें।

श्री राजनारायण—बिक्री कर से सम्बन्धित, बिक्री कर की जो बात यहां आयी उसमें तमाम बातों को जो सदन में कही गयीं ध्यान में रखते हुये, निवेदन करूंगा कि आखिरकार यह बिक्री कर वृद्धि हो क्यों रही है। सरकार की ओर से कह गया, जो भी सरकारी पक्ष का प्रवक्ता सदन में खड़ा होता है हर प्रवक्ता सरकारी विकास और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का नाम लेता है। तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहूंगा कि जब तक मैं पंचवर्षीय योजना का खोखलापन न बताऊंगा कि पंचवर्षीय योजना में धन का दुरुपयोग हो रहा है तब तक इस तरह के टैक्सेशन के बढ़ाये जाने के अनौचित्य को कैसे साबित करूंगा? जब मैं इसको रखने लगता हूं, और माननीय परिपूर्णानन्द जी फुसफुसाने लगते हैं तो हमारी बड़ी मुसीबत हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और कांग्रेसी हुकूमत को भी बताना चाहता हूं कि अगर सही मानी में देश के विकास और हर तरह की शक्तियों का विकास करने का इरादा हुकूमत का है तो हुकूमत हमारे सुझाव को सामने रखें। मुझे अफसोस है कि इस हुकूमत को जितने भी बार-बार सुझाव दिये गये उन सुझावों की अवहेलना करती चली गयी, कभी कमेटी के नाम पर, कभी सदन ने इस बात को पास कर दिया इसके नाम पर। ठीक है सदन ने पास कर दिया तो सदन वही पास करेगा जिसको हुकूमत चाहेगी, क्योंकि हुकूमत का बहुत बड़ा बहुमत है। अब हमें सरकार बताये कि अगर सारा बजट देखा जाय तो श्रीमन्, ८० करोड़ रुपया डेवलपमेंट स्कीमों पर और ८५ करोड़ रुपया नान-डेवलपमेंट स्कीमों पर खर्च हो रहा है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में १९३९ से देख लिया जाय उस समय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बजट पर दो तीन करोड़ रुपया होता था और आज कितने करोड़ होने लगा है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है? हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से पैसा खर्च करते जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस सरकार ने सारे आंकड़े प्रस्तुत करने का ऐलान किया। मगर मैं आप के द्वारा इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुत दुरुपयोग हो रहा है धन का। तरह-तरह के जो विकास होते जा रहे हैं, तरह-तरह की जो पुलिस में नयी योजनाएं चल रही हैं सारी की सारी समाज को फल नहीं दे रही हैं। परसों अभी एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य आये, इसमें कोई पार्टी सोशलिस्ट या कांग्रेस का सवाल नहीं है, इसमें मानवता का प्रश्न है। थाने पर आदमी खड़ा है और गोली मारता है दरोगा ...

श्री अध्यक्ष—आप दुनिया भर की चीजें इसी विवाद में ला रहे हैं।

श्री राजनारायण—तो इतना ही कह रहा हूं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या जितनी भी बातें हैं उस पर यह हुकूमत कितना खर्च बढ़ा रही है और किस अनुचित तरीके से खर्च हो रहा है? कुछ खर्च घटाये। हमने दो साल पहले हिसाब रखा था इस सदन में कि आज किस तरह से विषमता कायम है। किसी को पता नहीं कि कौन सा किस का ग्रेड है कौन सा नहीं है। एक ही काम करने वालों के स्तर में कई नामधारी अफसर कई तरह की तनख्वाहें पा रहे हैं। सरकार को हमने कहा था कि सरकारी नौकरियों में जो विषमता है उसके लिए कोई योजना अच्छी तरह से बना ले। निश्चित कर दे कि एक हजार रुपये महीने से ज्यादा किसी भी सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। आमदनी बढ़ सकती है श्रीमन्, सरकार की ओर से एक तर्क दिया जाता

[श्री राजनारायण]

है कि इतना अच्छा बचा लेंगे तो कितना होगा। मगर मैं कहता हूं कि बहुत होगा। उसी तरह से श्रीमन् जब मैं यह अर्ज करता हूं कि सरकार एक तरफ टैक्स बढ़ाने की बात करती है, दूसरी तरफ आमदनी को बचाने की बात भी नहीं करती। जो सुझाव रखा जाता है उसको मानती नहीं तो आखिर इस सरकार को हम क्या समझें इसको क्या बतायें, वह विकास चाहती है या ह्रास चाहती है? हमारी समझ से तो ह्रास चाहती है। क्यों? जिस सुविधा को ७ वर्ष तक ८ वर्ष तक इस सदन के सम्मानित सदस्य नहीं लिये, जब आमदनी की कमी है तो वह सुविधा दी जाय। क्या इसके पहले असेम्बली के मेम्बर नहीं थे, क्यों ६० रुपया तक के भत्ते का इन्तजाम हमें कराया जाय जब कि हम इस सदन की कार्यवाही में भाग न लें। तो बातें तो बहुत कही जा सकती हैं कि पार्लियामेंट में और-और दूसरी जगह ऐसा होता है, ऐसा नियम है। कहीं भी नियम हो मगर हम अपने तमाम साधनों को देख कर काम करें। उतने ही पांव फैलायें जितनी अपनी चादर हो। और अगर उससे ज्यादा पांव फैला देंगी तो हुकूमत का पांव खुल जायगा, अब हुकूमत का पांव उठ रहा है। एक बात हुकूमत ने अच्छी कर दी जब कि हमने हिसाब बताया, मैं आज फिर दोहराता हूं कि श्रीमन्, जब लंच के लिए आपने सदन स्थगित किया तो कुछ मुसलमान भाई और बेगम साहिबा मिलीं उनको यह शिकायत है कि हमारी कोशिश से ५ दिन की छुट्टी के बजाय ३ दिन की छुट्टी हो गई और इसमें उनको कुछ तकलीफ हुई। मैंने उनसे साफ कह दिया कि अगर किसी मजहबी त्योहार में कुछ बाधा पड़ती हो तो हम कभी ऐसी बात नहीं कह सकते। लेकिन श्रीमन्, वह बात तो है नहीं। हमने जो हिसाब लगाया और देखा कि १६ हजार तक का नुकसान हो सकता है तो हमने सरकार से कहा कि ५ दिन छुट्टी मत करें, तीन दिन करें और उन्होंने मान लिया, अच्छा किया हम उनकी तारीफ करते हैं। इसीलिये हमने पूछ लिया था कि क्या कोई ऐसा मुसलमान भाई है जो अपने ईद के त्योहार के कारण चाहता था कि ५ दिन की छुट्टी हो। उस वक्त कोई नहीं बोला। हम बराबर यह चाहेंगे कि जिस तरह से हिन्दुओं का त्यौहार उसी तरह से मुसलमानों का त्योहार, हमारे लिये कोई फर्क नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज सरकारी अस्पतालों की दवा वगैरह का निरीक्षण किया जाना चाहिये कि सरकारी अस्पतालों में मंत्रियों, उपमंत्रियों के परिवार पर कितना रुपया दवा में खर्च हो रहा है। यह रुपया क्यों खर्च हो। मंत्री तो गरीब हैं नहीं, अकिंचन भिखारी तो हैं नहीं, डिप्टी मिनिस्टर, सभा सचिव गरीबी हैं नहीं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरीब हैं नहीं तो फिर क्यों उनकी मुफ्त दवा हो, यहां रुपया नहीं है? यह बचत करने का तरीका है या यह खर्चे को बढ़ाने का तरीका है? सरकार की ओर से इसका कोई जवाब नहीं मिलता। एक तरफ टैक्स बढ़ाने की धुंआधार अनर्गल सफाई दी जाती है, दूसरी ओर मंत्रियों की तनख्वाहें बढ़ायी जाती हैं। मैं पूछता हूं कि मंत्री, उपमंत्री, सभा सचिव इन पर कौन सा भार बढ़ गया आज काम का जो उनकी तनख्वाहें बढ़ें? कौन सा भार उपाध्यक्ष के ऊपर बढ़ गया कि उनकी तनख्वाह बढ़े, कोई कारण नहीं। अगर पैसा नहीं है और विकास सरकार करना चाहती है अपने तरीके का विकास तो इन कामों को रोकें, इनको खत्म करें। मगर वह सरकार नहीं करने जा रही है। अब हम टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट, प्लानिंग कमेटी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट इन तमाम रिपोर्टों को माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा जी के लिये छोड़ दें। मगर वह यह नहीं बतायेंगे कि उस रिपोर्ट की जो सिफारिश है उसके मुताबिक यह सरकार चल रही है। "कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा" यह तो वह कर सकती है मगर उससे कोई फल प्राप्त हुआ इसका कोई जवाब नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। अभी माननीय मेम्बर आफ अपोजीशन फर्मा रहे थे "कहां की ईंट कहां का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा" यह पार्लियामेंट्री लैंगुएज है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह फिकरा किसी इंसान के लिये नहीं कहा गया। अगर इन्सानों के लिये कहा गया होता तो आपत्ति की बात होती। किसी चीज के लिये इस फिकरे का इस्तेमाल कर देना मैं समझता हूं अनपार्लियामेंटरी नहीं है। उन्होंने किसी व्यक्ति के लिये नहीं कहा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अगर मेरे मित्र को ठेस लगी हो तो मैं उनसे माफी चाहता हूं और मैं अपनी उदारता तो दिखा ही सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो क्या आप चाहते हैं कि वह फिकरा निकाल दिया जाय?

श्री राजनारायण—नहीं, वह रहे। उसमें तो आपकी आज्ञा हो गई। लेकिन उसके अतिरिक्त मैं अपनी उदारता तो दिखा ही सकता हूं। वह हिन्दी के शब्दों को जरा कम समझते हैं।

तो मैं यह कह रहा था श्रीमन्, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, अब आपके द्वारा इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की जितनी भी योजनायें हैं वह सारी की सारी योजनायें आज जिस तरीके से कार्यान्वित हो रही हैं, उसका हमने एक उदाहरण रखा, वह योजनायें जनता के लिये हितकर नहीं हो पा रही हैं। जनता के लिए अहितकर हो रही हैं। तो जनता के लिए अहितकर योजना भी सरकार चलाये, उसमें भी जनसहयोग न ले और बार-बार सरकार की ओर से, बार बार प्रधान मंत्री यह कहें कि अब हम जनता के सहयोग से ही सारी योजना को चलाना चाहते हैं, तिस पर भी जन सहयोग प्राप्त न हो तो कहीं न कहीं कमी है न? और उसी कमी को जब हम सरकार की ओर निवेदन करते हैं तो वह रंज हो जाते हैं, हमसे कहते हैं कि यह तो बिच्छू की तरह डंसता है। तो हमने यह कहा कि भाई, हमारा तो काम यह है कि हम सीधी बात करना चाहते हैं। अब आप देखें श्रीमन्, एक उदाहरण के रुप में मैं कह रहा हूं आपकी आज्ञा से कि बनारस में एक एन० ई० एस० ब्लाक खुला। उस एन० ई० एस० ब्लाक में वहां के तमाम आफिसर्स ने यह कहा कि यह सेंटर में नहीं खुल रहा है, जहां खुल रहा है वह कार्नर है, वह सेंटर नहीं है। मगर किसी व्यक्ति विशेष के कारण, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे विरोध के बावजूद वह वहां खोल दिया गया। अब जब उन्होंने देखा कि वहां कोई जुटता ही नहीं है, कौन वहां दस-दस मील, पन्द्रह-पन्द्रह मील से जाय, तो सरकारी असफरों ने कहना शुरू कर दिया कि बड़ा बुरा हुआ, और अब वह सेंटर में लाया जा रहा है। अब वहां जो बिल्डिंग बनी उस बिल्डिंग के लिए क्या तिकड़म चली जा रही है, वहां एक स्कूल चल रहा था, अब यह प्रयत्न हो रहा है कि जो बिल्डिंग बनी है वह इस स्कूल को ही दे दी जाय, क्योंकि वह गवर्नमेंट के काम तो अब आ नहीं रही है। वहां एक कांग्रेस पार्टी के बहुत पैसे वाले आदमी हैं, १९४६ मार्का कांग्रेसी हैं। वह बिल्डिंग अब अन्ततोगत्वा उनको ही मिल जायगी। तो यह विकास है। सरकार की ओर से कोई बताये कि यह धन का दुरुपयोग है या नहीं। यह तो धन का दुरुपयोग सीधे-सीधे हो रहा है। और ऐसे उदाहरण एक ही नहीं हैं, ऐसे उदाहरण अनेक हैं। उसी के साथ-साथ श्रीमन्, हमने कई बार इस सरकार से निवेदन किया कि अगर सरकार चाहती है कि उद्योग-धंधे बढ़ें, आप नहीं थे, वह मैं कह चुका था पहले ही कि हमारे प्रदेश में उद्योग धन्धे.....

श्री अध्यक्ष—परिपूर्णानन्द जी का जवाब भी तो आप सुनना चाहते हैं न? तो आप भाषण शीघ्र खत्म कर दें।

श्री राजनारायण—उनको तो हम अक्सर सुना करते हैं और वह तो हमको सदन में न सुनकर के कोर्ट में ही सुनना और सुनाना चाहते हैं। तो हमने भी कहा कि फिर वहीं सुन लें।

[श्री राजनारायण]

तो हम श्रीमन्, यह चाहते हैं, हमारा न तो व्यक्तिगत कोई परिपूर्णानन्द जी से द्वेष या राग है और न किसी और सम्मानित सदस्य से। अगर सही माने में हम सब लोग देश के हित के लिए हैं तो क्या देश के हित में जनतांत्रिक पद्धति को अपनाना भी एक काम माना जाता है या नहीं? और जनतांत्रिक पद्धति को अपनाना यदि एक काम माना जाता है तो आज क्यों नहीं गांव पंचायतों के मातहत ये योजनायें की जाती हैं? क्यों सरकारी कर्मचारियों के लिए इतनी जीपें खरीदी गई हैं? और क्या हाल उन जीपों का हो रहा है। उनका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है? आज जितने बी० डी० ओ० हैं यह तमाम सरकारी जीपों को अपनी निजी प्रापर्टी समझ बैठे हैं और उनका इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हर नुक्ते नजर से, हर माने से हम यह देखते हैं कि सरकार के विकास की योजना कोई विकास की योजना नहीं है। इससे देश का कोई उत्थान नहीं हो पा रहा है। मौलिक रूप से कोई तरक्की नहीं हो रही है बल्कि देश अवनति की ओर, पतन की ओर जा रहा है। और जब हमारी नैतिकता ही खत्म हो जायगी, जब हम पथ-भ्रष्ट हो जायंगे, लुंजे हो जायंगे, हमारा आदर्श लुप्त हो जायगा तो हम क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं? कुछ भी हमारे लिए सम्भव हो सकता है। इसलिए हम जोर देते हैं कि जिन-जिन वस्तुओं पर, जैसे गल्ला है कपड़ा है, जैसे कागज है—और जिन चीजों पर सरकार ने छोड़ दिया है उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, इन पर टैक्स नहीं लाना चाहिये और गल्ले पर तो हर्गिज २ नहीं लगाना चाहिये और गल्ले पर टैक्स लगेगा तो हमारे बुजुर्ग श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब, वित्त मंत्री हमारे सामने विद्यमान हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा और निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि चाहे हमसे वह निजी तौर से बुरा मानें मगर हमारे दिल के कोने में भी इस हुकूमत के लिए एक सेकेन्ड के लिये मुहब्बत नहीं हो सकती है। जितने दिन, जितने क्षण, जितने पल आज इस सरकार की गतिविधि को मैं यहां परखता हूं हमारा गुस्सा बढ़ता जाता है, हमारा क्रोध बढ़ता जाता है और हम कहते हैं कि इसको जल्दी-जल्दी खत्म होने के लिए हमको वह ताकत मिले कि हम उसको हटाएं। क्योंकि जनता का अहित हो रहा है।

इसलिए इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि वित्त मंत्री जी अपनी शक्ति का दुरुपयोग अधिक न होने दें यह समझ कर कि आर्थिक समानता के लिए, देश के उत्थान और विकास के लिए सही माने में बुनियादी तौर से यह आवश्यक है कि वह कदम उठायें और बुनियादी तरीके से कदम उठा करके देश को नयी जिन्दगी और नयी रोशनी और नया स्थान देने के लिए अग्रसर हों। तभी काम हो सकता है। और वही दकियानूसी और पूंजीशाही आंकड़े और किताबों को रख करके इस सदन में इधर-उधर के सदस्यों से छुछ कहने से समस्या का हल नहीं होने वाला है। बल्कि उससे वह भयंकर अग्नि प्रज्वलित होगी, मैं यह चेतावनी देता हूं, जिसमें यह सरकार तो जायेगी, मगर जब आग जलेगी तो हमको भी उसकी आंच लगेगी। इसलिए वह आंच न लगे और यह हुकूमत सीधे तरीके से चली जाय। हम जनतांत्रिक प्रणाली अख्तियार किए हुए हैं और मैं चेतावनी के रूप में कहता हूं कि हाफिज जी जनता के हित के लिए मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जितनी सामग्रियां हैं उन पर हर्गिज बिक्री कर न बढ़ायें। यहां विरोध हो रहा है, बाहर भी विरोध होगा, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती—दफा १४४ क्या रोकेगी?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, लगभग दो घंटे से एक बहुत ही गम्भीर और बहुत ही ऊंचे ख्यालों से ओत-प्रोत बहस सुनने के बाद मैं नहीं जानता कि कितना सब्र और कितना साहस हमारे सदस्यों में रह गया होगा कि अब वे और बातों को सुन सकें। श्रीमन्, और फिर बात भी किसको सुनायी जाय? हम लोग तो उस सभ्यता में पले हैं जहां अनायास कोई अपने को अगर साधु कह देता है तो उसको साधु मान लेते हैं, लेकिन जब

कि आज माननीय राजनाराण जी ने इस सदन के सम्मुख स्वयं कह दिया कि मेरा साधु-स्वभाव है तो, बाल सुभाव दोष कुछ नहीं, कम से कम सूरत शक्ल से तो साधु मालूम होते ही हैं। तो, साधु बहुत सीधा भी होता है और वह दुनियादः चीजों को न समझे तो इसमें उसकी भूल भी नहीं हो सकती। इसलिए यह बिक्री कर तो इस दुनिया की चःज है एक राजनीति और सरकार से सम्बन्ध रखने वाल: चीज है, कुछ पढ़ने लिखने से ताल्लुक रखती है लत्तरानियों से दूर भाग जाने वाली चीज है, इसलिये अगर पौने दो घंटे की बहस में एक चीज भी वह ठीक से न समझा सके हों और न समझ सके हों और अखबारों में भी या तकरीरों के पढ़ने के बाद भी कुछ न समझ सकें तो मैं क्या कहूं, मेरा दुर्भाग्य और इस सदन का दुर्भाग्य कि सदन का इतना समय नष्ट हो गया। और श्रीमन्, मैं कोई बात ऐसी इसलिए भी नहीं कहना चःहता कि अनायास हमारे दोस्त को तकलीफ पहुंचेगी। मैं तो सिर्फ उनसे यह निवेदन करूंगा और वह निवेदन भी इसलिये करना चाहता हूं कि कुछ एक अजीब तमाशा इस सदन में आंकड़ों के बारे में और उसकी वजह से मचा रहा है। एक ही किताब, एक हा रिपोर्ट, वही पन्ना, उसमें से हमारे वे साथी जब पढ़ते हैं तो वह सहा होता है और जब हम पढ़ते हैं तो वह पूंजीवादी आंकड़ा होता है। तो अगर चश्मे में फर्क न हो और बुद्ध में फर्क न हो तो किताबों की भाषा और उनकी रवानगी में फर्क न हो तो कैसे उनका मतलब बदल जाता है। यह तो शायद मैं नहीं समझ सका लेकिन आज यह जरूर जान गया हूं कि अगर कहीं एम लिखा हुआ है तो उसका मतलब एम होगा लेकिन एस नहीं होगा और अगर एस लिखा हुआ है तो एस ही उसका मतलब होगा एम नहीं। क्या बतलाऊं श्रीमन्, मैं तो ताज्जुब में आ गया कि एक आदमी जो इतने बड़े विश्वविद्यालय से बी० ए० पास हो वही इस सदन में जब आंकड़े पेश करता है कपड़े के बारे में बिक्री कर के इंसीडेंस पर और उसमें वह यह भूल जाता है कि एम० पी० है या एस० पी० है। मल्टीपिल प्वाइंट है या सिंगिल प्वाइंट। हमारे इस दोस्त ने यह सुनाया कि देखिये आंध्र में ३ पाई है, मद्रास में ३ पाई ह और यहां उत्तर प्रदेश में क्या है। लोग क्या समझेंगे कि यह सदन जिसने उस चार्ट को पढ़ा नहीं है वह क्या समझेगा। जहां तीन पाई है, वहां मल्टीपिल प्वाइंट है, जहां ६ पाई है वहां मल्टीपिल प्वाइंट है और यही नहीं ताज्जुब की बात यह है कि मल्टीपिल प्वाइंट को तो एम० पी० से नहीं पढ़ सके लेकिन साथ ही साथ पढ़ने के बीच में ऐसे स्टेट्स जहां के आंकड़े कुछ जंचे नहीं, कुछ रुचे नहीं उनके आंकड़ों को कहना भी छोड़ दिया गया है जैसे मिसाल के तौर पर मैं पूछ रहा हूं श्रीमन्, आपके द्वारा कि हुजूर बम्बई का आंकड़ा भी पढ़ा या नहीं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि प्रश्न पूछने का यह वक्त नहीं है। इसलिये कि जबाव में ही १५ मिनट का वक्त लग जायगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—सही बात है। उसका कोई जबाव नहीं है, श्रीमन्, ये भी सही कह रहे हैं कि बम्बई का आंकड़ा उन्होंने छोड़ दिया। मुझे, ताज्जुब हुआ कल भी मैंने सुना कपड़े के टैक्स के बारे में माननीय नारायणदत्त तिवारी ने भी उसके के बारे में कहा, उनके बारे में मैं अभी निवेदन करूंगा लेकिन राजनारायण जी ने पढ़ते समय ऐसी गलती की या भूल की लेकिन जानबूझ कर इस सदन को चीजों को न समझने देने का मौका देने के लिये ऐसा किया कि बम्बई में बारह प्वाइंट से अठारह प्वाइंट टैक्स है उसको उन्होंने नहीं कहा। बम्बई में श्रीमन्, बारह प्वाइंट से अठारह प्वाइंट तक टैक्स पड़ता है। उत्तर प्रदेश में १२ प्वाइंट हैं तब फिर इस प्रदेश का कपड़े पर टैक्स ज्यादा कैसे हो गया। एक तरफ तो यह चीज है और दूसरी तरफ श्रीमन् ने इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। कि आजादी हो जाने के बाद, स्वाधीनता ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर लेने के बाद क्या हमारी नसों का पानी इतना मर गया है कि आज हम इस सदन में बैठ कर आज हम इस स्वतंत्र भारत में बैठ कर मुकाबिला करें कि गुलामी के जमाने में हमने कितनी तरक्की की और श्रीमन् मैं जानना चाहता हूं, उस सदस्य को देखना चाहेगा जो खड़ा होकर इस बात पर घमंड करे

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

कि देखिये अंग्रेजों के जमाने में इतनी तरक्की हो गई, मैं उधर बैठे हुये साथियों से पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में एक मील लम्बी रेलवे लाइन की जो मिसाल दी गई यद्यपि वह चीज अपनी जगह पर कायम है कि अंग्रेजों ने पोर्ट या बन्दरगाहों से विदेशी माल खींच खींच कर भीतर लाने के लिये बड़ी जल्दी रेलवे लाइनें डाली थीं यह सही है पर आज एक सदस्य, अपने को समाजवादी कहने वाला सदस्य, इस सदन में घमंड करता है और आंकड़े पेश करता है कि देखिये आपके जमाने में इतना काम है और अंग्रेजों के जमाने का इतना काम है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हमारी नसों का और हमारे उधर बैठे हुये साथियों के नस का पानी इतना मर नहीं गया है कि हम आज के जमाने में चाहें तड़प-तड़प कर भूखों मर जायं और तरक्की बिल्कुल न करें लेकिन उस जमाने के स्वप्न देखना और उनके बारे में सोचना इतना बड़ा कलंक का काम नहीं कर सकते जो अंग्रेजी हुकूमत का और आज की हुकूमत का मुकाबिला करें।

अच्छा, माननीय राजनारायण जी जा रहे हैं तो चले जायं नहीं तो उनको मेरी बातें सुनने में बड़ी तकलीफ होगी। तो, यह मुकाबिला श्रीमन्, किया गया तो मुझे बड़ा दुख मालूम हुआ और श्रीमन् दुख मालूम भी होना चाहिये। आज सदन में दो दिन से जो बहस हो रही है उस बहस में शुरू से लेकर आखिर तक इस बात की कोशिश की जा रही है कि किस कदर हमारी प्रदेश और सब प्रदेशों के मुकाबले में गिरा हुआ है, हमारी हुकूमत निकम्मी है, हमारा हुकूमत खराब है और जितनी चीजें हैं अपनी जगह पर गलत हैं, दुरुस्त नहीं है और शायद बकाम भी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सबसे पहले अपने नवजवान दोस्त माननीय नारायण दत्त तिवारी जी कि जरूरत इस बात की है कि अगर कोई चीज पढ़ी जाय तो कभी वह पढ़ने वाले अच्छा पढ़ने वाला नहीं हो सकता अगर एक पन्ना पढ़े दूसरा पन्ना न पढ़े, कभी भी वह सदस्य अच्छा पढ़ने वाला नहीं हो सकता अगर अध्याय के अध्याय छोड़ कर अपनी जरूरत और काम के लिये महज नुक्ताचीनी के लिये एक आध पैराग्राफ निकाल ले। कल सेल्स टैक्स पर बोलते हुये माननीय तिवारी जी ने आपके सम्मुख कहा था कि उत्तर प्रदेश के टैक्सेशन का इन्सीडेंस तो इतना है, उत्तर प्रदेश में आज रहने वालों की आमदनी इतनी कम है और बम्बई और मद्रास की बहुत ज्यादा है, तो फिर आज उत्तर प्रदेश में टैक्स का भार क्यों बढ़ रहा है। और उन्होंने जब ऐसा कहा तो फीगर कोट की टैक्सेशन इन्क्वाइरी कमीशन की। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि टैक्सेशन इन्क्वाइरी कमीशन की फीगर्स को वे मानते तो उसकी पूरी रिपोर्ट की फीगर्स को भी मान लें। इस टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन में जो फीगर्स हैं उसके साथ ही साथ एक और कमीशन बैठा था जिसे फिनैन्स कमीशन कहते हैं। ५२–५३ में वह बैठा था। फिनैन्स कमीशन ने यह अन्दाजा लगाया था कि प्रदेशों में टैक्स का भार कितना है। और इसी प्रकार से अन्दाजा लगाया टैक्सेशन इक्वायरी कमीशन ने। और दोनों आंकड़े अगर वे देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि दोनों कमीशनों की जांच के मुताबिक बम्बई और उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा अन्तर है। आज बम्बई में जो वस्तु स्थिति है और उत्तर प्रदेश में जो वस्तु स्थिति है उसके अन्तर को आंकने के लिये, केवल दो चार वर्ष के आंकड़ों से काम नहीं लेना होगा। बड़ी आसानी से माननीय राज नारायण जी ने कह दिया कि बम्बई में कपड़े के इतने कल कारखाने लग गये और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगे। ऐसा कौन सा कपड़े का रोजगारी है जो बम्बई से चल कर इतनी दूर उत्तर प्रदेश में आकर अपना कपड़े का कारखाना खोलेगा जब कि उसे यहां रुई उस भाव में मिलेगी जिस भाव में शायद हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं मिलेगी, यानी सबसे मंहगी मिलेगी, जब कि बम्बई में रोजगारी को अगर कल रुई की जरूरत हो तो आज शाम को नसीब हो सकती है और कानपुर में अगर जरूरत हो तो ६ महीने का स्टाक रख कर चलना पड़ता है। तो कैसे इन दोनों जगहों का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन खैर, वह तो गैर जानकारी की बात थी माननीय राज नारायण जी की। लेकिन मैं माननीय नारायण दत्त जी से पूछता

हूं कि जरा वह यह भी देख लें कि किस आधार पर उत्तर प्रदेश का सेल्स टैक्स चल रहा है। यह भी कहा जाता है कि बम्बई की पर कैपिटा इन्कम कितनी है और उत्तर प्रदेश की कितनी है और अगर उत्तर प्रदेश की कम है तो फिर उस पर कर बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर मैं यह निवेदन करूंगा कि बम्बई और मद्रास, दोनों पोर्ट टाउन्स हैं और विदेशी व्यापार के आने जाने को हैंडिल करने वाले प्रदेश हैं। इसलिये इस गरीब और खेतिहर उत्तर प्रदेश का मुकाबला उनसे नहीं हो सकता। लेकिन इतना होने पर भी उत्तर प्रदेश को एक गौरव प्राप्त है और एक सौभाग्य प्राप्त है कि जहां तक खर्च करने का मामला है बम्बई कम खर्च करता है और हमारा उत्तर प्रदेश ज्यादा खर्च करता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं जिस कमीशन की रिपोर्ट को माननीय तिवारी जी ने कल सदन के सामने पेश किया कि ५.९८ हमारा टैक्सेशन का इन्सीडेंस पड़ता है। उसी रिपोर्ट में अगर वे पढ़ेंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वाल्यूम १, ४, और ६ चैप्टर आफ टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन रिपोर्ट में कुछ फीगर्स दी हैं कि पर कैपिटा कन्ज्यूमर एक्सपेंडीचर क्या है। तो श्रीमन्, बम्बई में १८.८५ रुपया है। मद्रास में १८.२१ रु० है, मध्य प्रदेश में करीब १६, साढ़े सोलह हैं और उत्तर प्रदेश में श्रीमन् २३.०४ है। यह उसी ने दिया है कि इतना खर्च करने वाले बम्बई में केवल १८.८१ हैं और उत्तर प्रदेश में २३.०४ तो जरा इसका मुकाबला करें। जैसा कि उसने लिखा है कि पर कैपिटा में कन्ज्यूमर एक्सपेंडीचर आफ दि स्टेट बम्बई एंड उत्तर प्रदेश को देखें, तो कितना फर्क पड़ता है तब मिलान करें कि हमारे टैक्सेशन की गति क्या है इसका भी मुकाबला किया जाय तो ऐसा लगेगा कि उत्तर प्रदेश टैक्सेशन के मामले में और प्रदेशों से न केवल उदार हो रहा है, अच्छा रहा है, बल्कि इसके साथ ही साथ उसने इस बात का भी ख्याल रखा है कि देहात के लोगों को किसी न किसी तरह से सुविधा मिले और शहर के लोगों से कर अधिक मिले और कम से कम उत्पादकों से कम से कम वसूल किया जाय।

श्रीमन्, कल नारायणदत्त जी तिवारी ने उन आंकड़ों को दिया जिनसे पर कैपिटा इन्कम का अन्दाजा लग सकता है। श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि इसमें कौन सी तुक है कि बारबार दुहराया जाय जिसको सदन में अनेक बार सिद्ध कर दिया गया है कि आप गलत कह रहे हैं और यदि उनको दुहराना ही था तो कायदा और वाजिब बात तो यह थी कि दुहराने के साथ-साथ वह यह भी कहते कि सदन में इसका फलां जबाव दिया गया है और वह जबाव बेतुका था और हमारे आंकड़े सही हैं। पकड़ ली कोई चीज, कोई उड़ती हुई तकरीर सुन ली और फौरन आंकड़े बना दिये, यह सब तो उसी किताब में कहा है जिसमें बतला दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप गल्ती न करें। आप भी आंकड़े पेश कर दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बराबर कह रहे हैं, आप भी आंकड़े पेश कर दें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—श्रीमन्, मैं कोई ऐसे आंकड़े पेश नहीं करूंगा जिनको किताबों के द्वारा ही नहीं बल्कि सन् और सम्वतों से सिद्ध न कर सकूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं अंकों को देखता हूं तो दिमाग की कोठरी खोल कर देखता हूं और इसलिये नहीं कि अभी बात सिद्ध करने के लिये फलां बात मुझे कहनी है। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि फी आदमी पीछे आमदनी का औसत क्या है? और उन्होंने यह कहा था कि हम जो यह औसत निकाल रहे हैं उसमें एक बड़ी भारी कमजोरी है कि स्टेटिस्टिकल डेटा इतना नहीं है कि पर कैपिटा इन्कम ठिकाने से निकाल सकें। इसलिये उन्होंने दो शब्दों का उपयोग किया है। उन्होंने "फारमल इन्सीडेंस" इन दो शब्दों को इस्तेमाल किया है अपनी रिपोर्ट में। यदि हमारे दोस्त ने पढ़ा होगा तो जहां पर यह शब्द आ गये वहां पर जरूरत इस बात की हो गई कि इधर और उधर दोनों चीजों को देखने की कोशिश की जाय।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

तब श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा और बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में क्या फर्क है उसके बारे में हमारे टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने कुछ चीजों का पता लगाया है और उसके बाद उन्होंने यह स्कीम रखी है कि सेल्स टैक्स की जो चीज है वह बम्बई ऐसे प्रदेश में फी आदमी पीछे करीब ४.४१ रुपये का औसत पड़ता है और मध्य प्रदेश में १.०९ रुपये का औसत पड़ता है और मद्रास में २.६७ का औसत पड़ता है और इस उत्तर प्रदेश में श्रीमन्, केवल ०.८१ का औसत पड़ता है। अब मैं जानना चाहूंगा कि आखिर कहां पर हम से गलती हुई ? कौन सी हिमाकत उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है जब कि वह आपके सामने ला कर इन चीजों को पेश करती है और कहती है कि हम टैक्स लगाना चाहते हैं। हमारे यहां कम टैक्स हैं। ऐसे समय में आप उस कमीशन का हवाला दे देते हैं, लेकिन उसी कमीशन की रिपोर्ट को आप देखिये जिसके बारे में कि तिवारी जी ने यह कहा था कि आखिर कौनसी बात उसकी आपने मानी। मैं उनसे कहता हूं कि उसको जरा सादगी के साथ पढ़ें। उसमें लिखा है कि भारतवर्ष में टैक्स का ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि लोअर इनकम ग्रूप वालों पर भी कुछ टैक्स का भार पड़े। दि लोअर इंकम ग्रूप शुड आलसो बी टैकस्ड। हमारे मित्र टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का उद्धरण देते हैं उनको यह बात भी मालूम होगी। उसके साथ उनको यह भी कहना चाहिये था कि कमीशन ने सेल्स टैक्स के बारे में ५,००० रुपये के टर्नओवर की बात लिखी है। बेसिक लेवी लिखी है। उत्तर प्रदेश की सरकार यदि इन चीजों को आगे बढ़ा कर, इस प्रदेश की आवश्यकताओं को महसूस करके चलती है तो दोष किस का है और उस सूरत में जब कि आज हमारा स्वार्थ है। कोई कहीं पर ४ रुपया टैक्स लेता है, कोई तीन लेता है, कोई डेढ़ लेता है और हम एक रुपया भी नहीं लेते, फिर भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में टैक्स का भार इतना ज्यादा है। श्रीमन्, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि इसके साथ-साथ सब बातें न मिला कर सदन के सामने इधर-उधर की बातें न रख कर हम अपने साथ अन्याय करते हैं। जनता के साथ अन्याय करते हैं और अपनी तकरीरों के भुलावे में डाल कर अपनी बात को सिद्ध कराने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे देश का अकल्याण हो सकता है। मैं फिर इसी बात पर आता हूं। मैंने निवेदन किया था कि सेल्स टैक्स रहा बम्बई में ४·४१, इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि टैक्स केवल इस तरह से ही नहीं जोड़ा जाता कि समूची जनता ने कितना टैक्स दिया। टैक्स के जोड़ने की एक और तरकीब है। कैश इक्सपेंडीचर। मध्यम श्रेणी की स्थिति में आप हैं, हम हैं, ये हैं, वे हैं, मध्यम श्रेणी का आदमी जेब से रुपया निकाल कर दूकानदार को देता है और दूकानदार उस रुपये को लेकर उस पर टैक्स निकालता है तो इस नकद खर्चे का, कैश एक्सपेंडीचर का इंसीडेंस क्या है सेल्स टैक्स का। यदि इसको हमारे दोस्त जानते तो उनको मालूम होता कि उत्तर प्रदेश की वास्तविक परिस्थिति क्या है ? इस कैश एक्सपेंडीचर का जो इंसीडेंस है श्रीमन्, बम्बई में वह ६.० है, मध्य प्रदेश में ६.० है, उत्तर प्रदेश में और मद्रास में ४·८ है, उस हालत में जब कि बी स्टेट्स में ७.०० औसत है और उस हालत में जब कि समूचे भारत का औसत है ५.०० उस हालत में हमारे यहां मद्रास के मुकाबिले में, बम्बई के मुकाबिले में, मध्य प्रदेश ऐसे पिछड़े प्रदेश के मुकाबिले में ४·८ है औसत। अब भी शिकायत है और क्या शिकायत है ? शिकायत इस बात की है कि हमने अपना टैक्स बढ़ा दिया। इस कदर हमने मुसीबत पैदा कर दी कि प्रांत का रोजगार, प्रांत का कारोबार अभी से जाने वाला है और यह कौन कहता है, कहते हैं माननीय पालीवाल जी। श्रीमन्, दुख है कि वह यहां उपस्थित नहीं हैं वरना मैं उनसे कहता कि यह सब सुन कर मुझे ताज्जुब होता है। इधर बैठने के बाद जब लोग उधर चले जाया करते हैं तो क्या इतिहास को सरलता से भुला देना चाहिये। क्या पिछला इतिहास ऐसा भुला देने की चीज है ? क्या कागजों पर लिखी गई बात को इतनी जल्दी मटियामेट किया जा सकता है ? यह

वही माननीय पालीवाल जी हैं जिन्होंने सन् ४८ में १२,००० रुपये का टर्नओवर रखा था और वही पालीवाल जी हैं जिनके सामने श्री अजितप्रसाद जी ने पेश किया था कि टर्नओवर २०,००० रुपये का होना चाहिये तो उन्होंने उसका विरोध किया था। अजित प्रसाद जी ने २,०,००० रु० का रखा था और पालीवाल जी १२,००० रुपये रखना चाहते थे, लेकिन आज वही पालीवाल जी कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिये। यह सब व्यर्थ तर्क की चीज है। आज हमारे लिए १२,००० रुपया जरूरी है तो उसको हम तर्क के द्वारा सही कह दें और कल हमारे लिये जो जरूरी नहीं है उसको तर्क के द्वारा सिद्ध कर दें यही उचित है। तो जिसको काम करना है और सरकार को चलाना है वह तो इतनी आसानी से, इतनी सरलता के साथ इस पर छोड़कर नहीं चल सकता। बहुत आसानी से हमारे साथियों ने पहले आपके सम्मुख निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश का कारोबार, आगरे का कारोबार बरबाद होता चला गया। सेल्स टैक्स के लगाने से इतना कारोबार चला गया और न जाने क्या-क्या मुसीबत उत्तर प्रदेश में पैदा हो गयी है, मैं क्या बताऊं। कौन सा मापदंड हो जिस मापदंड से इसका अन्दाजा लगाया जाय कि अब भी यहां के आदमियों में जान बाकी है। कौन सा मापदंड हो कि जितने यहां के रहने वाले हैं वे इस तरह से तबाह नहीं हुये हैं, नष्ट नहीं हुये हैं जिस प्रकार से कि कहा जाता है कि वे नष्ट हो गये। एक मापदंड उसके संबंध में एक किताब में मैंने देखा जिस पर शायद नारायणदत्त जी को भरोसा हो सकता है। मैंने सोचा कि उस किताब को पेश करूं और उसको नारायणदत्त जी ने भी पढ़ा होगा। वह किताब मंथली स्टेटिस्टिक्स बुलेटिन है, उसके भाग ६, अंक ३ में स्माल सेविंग ड्राइव के बारे में लिखा गया है। यहां पर एक स्माल सेविंग ड्राइव चलाया गया। लोगों ने छोटी बचत करके कितनी बचत की और कितनी बचत नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले का उसमें जिक्र है और श्रीमन्, मैं जानता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी को नैनीताल से प्रेम है और मैं यह भी जानता हूं कि यह कोई नहीं कह सकता कि स्माल सेविंग ड्राइव में किसी बड़े पूंजीपति का भी पैसा है। उसमें तो कुछ ऐसी रुकावटें हैं कि सिर्फ इतने रुपये तक तुम रुपया दे सकते हो। तो जहां पर यह रुकावट है वहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि स्माल सेविंग ड्राइव में किसी पूंजीपति का पैसा गवर्नमेंट ने रखवा कर जोड़ लिया। तो श्रीमन्, पहली अप्रैल, सन् १९५६ के उस बुलेटिन को मैंने देखा और मुझे लगा कि जो जिला सब से प्रथम बचत में आया वह देहरादून का जिला था। देहरादून का जिला इतना तेज निकला कि उसके लिये जितना टार्गेट रखा गया था उससे उसने २७३ फीसदी ज्यादा काम किया। यह इस प्रकार था कि देहरादून में गवर्नमेंट ने सोचा था कि यह छोटा जिला है अगर वहां से १०,८६ हजार रुपया वसूल हो गया तो वह बहुत रकम वसूल समझी जायगी, लेकिन वहां से ३९,६९ हजार रुपया वसूल हुआ जो २७३·४ परसेंट उस स्माल सेविंग का परसेंटेज आया। इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में सब से पहला नम्बर देहरादून का स्माल सेविंग में आया। अब श्रीमन्, दूसरा नम्बर यदि मैं उस जिले का नाम लूं तो मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को जानने की रुचि होगी। तो दूसरा जिला मैं आपको बताऊं कि मुझे खुशी होती है वह जिला हमारे मित्र नारायणदत तिवारी जी का निकला। वह था नैनीताल का। गवर्नमेंट ने सोचा था कि ९ लाख रुपया अगर वहां से इकट्ठा हो जाय तो यह बड़ी भारी स्माल सेविंग होगी लेकिन आखिर में वहां से १४ लाख ८० हजार रुपया मिला जिसका परसेंटेज १६३ फीसदी आता है। इसलिये स्माल सेविंग ड्राइव में नैनीताल का दूसरा नम्बर निकला।

अब तीसरा नम्बर श्रीमन्, आपके झांसी जिले का है। मुझे बड़ी खुशी है कि वहां से १५ लाख ८४ हजार रुपया वसूल होना चाहिये था लेकिन १९ लाख ४८ हजार रुपया आपके जिले ने दे दिया। नतीजा यह हुआ कि वह बचत १२३ प्रतिशत आयी। मैं यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि स्माल सेविंग ड्राइव में जो ध्येय सोचा गया था कि उत्तर प्रदेश से इतना होना चाहिये उसका अन्दाजा किस प्रकार से लगाया गया या न

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

लगाया गया। लेकिन मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि पर कैपिटा इनकम क्या घटी है। राजनारायण जी ने तो १९२ का फिगर सुन लिया और उसी को यहां पर कई बार दोहरा दिया। माननीय तिवारी जी ने कहा कि हम भूमि का लगान बहुत ज्यादा लेते हैं। माननीय वित्त मंत्री ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा है। मुझे ताज्जुब होता है जब मैं इन साथियों की बात को सुनता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने वहां से बैठे-बैठे कई बार बताया कि मालगुजारी के बारे में जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, वह गलत है। उसके आंकड़े देकर भी बता दिये और यह भी बता दिया कि बाम्बे में कितनी रकम जमींदार को और कितनी सरकार को और कहां से मिलती है। लेकिन आप बार-बार यही कहेंगे कि यहां की लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। मैं पुरानी चीजों को दुहराना नहीं चाहता हूं नहीं तो बजट स्पीच जो शुरू से लेकर आज तक जो हुई है उनको मुझे दुहराना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं पर बैठकर यह फैसला कर लेना चाहिये कि उत्तर प्रदेश की परकैपिटा इनकम क्या है और उसके टैक्स लगाने की कैपेसिटी क्या है। इससे हमें यह भी मालूम हो जायगा कि बाम्बे की परकैपिटा इनकम और इंसीडेंस आफ टैक्स क्या है और उत्तर प्रदेश का क्या है ?

आज मर्चेन्ट्स चेंबर आफ कामर्स और यू० पी० चेंबर आफ कामर्स गवर्नमेंट के सेल्स टैक्स का विरोध कर रहे हैं और सब इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की गति जैसी कही जाती है वैसी नहीं है और उधर जो साथी बैठे हैं वे भी उनके साथ मिल कर इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रगति जैसी कही जाती है वैसी नहीं है। यदि हम मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस-टिक्स के फिगर्स को मान लें, जिनका हवाला माननीय नारायणदत्त जी देते हैं, तो क्या यह नहीं मानेंगे कि १९४७ में हमारी परकैपिटा इनकम २१८.७ थी। क्या आप यह भी नहीं मानेंगे कि १९४७ में उत्तर प्रदेश की टोटल राष्ट्रीय आमदनी १,३०७ करोड़ रुपया थी। अगर आप इस चीज को मानते हैं तो आगे बढ़िये। १९४९-५० में परकैपिटा इनकम २४१·२ हो गयी, क्या आप यह भी नहीं मानेंगे ? लेकिन ५०-५१ में वह कुछ अच्छी हो गयी तो आपने उसको ही पकड़ लिया। न आगे देखा और न पीछे देखा। ५१ के साल में आमदनी बढ़कर २५६.२ पर कैपिटा हो गयी और आप आगे और पीछे के सब फिगर्स को भूल गये। तो सन् ४७ में पर कैपिटा इनकम २१८.७ हुई, ५२-५३ में २४१·८ हुई। लेकिन अगर किसी कारण से सन् ५१ में आमदनी बढ़ गयी तो केवल आप उसको ही आधार मान कर चलें तो यह ठीक न होगा। जब आप इस किताब के आंकड़ों को मानते हैं तो कुछ आधार मान कर उसको जांचिये, और तब एक नतीजे पर पहुंचिये। अफसोस तो तब होता है जब पढ़े लिखे आदमी जानबूझ कर एक गलत बात कहते हैं।

हमारे एक भाई अंग्रेजी साम्राज्यशाही की प्रशंसा कर रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह माननीय गेंदा सिंह जी को जरूर बुरा लगा होगा, क्योंकि मैं उनको जानता हूं कि वे ऐसे आदमी हैं जो मरना पसन्द करेंगे लेकिन गुलामी को पसंद नहीं कर सकते। तो जब ऐसी परिस्थिति हो तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं और जरा जानकारी हासिल करना चाहता हूं और चाहता हूं कि कहीं तो बैठ कर कुछ ऐसी बात कहिये कि जिस से दिल को जरा सहारा मिले, कुछ तो ऐसी बात कहिये कि जिससे कुछ तबियत तो बहले, कुछ तो ऐसी बात कहिये कि जिससे चेहरे पर कुछ तो बशाशी नजर आये : या वही बात है कि :

दर्द दिल इतने दिनों से है कि आदत हो गई।
अब जरा तस्कीन होती है तो घबराता हूं मैं।

इन लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। मैं इस संबंध में अर्ज करूंगा कि .....

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो पर कैपिटा इनसिडेंस के आंकड़े सन् ४८ से ५३ तक के पढ़े वह करेंट टर्म के हैं या प्राइस टर्म के हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मुझे ताज्जुब होता है नारायण दत्त जी के सवाल पर। वह सदन में बार-बार मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिसटिक्स को कोट करते हैं, उनको मालूम है कि वह किस बेसिस पर निकाला हुआ है, जो पढ़ने वाले हैं वह उस को समझ सकते हैं मैं समझता हूं या तो उन्होंने उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की या उन्होंने समझा नहीं कि किस तरह से उसमें हिसाब निकाला गया है। अब आप अगर जानना चाहें तो नम्बर ९, संख्या ३ मंगाकर खुदा के वास्ते कल पढ़ लें ताकि अब जब वह सदन में आयें तो सदन में आकर गलत आंकड़े पेश न करें। मैं समझता हूं इस संबंध में माननीय नारायण दत्त जी को बड़ा भ्रम है और अध्यक्ष महोदय, वह अभी न समझे हों तो मैं उनको समझा दूं।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैं निवेदन कर रहा था कि सेल्स टैक्स के सिलसिले में अपनी बहुत सी बातें कहते हुये उन्होंने हमारे ऊपर जो पर कैपिटा इन्सीडेंसेज आफ टैक्सेज हैं उसका जिक्र किया और कहा कि इस सूबे में और प्रदेशों की तुलना में ज्यादा बहुत ज्यादा है और उसका भार उपभोक्ता पर बहुत पड़ेगा। मैंने इस के बारे में शुरू में ही एक चीज बतलाई थी और मैं फिर अब उस को दोहराये देता हूं। वह उसको फिर समझ लें। पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडीचर के मुताल्लिक मैं इस बात को भी साबित करने को तैयार हूं कि इस प्रदेश की सरकार ने यदि अपनी सेल्स टैक्स पालिसी को अब तक नहीं दोहराया था तो वह उसकी गलती थी। आप अगर तुलना करें तो वह पर कैपिटा कंज्यूमर्स एक्सपेंडीचर बम्बई में १८.८५, मध्य प्रदेश में १६.२३, मद्रास में १८.२१ और हमारे यहां वह है २३.०४। जब यह फिगर्स हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि सेल्स टैक्स न बढ़ाया जाय और कैसे यह संभव है कि हम अपने खरचों को मीट करें। इसके बाद मैं कुछ आंकड़े और पेश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे साथी जरा समझ लें कि कितनी ईल्ड हमारे यहां इस टैक्स के बढ़ने से होगी। यह टैक्स जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बढ़ाया है उससे ३,०५ करोड़ की आय होने वाली है और इसमें से जो अब वित्त मंत्री जी ने कुछ चीजों में छूट दी है उसके कारण ७० लाख रुपये की कमी हो चुकी है। पता नहीं कैसे नारायण दत्त जी ने कह दिया कि सात-आठ लाख रुपया मिट्टी के तेल से मिलने वाला है। मैं नहीं जानता कि किस तरह से उन्होंने हिसाब लगाया। मैं तो बड़ी मुसीबत में हूं कि कैसे उनको समझाऊं। और जोरावर वर्मा जी ने तो यहां तक कहा कि परिपूर्णानन्द ने कहा है कि इस सरकार की व्यापारी नीति के कारण प्रदेश का व्यापार चौपट हो गया और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री के भाई का यह ख्याल है तो और जनता के लोगों का क्या ख्याल होगा; यह तो बाद की बात है। अब यह तो श्रीमन्, अंधेर की बात है। एक आदमी आगे सामने बैठा रहे, न बैठा रहता तो उसका लिखा हिन्दी में लेख मौजूद था। अंग्रेजी में होता तो शायद पढ़ने में मुश्किल होती। खैर, ७० लाख रुपया ३.०५ करोड़ में से घटा दिया। अब बचता है आपके पास कितना। करीब दो करोड़ ४० लाख रुपये की करवृद्धि हुई तो यह भी आप सोचें कि यह दो करोड़ ४०लाख रुपये की वृद्धि में कैसे अन्दाज लगा लिया कि हमारे कपड़े का व्यापार चौपट हो जायगा और कैसे अंदाज लगा लिया कि चार प्वाइन्ट टैक्स लगता है फूड पर। किसी देहात में जाकर पता लगाया जाय कि क्या चार प्वाइन्ट टैक्स लगता है फूड पर। श्रीमन्, बड़ी सीधी या मामूली सी बात है। किसान गल्ला देता है तो एक कमीशन एजेंट होता है। आप कहते हैं उस पर टैक्स लगता है।

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण दूसरे दिन जारी रक्खेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १४ मई, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;

१० मई, १९५६ ।

सिट्ठनलाल,

सचिव, विधान मंडल,

उत्तर प्रदेश।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६१ पर)

जिलेवार धन वितरण का नकशा

	रु०		रु०
१—आगरा ..	६१,२००	२७—हमीरपुर ..	..
२—अलीगढ़ ..	२३,०००	२८—झांसी ..	१२,२००
३—अल्मोड़ा ..	३५,४५०	२९—जौनपुर ..	..
४—इलाहाबाद ..	१,९४,१५०	३०—जालौन (उरई)	२२,७५०
५—आजमगढ़ ..	..	३१—कानपुर ..	३,६८,५५०
६—बनारस ..	३६,४००	३२—लखीमपुर-खीरी	१२,६००
७—बहराइच ..	४,९००	३३—लखनऊ ..	३,५२,५००
८—बलिया ..	६,१००	३४—मैनपुरी ..	१०,७५०
९—बाराबंकी ..	७,०००	३५—मथुरा ..	६७,६५०
१०—बदायूं ..	..	३६—मेरठ ..	२९,१००
११—बरेली ..	१,५४,४५०	३७—मिर्जापुर ..	५,४००
१२—बस्ती ..	३,७००	३८—मुजफ्फरनगर ..	१०,०००
१३—बिजनौर ..	..	३९—मुरादाबाद ..	..
१४—बुलन्दशहर ..	..	४०—नैनीताल ..	..
१५—बांदा ..	..	४१—पीलीभीत ..	..
१६—देहरादून ..	११,१००	४२—प्रतापगढ़ ..	..
१७—देवरिया ..	..	४३—पौड़ी-गढ़वाल ..	..
१८—एटा ..	४६,५५०	४४—रामपुर ..	५,२००
१९—इटावा ..	१,३००	४५—रायबरेली ..	५९,२५०
२०—फैजाबाद ..	..	४६—सहारनपुर ..	१,२८,३००
२१—फर्रुखाबाद ..	१,६००	४७—शाहजहांपुर	..
२२—फतेहपुर ..	..	४८—सीतापुर ..	१८,४००
२३—गाजीपुर ..	३,९००	४९—सुल्तानपुर ..	४,३००
२४—गोंडा ..	५,०००	५०—टेहरी-गढ़वाल	१,६००
२५—गोरखपुर ..	५,८००	५१—उन्नाव ..	..
२६—हरदोई ..	१६,५००		
		कुल योग ..	१७,२६,६५०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९३ पर)

बलिया जिले में १५ मार्च सन् १९५५ से १५ मार्च सन् १९५६ तक की अवधि में हुए डकैती तथा कत्ल के मामलों का विवरण

क्रम-संख्या	घटनास्थल	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल हुये व्यक्तियों की संख्या
१	खडैला	..	६
२	सरांक	..	२
३	रघुनाथपुर	..	..
४	नदुवा रामपुर	१	३
५	नरायनपुर	..	१
६	सूवापाली	..	२
७	हथऊज	५	११
८	आसन	१	..
९	बड़ागांव	..	४
१०	सुल्तानपुर	..	४
११	सहरोजा	२	१

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६६ पर)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

APPOINTMENT (B) DEPARTMENT

No. 2372/II-B—118-1954

Dated Lucknow, August 18, 1954.

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following amendments in the Government Servant's conduct Rules applicable to members of the services under his rule-making control :

Amendment.

For rule 11 substitute the following :

"At the time of first appointment, and thereafter at intervals of five years, every government servant shall make to the appointing authority, through the usual channel, a declaration of all immovable property, shares, and other investments, which may from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with or any way dependent upon, him. Such declaration should state the full particulars of the property, shares and other investments."

A. N. JHA,
Chief Secretary.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९९ पर)

फरवरी, १९५६ में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस (भ्रष्टाचार) की जांच के लिये सौंपी गई शिकायतों की संख्या तथा उनके कार्य का जिलेवार नक्शा :

जिले का नाम	पुलिस तथा अन्य विभागों के विरुद्ध जांच के लिये दी गई शिकायतों की संख्या, जिनमें वह भी सम्मिलित हैं जो कुछ समय पूर्व से जिलों में प्राप्त हुई थीं	शिकायतों की संख्या जिनमें जांच पूर्ण हो चुकी थी।
१	२	३
आगरा ..	८	३
अलीगढ़ ..	२२	११
बुलन्दशहर ..	२३	२२
देहरादून ..	१२	३
एटा ..	५	२
मैनपुरी ..	१०	६
मेरठ ..	३१	७
मथुरा ..	४	४
मुजफ्फरनगर ..	१५	२
सहारनपुर ..	१८	४
बरेली ..	१३	१०
बिजनौर ..	२१	१२
गढ़वाल ..	..	..
बदायूं ..	४	१
खीरी ..	१८	३
नैनीताल ..	६	२
मुरादाबाद ..	२३	१२
पीलीभीत ..	४	२
शाहजहांपुर ..	१८	६
रामपुर ..	१२	५
बाराबंकी ..	८	६
हरदोई ..	१७	३
लखनऊ ..	११	७
सीतापुर ..	३५	१९
उन्नाव ..	४०	१६
बहराइच ..	१०	६

जिले का नाम	पुलिस तथा अन्य विभागों के विरुद्ध जाँच के लिये दी गई शिकायतों की संख्या, जिनमें वह भी सम्मिलित हैं जो कुछ समय पूर्व से जिलों में प्राप्त हुई थीं	शिकायतों की संख्या जिनमें जांच पूर्ण हो चुकी थी
१	२	३
फजाबाद ..	१६	६
गोंडा ..	३१	१
रायबरेली ..	१८	७
प्रतापगढ़ ..	५	२
सुल्तानपुर ..	६	२
इलाहाबाद ..	२०	..
बांदा ..	६	६
कानपुर ..	७	२
इटावा ..	५	३
फर्रुखाबाद ..	२	१
फतेहपुर ..	१८	६
हमीरपुर ..	..	..
जालौन ..	१२	५
झांसी ..	४४	३०
आजमगढ़ ..	१६	७
बलिया ..	१५	८
बस्ती ..	३५	३
बनारस ..	१३	८
गाजीपुर ..	१६	४
गोरखपुर ..	२०	१०
देवरिया ..	३३	२
जौनपुर ..	१३	४
मिर्जापुर ..	२६	५
योग ..	७७७	२६७

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९९ पर)

सूची

ग्राम	व्यय जो जून, १९५५ तक नलकूप बनाने व चलाने में हुआ	आय जो जून, १९५५ तक हुई	विशेष विवरण
	रु०	रु०	
१—लोनी ..	१७,२३९	९५	बिजली मिलने तक बन्द कर दिया गया है
२—लोनी नवादा ..	१९,९५८	१,१५३	,, ,,
३—पसौड़ा	२०,६२१	८७९	,, ,,
४—मकनपुर	१९,२७६	२७०	,, ,,
५—सरोरा सलेमपुर ..	२४,९६६	३८४	,, ,,
६—बेहटा हाजीपुर ..	२४,३१३	६१९	,, ,,
७—सिकन्दपुर ..	२०,३३३	९४५	,, ,,
८—मिढ़ौरा ..	१५,६०८	..	अप्रैल, १९५६ में ही पूरा हुआ है।
९—घिटौरा	८,३००	..	अभी पूरा नहीं हुआ है। जब बिजली मिल जायगी तब पूरा किया जायगा।
१०—मंडौला	८,३१४	..	,, ,,

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६२० पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया)

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ और लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ को संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट सं० ५, १९२०, यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९२१, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५५ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९५५।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) आध्यादेश, १९५६ द्वारा लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२०, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ और लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ संशोधित किये गये थे,

उ० प्र० अध्यादेश सं० ५, १९५६, यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९२०, यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९२१,

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा बनाये गये अधिनियम की व्यवस्था करना इष्टकर है,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५५।

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९५५।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

२—लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० में—

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९२० का संशोधन।

(१) धारा १६ की उपधारा (१) का मद (७) में शब्द "medical" तथा "services" के बीच में शब्द "and Health" रख दिये जायं,

(२) धारा १६ की उपधारा (२) तथा (२-ए) निकाल दी जायं,

(३) धारा (१९) की उपधारा (१) की मद (४) के पश्चात् मद (४-ए) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय—

'(iv-*a*) One principal of a Constituent College who is not otherwise a member of the Council, to be appointed in such manner by such authority and for such term as may be prescribed by Statutes."

(४) धारा २० की उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय–

"(4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualification and emoluments of teachers and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council."

(५) धारा २१ की उपधारा (१) की प्रतिबन्धक (proviso) निकाल दिया जाय,

(६) धारा २३ की उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes."

(७) धारा २६ निकाल दी जाय ।

(८) धारा ४६ के प्रतिबन्धक में शब्द "agricultural or other technical institution established and maintaned by the University." के स्थान पर शब्द

"Medical, agricultural, or technical institution established or maintained by the University or by the State Government." रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ का संशोधन ।

३––इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ में––

(१) धारा १७ की उपधारा (२) और (३) निकाल दी जायं,

(२) धारा २२ की उपधारा (१) का प्रतिबन्धक निकाल दिया जाय, और

(३) धारा २४ की उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ––

"(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes."

उत्तर प्रदेश अधिनियम ६, १९५५ की धारा ४३ का संशोधन ।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ४३ की उपधारा (१) के––

(१) खंड (ख) में आये हुये शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अठारह मास" रख दिये जायं ।

(२) अन्त के प्रतिबन्धक में आये हुए शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "अठारह" रख दिया जाय ।

५—लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ४३ की उपधारा (१) के—

(१) खंड (ख) में आये हुये शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अठारह मास" रख दिये जायं ।

(२) अन्त के प्रतिबन्धक में आये हुये शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "अठारह" रख दिया जाय ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ६, १९५५ की धारा ४३ का संशोधन ।

६—एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६ निरसित किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाज़ेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन हो ।

निरसन । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९५६, यू० पी० ऐक्ट १, १९०४ ।

उद्देश्य तथा कारण

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ४३ तथा लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ४३ द्वारा संक्रमणकालीन विषयों की व्यवस्था की गई थी। आशा यह थी कि संक्रमण (transition) १२ महीने की अवधि के भीतर पूर्ण हो जायगा, परन्तु ऐसा न हो सका, विशेषतया इस कारण कि बहुत सी अवस्थाओं में संबद्ध विश्वविद्यालयों के विचारों को भी प्राप्त करना था। पूर्ण संक्रमण में अभी भी कुछ समय और लग सकता है । अतएव उपर्युक्त धारा ४३ में तदर्थ निर्दिष्ठ अवधि को बढ़ाना आवश्यक हो गया है ।

चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए राज्य सरकार के लिए कानपुर में एक तीसरा मेडिकल कालेज स्थापित करना आवश्यक हो गया है । यह निश्चय किया गया है कि कानपुर का मेडिकल कालेज एक अंगभूत (constituent) कालेज के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया जाय, क्योंकि इस विषय पर आशंका प्रकट की गयी थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट की धारा ४६ को दृष्टि में रखते हुए उक्त कालेज को लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जा सकता है या नहीं, अतएव यह आवश्यक हो गया था कि इस विषय को विचार से दूर ही रखा जाय । फलतः राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ प्रख्यापित किया था तथा उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६ की व्यवस्था की थी । यह आवश्यक है कि उसके उपबन्ध विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित किये जांय । इस अवसर पर कुछ ऐसी अन्य कठिनाइयों को भी दूर किया गया है जो लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्टों की कार्यान्विति के दौरान में सामने आई थीं । तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री ।

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६२० पर)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५६

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया।)

उ० प्र० अधिनियम सं० २१, १९५५।

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ को बनाये रखने की व्यवस्था करने का

विधेयक

उ०प्र० अधिनियम सं० २१, १९५५।

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५, ३० जून, १९५६ को समाप्त हो जायगा ; और यह इष्टकर है कि उक्त अधिनियम को बनाये रक्खा जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उ० प्र० अधिनियम सं० २१, १९५५ का बनाये रखना।

२—उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५६" के स्थान पर संख्या "१९५८" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१, १९५५) जिसके अधीन राज्य सरकार को खाद्यान्नों तथा खाद्यपदार्थों के लिए भांडारिक आवासों के अधिग्रहण का अधिकार प्राप्त है, ३० जून, १९५६ को समाप्त हो जायगा।

खाद्य स्थिति कुल मिलाकर अभी तक इतनी वृढ़ नहीं हो सकी है जिससे कोई चिन्ता ही न रहे। अभी हाल ही में खाद्यान्नों के मूल्यों में काफी तेजी आयी है तथा मूल्यों को स्थिर रखने के निमित्त की जानेवाली खरीदारी के बजाय प्रदेश के पांच प्रमुख नगरों—अर्थात कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद तथा लखनऊ—में निर्दिष्ट मूल्यों पर उनका विनियमित वितरण करने के निमित्त उन्हें बिक्री के लिये निकाला गया। इस बात की संभावना है कि इस प्रकार खाद्यान्न निकालने के परिणामस्वरूप मूल्यों के स्तर और नीचे गिर जायं तथा रबी की फसल के आरम्भ में फिर खरीदारी करनी पड़े।

ऐसी अनिश्चित स्थिति में तथा भांडारिक आवासों को अधिग्रहण करने के वर्तमान अधिकारों को बनाये रखने के प्रयोजनार्थ, यदि और जब ऐसा करना आवश्यक हो, उपर्युक्त अधिनियम की अवधि दो वर्ष के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५६ तदनुसार पुरः-स्थापित किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
नियोजन मंत्री।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६२० पर)

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५६

कुमायूं में राज्य तथा कृषक के बीच व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्वों (rights, title and interests) की अध्याप्ति (acquisition) तथा वहां भूमि संबंधी सुधारों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

कुमायूं में राज्य तथा कृषक के बीच व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्वों की अध्याप्ति तथा वहां भूमि संबंधी सुधारों की व्यवस्था करना इष्टकर है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारंभ ।

१—(१) यह अधिनियम कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त कुमायूं डिवीजन में होगा ।

(३) यह अध्याय तुरन्त प्रवृत्त होगा । शेष अध्याय ऐसे दिनांक या दिनांकों पर प्रवृत्त होंगे जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ नियत करे तथा विभिन्न अध्यायों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

सरकारी आस्थानों पर अधिनियम को लागू करने के संबंध में उस का संशोधन ।

२—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस सम्पूर्ण अधिनियम को अथवा उसके किसी उपबन्ध को, ऐसे अपवादों तथा संशोधन के अधीन रहते हुये, जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो तथा जिन्हें वह आवश्यक समझे, ऐसे किसी भी आस्थान (estate) अथवा उसके किसी भाग पर लागू कर सकती है जिस पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी का स्वामित्व हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह अधिनियम अथवा उसके उपबन्ध ऐसे अपवादों अथवा संशोधनों सहित या रहित उक्त आस्थानों पर इस प्रकार लागू किये जायं तो किसी भी अधिनियम या विनियम का, जो वहां प्रवृत्त हो, उतना अंश जितना कि इस प्रकार लागू किये गये अधिनियम या उपबन्धों अथवा उसमें किये गये किन्हीं सुधारों से असंगत हो, निरसित किया गया समझा जायगा ।

परिभाषायें

३—विषय अथवा संदर्भ में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(१) "कलेक्टर" के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का वह असिस्टेंट कलेक्टर भी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार ने, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के समस्त अथवा किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अधिकृत किया हो,

(२) "प्रतिकर आयुक्त" (Compensation Commissioner) से तात्पर्य है धारा ३९ में अभिदिष्ट प्रतिकर आयुक्त ।

(३) "प्रतिकर अधिकारी" (Compensation Officer) से तात्पर्य है धारा ३९ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी।

(४) "वर्तमान विधि" (existing law) से तात्पर्य है वह विधि जो इस अध्याय के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व कुमायूं डिवीजन में प्रवृत्त रही हो।

(५) "गांव सभा" से तात्पर्य है यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन संगठित अथवा स्थापित गांव सभा।

(६) गूंठ या सदावर्त माफी के अन्तर्गत किसी मन्दिर, देवी-देवता (deity) या धार्मिक अथवा पूर्त (charitable) संस्था के पक्ष में राज्य सरकार अथवा उसकी किसी पूर्वाधिकारिणी (predecessor) सरकार द्वारा मालगुजारी की माफी अथवा उसका इसी प्रकार का कोई अन्य अभिहस्तांकन (assignment) है, जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रवृत्त रहा हो।

(७) "हिस्सेदार" का वही अर्थ होगा जो उसे कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में दिया गया है और उसके अन्तर्गत असकोट परगने के गुजारेदार तथा अप्रतिबन्ध दाय वाले अस्थानों के काबिज (holders of the simple estates) भी हैं।

(८) "खैकार" का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है और उसके अन्तर्गत टेहरी-गढ़वाल के मौरूसीदार भी हैं।

(९) "खैकारी" भूमि से तात्पर्य है वह भूमि जो किसी खैकार के पास हो और उसके अन्तर्गत गांव संजायत भी है।

(१०) "कुमायूं डिवीजन" से तात्पर्य है नैनीताल जिले का वह भाग जहां १९५० का जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं होता तथा अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरीगढ़वाल के जिले।

(११) "भूमि" (land) से तात्पर्य है वह भूमि जो कृषि या उद्यानकारी अथवा पशु पालन से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये रक्खी गयी हो अथवा जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा मुर्ग पालन भी है अध्यासित (held or occupied) हो किन्तु इसमें बन सम्मिलित नहीं है।

(१२) "खान" (mine) का वही अर्थ होगा जो उसे १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है।

(१३) "नियत" (prescribed) से तात्पर्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत बने हुये नियमों द्वारा नियत।

(१४) "पिछले कृषि वर्ष" से तात्पर्य है वह कृषि वर्ष जो उस वर्ष के ठीक पहले हो, जिसमें निश्चित दिनांक पड़ता है।

(१५) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश की सरकार।

(१६) "ठेकेदार" से तात्पर्य है कि किसी हिस्सेदार के खैकारी भूमि में अधिकारों का पट्टेदार (lessee)।

(१७) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द तथा पदावली "अबवाब" (cess) और अप्रतिबन्ध दायवाले आस्थान (fee-simple estate), गांव, संजायत, पथाचारी, भूमि, सीरतान और थोक-दारी भूमि के वही अर्थ होंगे जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उन्हें दिये गये हैं।

(१८) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द तथा पद "असिस्टेंट कलेक्टर" परगने का अवधायक असिस्टेन्ट कलेक्टर (Assistant Collector in charge of a sub-division) "मालगुजारी" तथा "महाल" के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिये लागू है, उन्हें दिये गये हैं।

भूमि में वर्तमान अधिकारों की अध्याप्ति तथा परिष्कार

भूमि में वर्तमान अधिकारों की अध्याप्ति तथा परिष्कार।

४—(१) इस अध्याय के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर सकती है कि उसमें उल्लिखित दिनांक से (जिसे इस अधिनियम में निश्चित दिनांक के नाम से अभिदिष्ट किया गया है)—

(क) खैकारी भूमि में हिस्सेदार के अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और, एतत्पश्चात् की गई व्यवस्था को छोड़ कर समस्त भारों से मुक्त हो कर राज्य सरकार में निहित हो जायंगे।

(ख) खंड (क) के उपबन्धों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, कुमायूं में किसी भी खातेदार के उस भूमि में जो उसके पास इस नाते हों, अधिकार, आगम तथा स्वत्व ऐसे परिष्कार तथा दायित्वों के अधीन रहते हुये होंगे, जो इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन लगाये जायंगे।

(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि यदि वह आवश्यक समझें तो उपधारा (१) में उल्लिखित विज्ञप्ति समय-समय पर कुमायूं डिवीजन में केवल ऐसे जिले अथवा जिले के भाग के संबंध में, जो निर्दिष्ट किया जाय जारी करे और उपधारा (१) के सभी उपबन्ध ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर और उसके सम्बन्ध में लागू होंगे।

धारा ४ के अधीन अध्याप्ति अथवा परिष्कारों के परिणाम।

५—यदि धारा ४ के अधीन कोई विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित की गई है तो, किसी भी संविदा अथवा लेख्य में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी तथा ऐसी अवस्था को छोड़कर जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था की गई हो, निश्चित दिनांक के आरम्भ से, उस क्षेत्र पर (जिसे इस अधिनियम में विज्ञापित क्षेत्र के नाम से अभिदिष्ट किया गया है) जिसका सम्बन्ध उक्त विज्ञप्ति से हो, पड़ने वाले प्रभाव निम्न-लिखित होंगे:—

(क) विज्ञापित क्षेत्रों की खैकारी भूमि में हिस्सेदारों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे तथा वे समस्त भारों से मुक्त होकर उत्तर प्रदेश राज्य में निहित हो जायेंगे;

(ख) गूंठ या सदावर्त माफियों से भिन्न समस्त माफियां (grants) तथा विज्ञापित क्षेत्र की खैकारी भूमि के, या में अथवा ऐसी भूमि अथवा उसकी मालगुजारी के सम्बन्ध में किसी अधिकार या विशेषाधिकार के, या में, आगम के पुष्टिकरण (confirmations) चाहे वे प्रत्यवर्तनीय (liable to resumption) हों या न हों, समाप्त हो जायेंगे;

(ग) (१) निश्चित दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये खैकारी-भूमि के सम्बन्ध में देय (payable) समस्त लगान, अबवाब (cess) स्थानिक दरें (local rate) तथा सयार जो, उसमें हिस्सेदारों के अधिकारों, आगम तथा स्वत्वों के अध्याप्त न होने की दशा में हिस्सेदार को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे, तथा राज्य सरकार को देय होंगे न कि हिस्सेदार को, तथा इस खंड का उल्लंघन करके, की हुई कोई भी अदायगी उसके देनदार व्यक्तियों द्वारा अदायगी का वैध उत्सर्जन (valid discharge) न होंगी;

(२) जब निश्चित दिनांक से पूर्व किये गये किसी अनुबन्ध या संविदा (agreement or contract) के अधीन उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के निमित्त कोई लगान, अबवाब या स्थानिक दर (local rate) या सयार हिस्सेदार को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसन्धित या अभित्यक्त कर दिया गया हो (compounded or released) तो अनुबन्ध अथवा संविदा के होते हुये भी राज्य सरकार उसे हिस्सेदार से वसूल कर सकती है तथा, वसूली की अन्य किसी रीति पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, धारा २४ के अधीन ऐसे हिस्सेदार को देय (payable) प्रतिकर की राशि में से काटी जा सकती है ।

(घ) इस प्रकार अध्याप्त खैकारी भूमि से संबद्ध मालगुजारी, अबवाब या अन्य आदेयों की समस्त बकाया, जो निश्चित दिनांक के पूर्व किसी भी अवधि के निमित्त हिस्सेदार द्वारा देय हो, उस हिस्सेदार से वसूल की जाती रहेगी तथा, वसूली की अन्य किसी रीति पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, धारा २४ के अधीन ऐसे हिस्सेदार को देय प्रतिकर की राशि में से काटी जा सकेगी ।

(ङ) इस प्रकार अध्याप्त खैकारी भूमि में हिस्सेदार के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व दीवानी या माल के किसी भी न्यायालय की डिक्री या अन्य प्रसार (process) के निष्पादन में न कुर्क हो सकेंगे, और न बेचे जा सकेंगे, तथा निश्चित दिनांक पर वर्तमान कुर्की या ऐसे दिनांक के पूर्व कुर्की की कोई आज्ञा, ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रभावी न रहेगी ।

(च) ऐसे किसी भी धन के लिये, जो खैकारी भूमि पर भारित हो अथवा उसके बन्धक (mortgage) द्वारा सुरक्षित हो, कोई भी दावा या दायित्व, जो हिस्सेदार द्वारा अथवा

उसके विरुद्ध, निश्चित दिनांक से पूर्व प्रवर्तनीय या उपगत हुआ हो (enforceable or incurred) ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में की हुई व्यवस्था को छोड़ कर, ऐसी भूमि के विरुद्ध प्रभावी न किया जा सकेगा।

(छ) (१) खैकार द्वारा किये गये बन्धक से भिन्न प्रत्येक भोग-बन्धक (mortgage with possession) जो निश्चित दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर खैकारी भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान हो, धारा ४ के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, ऐसी भूमि पर सुरक्षित धनराशि की मात्रा तक दृष्टि बन्धक (simple mortgage) द्वारा अनुवर्तित (substituted) समझा जायगा।

(२) बन्धक-पत्र (mortgage deed) या अन्य किसी अनुबन्ध (agreement) में किसी बात के होते हुये भी, उपखंड (१) के अधीन अनुवर्तित दृष्टि बन्धक पर देय घोषित धनराशि पर ऐसी दर से और ऐसे दिनांक से ब्याज लगेगा, जो नियत किये जाएं;

(ज) नियत किये जाने वाले प्रकार के समस्त वाद तथा कार्यवाहियां, जो निश्चित दिनांक पर किसी न्यायालय में विचाराधीन हों, तथा निश्चित दिनांक से पूर्व किसी ऐसे वाद में दी गई डिक्री या आज्ञा पर आधारित समस्त कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायंगी।

(झ) खैकारी भूमि में किसी भी ठेकेदार का कोई भी अधिकार, आगम तथा स्वत्व न रह जायेगा।

(ञ) निश्चित दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर किसी विज्ञापित क्षेत्र में वर्तमान समस्त महाल तथा उनके उपविभाग (sub-division) तथा धारा ६ की उपधारा (२) में की हुई व्यवस्था को छोड़ कर हिस्सेदार या अन्य किसी खातेदार द्वारा मालगुजारी या लगान की अदायगी के समस्त संकेत (engagement) समाप्त हो जायेंगे तथा वे प्रवर्तन में न रहेंगे।

६—(१) इस अध्याय की कोई बात किसी भी व्यक्ति के निम्नलिखित किसी अधिकार पर किसी भी प्रकार से प्रभाव न डालेगी :—

(१) विज्ञापित क्षेत्र में स्थित किसी भी खान में, जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्रशासित हो, काम करते रहने के अधिकार पर;

(२)-किसी भूमिधर या सीरदार या असामी होने की दशा में, भूमि के अधिक लाभप्रद भोग (have beneficial enjoyment) के निमित्त ऐसे सुखाधिकार (easements) अथवा उसी प्रकार के अन्य ऐसे अधिकार के उपभोग करते रहने के अधिकार पर, जिसका कि वह निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्व के दिनांक पर उपभोग करता रहा हो;

(३) निश्चित दिनांक के पूर्व उपगत हुए (incurred) लगान या अन्य आदेयों (dues) की बकाया को वसूल करने के अधिकार पर----जो बकाया, अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, पहले की भांति तदर्थ अधिकारी व्यक्ति द्वारा वसूल की जा सकेगी;

(४) किसी क्षेत्र में जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक पर निजी जंगल रहा हो, किसी भी अधिकार पर और वह उसी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे में वर्तमान शर्तें और प्रतिबन्धों के अनुसार बना रहेगा , तथा

(५) किसी गूंठ या सदावर्त माफी के अनुसार अपने को अथवा किसी संस्था को देय धनराशि को पहले के अनुसार प्राप्त करते रहने के अधिकार पर ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बकाया लगान की कोई डिक्री या बकाया लगान न अदा करने पर बेदखली की कोई आज्ञा वादऋणी (judgement debtor) को उसके खाते से बेदखल करके निष्पादित न की जायेगी ।

(२) किसी निजी जंगल के सम्बन्ध में मालगुजारी अदायगी का संकेत (engagement), जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे जंगल से है, प्रवृत्त बना रहेगा ।

निजी कुंओं आबादी के पेड़ों और इमारतों का बन्दोबस्त वर्तमान स्वामियों के साथ होना ।

७--एतदपूर्व अध्याप्त किसी विज्ञापित क्षेत्र में किसी खैकारी भूमि पर स्थित सभी निजी कुयें, आबादी के पेड़ और सब इमारतें, जो किसी हिस्सेदार, खैकार या दूसरे व्यक्ति, चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता हो, की हों या उसके कब्जे में हो उसी हिस्सेदार, खैकार या अन्य व्यक्ति के, जैसी भी स्थिति हो, बने रहेंगे या उसके कब्जे में रहेंगे और सम्बद्ध (appurtenant) क्षेत्र सहित उन कुओं या इमारतों के स्थल (sites) के विषय में यह समझा जायगा कि उनका बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उनके साथ ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर किया है, जो नियत किये जायं ।

कुछ भूमियों का हिस्सेदार और खैकारों के साथ भूमिधर के नाते बन्दोबस्त किया जाना ।

८--उस समस्त भूमि के बारे में--

(क) जो किसी खैकार के पास उसी नाते हो, और

(ख) जो उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट भूमि से भिन्न हो तथा किसी हिस्सेदार के पास या कब्जे में उसी नाते हो, यह समझा जायगा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे खैकार या हिस्सेदार, जैसी भी स्थिति हो, के साथ उसका बन्दोबस्त कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह उस भूमि को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, भूमिधर के नाते अपने कब्जे में ले ले या रखे ।

सीरतानों का असामी होना ।

९--प्रत्येक व्यक्ति, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर--

(क) ऐसा सीरतान रहा हो जिसे किसी हिस्सेदार से कब्जा मिला हो ;

(ख) ऐसा सीरतान रहा हो जिसे किसी खैकार से कब्जा मिला हो ;

(ग) पधाचारी या थोकदारी भूमि का सीरतान रहा हो, जब तक वह धारा ३१ के अधीन भूमि का भूमिधर नहीं बनता, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उस पर कब्जा करने या बनाये रखने का अधिकारी होगा ।

राज्य में निहित भूमि तथा स्वत्वों को कलेक्टर अपने अधिकार में लेगा।

१०—धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा एतदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा कि वह—

(क) कोई खैकारी भूमि तथा सभी ऐसे स्वत्व (interests) अपने अवधान (charge) में ले ले जो इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य में निहित हो गये हों, और ऐसे कार्य करे या कराये और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर या इस प्रकार नियुक्त किये गये प्राधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो;

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार अध्याप्त किसी खैकारी भूमि में प्रवेश और उसका सर्वेक्षण (servey) या पैमाइश (measurement) करें या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो;

(ग) किसी व्यक्ति को किसी भूमि या उसके भाग से सम्बद्ध (relating to) बहीं (books), लेखे (accounts) या अन्य लेख्य (documents) निर्दिष्ट (specified) प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी अन्य सूचना, जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, देने की आज्ञा दें; और

(घ) यदि बहीं, लेखे और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि में प्रवेश करे और ऐसी बही, लेखे तथा दूसरे लेख्य लेकर अपने कब्जे में कर ले।

हिस्सेदार का प्रतिकर पाने का अधिकार।

११—प्रत्येक हिस्सेदार जिसका अधिकार, आगम या स्वत्व धारा ४ के अधीन अध्याप्त कर लिया जाय प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा और उसको आगे की गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर दिया जायगा।

अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों के विषय में परिकल्पना (Presumption)।

१२—धारा १३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिए लागू है, के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गये या पुनरीक्षित (revised) अधिकार अभिलेखों (record or right) में पिछले कृषि वर्ष की प्रत्येक प्रविष्टि के विषय में इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिये, यह समझा जायगा कि वह धारा ४ के अधीन अधिप्राप्त भूमि में हिस्सेदारों के अधिकार, आगम और स्वत्व (right, title or interest) को ठीक-ठीक व्यक्त करती है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यूनाइटेड प्राविन्सेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिये लागू है, के उपबन्धों के अधीन या किसी न्यायालय की डिगरी या आज्ञा के परिणामस्वरूप अधिकार अभिलेखों (record or rights) में किये गये किसी परिष्कार (modification), परिवर्तन (alteration) अथवा संशोधन (correction) का, चाहे वह निश्चित दिनांक से पहले हुआ हो या बाद में, प्रतिकर अधिकारी ध्यान रखेगा।

अधिकार अभिलेखों में लेख या गणना की अशुद्धि का ठीक किया जाना ।

१३—यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिये लागू है, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी, यदि प्रतिकर अधिकारी का समाधान हो जाय कि पिछले कृषि वर्ष के अधिकार अभिलेख कोई लेख या गणना की अशुद्धि (clerical or arithmetical mistakes) या ऐसी कोई भूल है, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है (error apparent on the face) तो वह स्वयं अथवा किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर उसको शुद्ध कर सकता है ।

दीवानी न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने का अधिकार ।

१४—धारा १२ और १४ में उल्लिखित किसी भी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय में किसी वाद या अन्य कार्यवाही द्वारा धारा ४ के अधीन अध्याप्त खंकारी भूमि के सम्बन्ध में अपना दावा स्थापित के अधिकार पर नहीं पड़ेगा ।

अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों से संबंध रखने वाले विचाराधीन वाद और व्यवहार ।

१५—यदि किसी दीवानी या माल के न्यायालय में, निश्चित दिनांक पर, ऐसा कोई वाद या व्यवहार विचाराधीन हो या उक्त दिनांक पर या उसके बाद संस्थित किया जाय (instituted) जिसमें धारा १२ में उल्लिखित अधिकार अभिलेख की किसी प्रविष्टि की शुद्धता पर आक्षेप किया गया हो या जिसमें उसकी शुद्धता प्रत्यक्ष रूप से विवादग्रस्त हो (directly or indirectly in dispute) तो उस वाद या व्यवहार का कोई भी पक्ष (party) वाद-पत्र (plaint) या आपत्ति-पत्र (objection) की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रतिकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु केवल ऐसा करने से ही यह न समझा जायगा कि वह प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे व्यवहार में पक्ष (party) हो गया है ।

वाद-पत्र या आपत्ति-पत्र का प्रतिकर संबंधी व्यवहार (Compensation) Proceeding के अभिलेख का अंग होना ।

१६—धारा १५ के अधीन प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र या आपत्ति-पत्र की प्रतिलिपि प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे व्यवहार के अभिलेख का अंग हो जायगी और प्रतिकर अधिकारी धारा १७ के अधीन तैयार की गई प्रतिकर निर्धारण तालिका (Compensation Assessment Roll) में तत्संबंधी विवाद का विषय ऐसे विवरणों के साथ दर्ज करायेगा, जो नियत किये जायं ।

प्रतिकर विवरण ।

१७—(१) हिस्सेदार के अधिकार, आगम और स्वत्व की अध्याप्ति के निमित्त प्रतिकर के अवधारण तथा भुगतान के प्रयोजनों के लिए प्रतिकर अधिकारी एक प्रतिकर विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई जायंगी:—

(क) हिस्सेदार अथवा हिस्सेदारों के नाम;

(ख) धारा ४ के अधीन अध्याप्त खंकारी भूमि का क्षेत्रफल;

(ग) खंकारी भूमि के हिस्सेदार की वार्षिक लगानी आय (annual rental income) ; तथा

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं ।

(२) वार्षिक लगानी आय में निम्नलिखित होंगे:—

(क) खंकारी द्वारा देय लगान—

(१) नकदी में, या

(२) जब लगान नकदी में देय न हो तो कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५४ की धारा ७ के अधीन नकदी में परिवर्तित तथा अवधारित (commuted and determined) देय लगान के बराबर नकद मूल्य; या

(३) जब लगान देय न हो तो कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीण उपबन्ध) अधिनियम, १९५४ की धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार आकलित लगान।

हिस्सेदार को प्रतिकर।

१८--(१) धारा ११ के अधीन हिस्सेदार को देय प्रतिकर की धनराशि धारा १७ में अभिदिष्ट (referred) लगानी आय की १२ गुना होगी।

(२) जब हिस्सेदार का स्वत्व ठेकेदार के कब्जे में हो तो धारा ४ के अधीन हिस्सेदार तथा ठेकेदार के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति के सम्बन्ध में उन दोनों को देय प्रतिकर की कुल धनराशि हिस्सेदार के प्रतिकर विवरण में उल्लिखित लगानी आय के आधार पर उपधारा (१) में वर्णित सिद्धान्तों के अनुसार आकलित धनराशि के बराबर होगी।

(३) प्रतिकर अधिकारी उपधारा (२) के अधीन आकलित धनराशि को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुये हिस्सेदार और ठेकेदार के बीच विभक्त करेगा:--

(क) ठेकेदार या पट्टे के आरम्भ के समय दिया हुआ नजराना (premium), यदि कोई हो,

(ख) ठेके की शर्तें और प्रतिबन्ध,

(ग) ठेके की समाप्ति के फलस्वरूप ठेकेदार को हुयी क्षति, यदि कोई हो,

(घ) ठेके के अधीन खैकारी भूमि की लगानी आय,

(ङ) ठेकेदार द्वारा देय वार्षिक धनराशि,

(च) यह तथ्य कि हिस्सेदार के वे अधिकार जो अध्याप्त किये जा रहे हैं उसके पास सतत अनुक्रम में थे (held in perpetuity) जब कि ठेकेदार के अधिकार सीमित प्रकार के हैं, तथा

(छ) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं।

विवरण का प्रारम्भिक प्रकाशन।

१९--धारा १७ के अधीन निर्मित प्रतिकर विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध हिस्सेदार को भी भेजी जायगी।

आपत्तियों को प्रस्तुत करना।

२०--स्वत्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा राज्य सरकार नियत रीति से ऐसे विवरण के सम्बन्ध में, उसके प्रकाशन से एक महीने के भीतर, प्रतिकर अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकती है।

आपत्तियों का निस्तारण।

२१--(१) उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर प्रतिकर अधिकारी यदि आवश्यक हो तो, धारा २० के अधीन प्रस्तुत आपत्तियों पर पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् उन्हें नियत रीति से निस्तारित करेगा।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत आपत्ति—

(क) यह हो कि भूमि खैकारी भूमि नहीं है तो प्रतिकर अधिकारी इस आशय का वाद प्रश्न (issue) तैयार करेगा और तत्पश्चात् उसे परगने के अवधायक (in charge) असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास निस्तारण के निमित्त भेज देगा;

(ख) आगम का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो तथा किसी सक्षम न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय न दिया हो तो प्रतिकर अधिकारी उसे डिस्ट्रिक्ट जज के पास निर्णय के निमित्त भेज देगा।

स्पष्टीकरण—किसी दिनांक विशेष पर कोई व्यक्ति खैकार था या नहीं, इस बात से यह न समझा जायगा कि उससे इस खंड के अर्थ में आगम का कोई प्रश्न उठता है।

(३) उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन अभिदिष्ट प्रश्न पर डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से निर्णय करेगा तथा इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।

कलेक्टर की अपील।

२२—किसी भी विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति जो प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति-पत्र के सम्बन्ध में धारा २१ के अधीन दी गयी निर्णयात्मक आज्ञा से, जहां तक उसका सम्बन्ध प्रतिकर की धनराशि से हो, क्षुब्ध हो कलेक्टर के सामने अपील कर सकता है, जो नियत रीति से अपील का निर्णय करेगा और इस सम्बन्ध में उसका निणय अन्तिम होगा।

विवरण का अन्तिम प्रकाशन।

२३—(१) यदि धारा १९ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होने पर उसका अन्तिम निस्तारण (disposal) हो गया हो तो विवरण (statement) में, जहां आवश्यकता होगी, संशोधन, परिवर्तन या परिष्कार कर दिया जायगा और प्रतिकर अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा तथा अपनी मुहर लगा देगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर करने और मुहर लगाये जाने के पश्चात् विवरण (statement) अन्तिम हो जायगा।

(३) अन्तिम विवरण की एक प्रति सम्बद्ध हिस्सेदार को निःशुल्क दी जायगी।

प्रतिकर का भुगतान।

२४—(१) उपधारा (३) में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, धारा २३ में अभिदिष्ट प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर एक मुठ (onelump sum) नगदी में या दस से अनधिक वार्षिक किस्तों में, जैसा भी नियत किया जाये, दिया जायगा।

(२) प्रतिकर उस हिस्सेदार को दिया जायगा जिसका नाम अन्तिम प्रतिकर विवरण में दर्ज हो तथा जब अदायगी से पहले हिस्सेदार मर जाये तो वह प्रतिकर अधिकारी द्वारा नियत रीति से अवधारित उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा।

(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ६९ तथा ७० के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर पर लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त "हिस्सेदार" के अन्तर्गत ठेकेदार भी हैं ।

असामी या भूमिधर के कब्जे की भूमि की अध्याप्ति ।

२५—(१) यदि कोई भूमिधर जिस पर धारा ८ का खंड (ख) लागू होता हो अपने मकान से संलग्न (adjoining) भूमि पर जो किसी असामी के कब्जे में हो पुनः अधिकार करना चाहे तो वह धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर नियत रीति से उस भूमि को, जो २.५ नालियों से अधिक न होगी, अध्याप्ति करने के निमित्त परगने के अवधायक (in charge) असिस्टेंट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र देगा ।

(२) यदि प्रार्थना-पत्र विधिवत् (in order) हो तो असिस्टेंट कलेक्टर प्रार्थित भूमि अथवा उसके किसी भाग की अध्याप्ति की तथा उस पर से असामी की बेदखली की नियत रीति से आज्ञा देगा और असामी को ऐसा प्रतिकर प्रदान करेगा जिसका कि वह उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन अधिकारी हो ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर—

(क) यदि भूमिधर के कब्जे में उसके मकान से संलग्न २.५ नाली भूमि हो तो उसका प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर देगा; अथवा

(ख) यदि भूमिधर के पास २.५ नाली से कम भूमि हो तो वह उतनी ही भूमि की अध्याप्ति की आज्ञा देगा, जिसे मिला कर कुल उपलब्ध भूमि २.५ नाली हो जाये ।

(३) असामी को दिया जाने वाला प्रतिकर इस धारा के अधीन अध्याप्त भूमि के सम्बन्ध में देय लगान का तिगुना होगा जो असामी द्वारा और की गयी उन्नतियों (improvements) के निमित्त, यदि कोई हो, प्रतिकर और उस प्रतिकर के अतिरिक्त (in addition to) हो जिसे असिस्टेंट कलेक्टर वृक्षों के निमित्त दिलाये ।

(४) यदि कोई असामी इस धारा के उपबन्धों के अधीन केवल अपने खाते के किसी भाग से बेदखल किया जाये तो असिस्टेंट कलेक्टर अवशिष्ट भाग (reminder) के निमित्त देय लगान अवधारित करेगा ।

अध्याय ३

अधिकारियों द्वारा भूमिधरी अधिकारों की अध्याप्ति

असामी, भूमिधरी अधिकार खरीदने के अधिकारी होंगे ।

२०—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, धारा ९ के खंड (क) या (ख) में उल्लिखित वर्ग का कोई भी असामी निश्चित दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार उस भूमि में, जो उक्त असामी क पास उसी नाते रही हो, भूमिधरी अधिकारों को खरीदने और अध्याप्त करने का अधिकारी होगा ।

(२) उपधारा (१) की कोई भी बात निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगी:—

(क) जब कोई भूमिधर, या उनके एक से अधिक होने की दशा में समस्त भूमिधर, उस दिनांक पर जब धारा २२ के अधीन प्रार्थना-पत्र दिया जाय, १९५० ई० के उत्तर

प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन में लागू किये जाने के सम्बन्ध में परिष्कृत किया गया है, की धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित एक या एकाधिक वर्गों में से हों, अथवा

(ख) जब भूमि धारा ४१ में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी की हो।

स्पष्टीकरण--इस धारा में भूमि के अन्तर्गत भूमि का कोई भाग अथवा गाटा (plot) या गाटे भी हैं।

भूमिधरी अधिकारों के खरीद की दरें।

२७--वह मूल्य, जिस पर सीरदार को अपने क़ब्जे की भूमि में भूमिधरी अधिकार खरीदने का अधिकार होगा उस लगान का १५ गुना होगा जो उस भूमि के लिये उसके द्वारा देय हो और जो असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा नियत रीति से अवधारित किया जायगा।

भूमिधरी अधिकार खरीदने के प्रार्थना-पत्र।

२८--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भूमिधरी अधिकार खरीदने का प्रार्थना-पत्र नियम प्रपत्र (farm) में लेखबद्ध करके असामी द्वारा परगने के अवधायक (in charge) असिस्टेन्ट कलेक्टर को दिया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र के साथ खतौनी का उद्धरण (extract) भी होगा, जिसमें वह गाटा या वे गाटे जिनका प्रार्थना-पत्र से सम्बन्ध है तथा उनके निमित्त देय लगान प्रदर्शित होंगे तथा उस प्रार्थना-पत्र में वे ब्यौरे भी होंगे जो नियत किये जायं।

प्रार्थना-पत्र की जांच।

२९--(१) जब प्रार्थना-पत्र उपयुक्त आकार में हो तथा यथोचित रूप से प्रस्तुत किया गया हो तो असिस्टेंट कलेक्टर उसके सम्बन्ध में ऐसी जांच करवायेगा जो नियत की जाये।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन जांच करने पर असिस्टेंट कलेक्टर का समाधान हो जाये कि प्रार्थी भूमिधरी अधिकारों को खरीदने का प्रत्यक्षतः (prima facie) अधिकारी है तो वह भूमिधरी अधिकारों को खरीदने के निमित्त प्रार्थी द्वारा देय धनराशि अवधारित करेगा तथा उसे प्रार्थी को सूचित करेगा।

भूमिधर को नोटिस

३०--जब प्रार्थी धनराशि देने का प्रस्ताव करे तब असिस्टेंट कलेक्टर नियत रीति से भूमिधर पर एक नोटिस तामील करवायेगा जिसमें वह उससे यह पूछेगा कि उसे उक्त प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं और वह धारा २९ की उपधारा (२) के अधीन अवधारित मूल्य लेकर प्रार्थी के हाथ भूमिधरी अधिकार बेचने के लिये राजी है या नहीं।

भूमिधरी अधिकारों का खरीदा और बेचा जाना।

३१--(१) यदि भूमिधर प्रस्ताव स्वीकार करे और भूमिधरी अधिकार बेचना चाहे तो असिस्टेंट कलेक्टर तुरन्त वह दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा जहां विक्री कार्यान्वित होगी तथा तदनुसार नोटिस जारी करेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन निश्चित दिनांक पर प्रार्थी धारा २९ के अधीन अवधारित धनराशि भूमि धर को देगा तथा असिस्टेंट कलेक्टर नियत रीति से भूमिधरी अधिकारों का विक्रय सम्पन्न करायेगा तथा तदनुसार नियत प्रपत्र में विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(३) यदि नोटिस के उत्तर में भूमिधर उपस्थित न हो या उपस्थित तो हो, किन्तु विक्री के लिये राजी न हो अथवा असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा कहे जाने पर प्रार्थी धारा २९ के अधीन अवधारित धनराशि न दे तो असिस्टेंट कलेक्टर प्रार्थना-पत्र खारिज कर देगा ।

(४) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, उपधारा (२) के अधीन प्रदत्त विक्रय प्रमाण-पत्र पर कोई भी मुद्रांक शुल्क (stamp duty) देय न होगा ।

असामी के कब्जे की भूमियों में भूमिधर के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति ।

३२—(१) निश्चित दिनांक से एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी समय राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह घोषित कर सकती है कि उसमें निर्दिष्ट दिनांक से उस भूमि में भूमिधरों के अधिकार, आगम और स्वत्व, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर, धारा २६ की उपधारा (२) के खंड (क) में अभिदिष्ट असामी से भिन्न असामी के थे, इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक (जिसे एतत्पश्चात् निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा) के आरम्भ से समाप्त हो जायेंगे तथा, एतत्-पश्चात् की गयी व्यवस्था को छोड़कर, सब भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे ।

(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि यदि वह ऐसा आवश्यक समझे तो उपधारा (१) में अभिदिष्ट विज्ञप्ति केवल उस क्षेत्र या उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जो निर्दिष्ट किये जायं, समय-समय पर जारी करे तथा उपधारा (१) के समस्त उपबन्ध ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर, और उसके सम्बन्ध में लागू होंगे ।

धारा २६ के अधीन अधिकार, आगम तथा स्वत्वों की अध्याप्ति के परिणाम ।

३३—जब धारा ३२ के अधीन विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाये तब, इस अधिनियम के अध्याय २ में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु इस अधिनियम में की गयी अन्यथा व्यवस्था को छोड़ कर, उस क्षेत्र में (जिसे एतत्पश्चात् विज्ञापित क्षेत्र कहा गया है), जिससे विज्ञप्ति का सम्बन्ध हो, निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे, अर्थात्

(क) प्रत्येक वह व्यक्ति, जो निर्दिष्ट दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा २६ की उपधारा (२) के खंड (ख) में अभिदिष्ट असामी से भिन्न असामी रहा हो, निर्दिष्ट दिनांक से धारा ३२ में अभिदिष्ट भूमि का (जिसे एतद्-पश्चात् विज्ञापित भूमि कहा गया है), जो उसी नाते उसके कब्जे में रही हो, सीरदार हो जायेगा तथा उसे वे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उन समस्त उत्तरदायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन सीरदारों को दिये गये हों या उन पर लगाये गये हों,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो निर्दिष्ट दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा २६ की उपधारा (२) के खंड (ख) में अभिदिष्ट भूमि का स्वामी रहा हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस भूमि पर उसी नाते कब्जा बनाये रखने का अधिकारी रहेगा,

(ग) धारा ५ के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) तथा (ज) और धारा ६ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस प्रकार लागू होंगे मानों पद "हिस्सेदार", "खैकारी", "भूमि तथा निश्चित दिनांक" के स्थान पर क्रमशः पद "भूमिधर" विज्ञापित भूमि" तथा "निर्दिष्ट दिनांक" रख दिये गये हों ।

प्रतिकर पाने का भूमिधर का अधिकार।

३४--प्रत्येक भूमिधर जिसके अधिकार, आगम अथवा स्वत्व धारा ३२ में अभिदिष्ट भूमि में उक्त धारा के अधीन अध्यप्त किये जायं, एतत्-पश्चात् की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा तथा उसे प्रतिकर दिया जायेगा ।

प्रतिकर का अवधारण तथा भुगतान ।

३५--धारा ३२ में अभिदिष्ट भूमि के भूमिधर के अधिकार, आगम तथा स्वत्वों की अध्याप्ति के निमित्त प्रतिकर के अवधारण तथा भुगतान के प्रयोजनों के लिये प्रतिकर अधिकारी धारा १७ के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर विवरण तैयार करेगा तथा तत्पश्चात् उस पर धारा १८ से २४ तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

अध्याय ४

भूमि प्रबन्ध

भूमि का अधीक्षण, प्रबन्ध तथा नियंत्रण।

३६--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी भी गांव सभा को सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, निर्दिष्ट दिनांक से राज्य सरकार के निमित्त तथा उसकी ओर से ऐसी भूमियों तथा वस्तुओं (जिसके अन्तर्गत ऐसे वन और अकृषित (uncultivated) भूमि है जो किसी खातेदार की न हो) , जिन्हें नियत किया जाय, के सामान्य अधीक्षण, प्रबन्ध, संरक्षण तथा नियंत्रण से भारित किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११८ से १२८ तक लागू किया जाना।

३७--जब धारा ३० के अधीन कोई गांव सभा किसी क्षेत्र के भूमियों तथा वस्तुओं के सामान्य अधीक्षण, प्रबन्ध, संरक्षण तथा नियंत्रण से भारित की जाय, तो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११८ की उपधारा (२) तथा धारा ११९ से १२८ तक के, और उक्त अधिनियम की धारा १२८ के अधीन निर्मित तत्संबंधी नियमों के, उपबन्ध संबद्ध क्षेत्र पर लागू होंगे किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हों, तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी भी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

खातेदारों के वर्ग

३८--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये खातेदारों (tenureholders) के निम्नलिखित वर्ग (classes) होंगे--

(१) भूमिधर,
(२) सीरदार, और
(३) असामी ।

भूमिधर

३९--निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भूमिधर कहलायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन भूमिधरों को दिये गये हों, या उन पर लगाये गये हों, अर्थात्

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ८ के अधीन भूमिधर हो जायेंगे,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसने धारा ३१ के अधीन भूमिधर के अधिकार खरीद लिये हों,

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार या अधीन किसी अन्य प्रकार से भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर लें ।

भूमिधर

४०--ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को--

(क) जो भूमिधर के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति के फलस्वरूप धारा ३३ के अधीन सीरदार हो जाए;

(ख) जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन खाली भूमि सीरदार के रूप में उठा दी जाय;

(ग) जो इस अधिनियम तथा अन्य किसी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन किसी अन्य प्रकार से सीरदार के अधिकार प्राप्त कर लें;

वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सीरदार को दिये गये हों या उस पर लगाये गये हों ।

सीरदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे ।

४१--धारा ४० में किसी बात के रहते हुये भी निम्नलिखित भूमि में वह भूमि जिसमें सीरदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे:--

(क) पशुचर भूमि (pasture lands) या ऐसी भूमि, जो जलमग्न हो और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो या ऐसी भूमि, जो नदी के ताल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो;

(ख) अस्थिर (shifting) या अस्थायी (unstable) खेती के ऐसे भूखंड (tracts) जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर दे; और

(ग) ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से बन लगाने का विचार है या वह एतदर्थ अलग कर दी गई है ।

असामी

४२--निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति असामी कहलायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन असामी को दिये गये हों या उस पर लगाये गये हों, अर्थात्

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ९ अथवा धारा ३३ के खंड (ख) के अधीन असामी बन जाता हो ;

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने खाते (holdings) के अन्तर्गत भूमि पट्टे पर उठा दी हो;

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे गांव सभा ने या ऐसे व्यक्ति न, जिसे ऐसा करने का अधिकार हो, धारा ४१ में वर्णित भूमि पट्टे पर उठा दी हो; और

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी और रीति से अधिनियम अथवा अन्य किसी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार असामी का अधिकार प्राप्त कर ले ।

यू० पी० ऐक्ट, १, १९५० के अध्याय ८ व १० के उपबन्धों का लागू होना ।

४३—(क) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धाराओं १३४ से १३९, १४२, १४६, १५२–१९५, १९७ से २११, २१२–ख, २१२–ग २१३ से २३० और २४१ से २९४ और उक्त अधिनियम की धारा २३० और धारा २९४ के अधीन बनाये गये नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित उस क्षेत्र पर लागू होंगे जिससे धारा ४ के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति का सम्बन्ध हो, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे और जिनसे मूल तत्वों पर प्रभाव न पड़ता हो तथा ऐसे किसी भी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी ।

(ख) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी हो जायेगी ।

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९५१ का लागू होना ।
यू० पी० ऐक्ट, संख्या ३, १९५१ ।

४४—(१) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध जैसे कि वे १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम द्वारा संशोधित हुए हैं और तदन्तर्गत निर्मित नियम या विनिमय या दी गई आज्ञाएं आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस क्षेत्र पर लागू होंगी जिससे धारा ४ के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति का सम्बन्ध है, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे प्रत्येक अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं जी जा सकेगी ।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी हो जायगी ।

अध्याय ५

प्रकीर्ण

अधिकारियों की नियुक्ति ।

४५—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है:—

(क) सहायक प्रतिकर आयुक्त (Assistant Compensation Commissioner); तथा

(ख) प्रतिकर अधिकारी (Compensation Officer) ।

(२) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३१९ के अधीन नियुक्त प्रतिकर आयुक्त कुमायूं डिवीजन का प्रतिकर आयुक्त होगा ।

अधिकार और कर्त्तव्य।

४६—(१) प्रतिकर आयुक्त और सहायक प्रतिकर आयुक्त ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों के कार्य की देख-रेख तथा अधीक्षण (superintendence) के संबंध में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

(२) प्रतिकर अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अथवा तदन्तर्गत बने नियमों द्वारा या उनके अधीन उसे दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ के अध्याय १२ की कुछ धाराओं के उपबन्धों का कुमायूं में लागू होना।

४७—(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धाराओं ३२१ से ३३६, ३३८ तथा ३४१ से ३४४ के और उक्त अधिनियम की धारा ३४४ के अधीन निर्मित नियमावली के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, कुमायूं डिवीजन पर लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे प्रत्येक अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से प्रभावी होगी।

धारा ३४, ३५ या ३८ के अधीन दी गई आज्ञाएं राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खी जायेंगी।

४८—धारा ४३-४४ अथवा ४७ के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा इस प्रकार दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र कम से कम १४ दिनों तक राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खी जायेगी तथा ऐसे परिष्कार किये जा सकेंगे जिन्हें विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें कि वह इस प्रकार रक्खी जाय।

निरसन (Repeals)

४९—जब इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ के ठीक पहले कुमायूं डिवीजन में भौमिक अधिकारों (land tenures) से सम्बद्ध कोई विधि प्रवृत्त हो तो ऐसी विधि का उतना अंश जितना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, उक्त दिनांक से तथा उस सीमा तक जिस तक धारा १ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन यह अधिनियम प्रवृत्त हो निरसित हो जायेंगे तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस प्रकार निरसित विधि पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित कोई अधिनियम हों।

नियम बनाये के अधिकार।

५०—(१) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) धारा ४ के अधीन भूमि तथा स्वत्वों के निहित होने के पूर्व की कार्यवाहियां,

(ख) धारा ५ के अधीन स्थगित वादों (suit) और कार्यवाहियों का निस्तारण,

(ग) धारा १० के अधीन भूमि तथा स्वत्वों पर अधिकार करने से संबद्ध विषय,

(घ) वह रीति तथा प्रपत्र जिसमें धारा १७ के अधीन प्रतिकर विवरण (Compensation statement) तैयार किया जायगा, और

(ङ) विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

(३) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने के अधिकारों के विषय में यह समझा जायगा कि उनके अन्तर्गत निम्नलिखित बातों की व्यवस्था करने के अधिकार भी हैं:—

(१) ऐसी कालावधि निर्धारित करना जिसमें नियमों के प्रयोजनार्थ की जाने वाली बातें कर ली जायं, चाहे निर्धारित कालावधि बढ़ाने के लिये नियमों में उल्लिखित किसी अधिकारी को अधिकार देकर अथवा न देकर,

(२) ऐसे मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों, वादों अथवा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(३) इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी अधिकारी (officer) या प्राधिकारी (authority) के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया (procedures),

(४) उन मामलों (cases) में जिनके लिये इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, ऐसी अवधि निर्धारित करना जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जा सकें,

(५) उन मामलों में जिनके लिये अधिनियम में तदर्थ कोई विशेष व्यवस्था न की गई हो, इस अधिनियम के अधीन वादों, अपीलों और प्रार्थना-पत्रों के संबंध में अदा किये जाने वाले शुल्क,

(६) इस अधिनियम के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों, अपीलों और कार्यवाहियों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्ध लागू करना,

(७) राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधान (delegation), और

(८) कार्यवाहियों का एक प्राधिकारी या अधिकारी के यहां से दूसरे के यहां स्थानान्तरण।

(४) नियम बनाने के लिये इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार इस शर्त के अधीन हैं कि नियम पूर्व प्रकाशन के उपरान्त ही बनाये जायेंगे।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम गजट में प्रकाशित होंगे और यदि कोई वाद का दिनांक निश्चित न कर दिया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

(६) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बन जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिनों तक रखे जायेंगे और उनमें ऐसे समस्त परिष्कार किये जा सकेंगे जिन्हें विधान अपने उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हों।

उद्देश्य और कारण

सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को, ऐसे परिष्कार सहित, जो आवश्यक समझे जायं तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, कुमायूं में लागू करने की व्यवस्था है। किन्तु ऐसा अनुभव हुआ है कि उस अधिनियम को बिना उसमें सारवान परिवर्तन किये हुये कुमायूं में लागू करना संभव नहीं है। अतएव सरकार ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का निश्चय किया है।

२—इस विधेयक में निम्मलिखित विशेषताएं हैं:—

(१) प्रतिकर अदा करने पर हिस्सेदारों के अधिकारों की अध्याप्ति,

(२) कुमायूं में ऐसे भौमिक अधिकारों को पुरःस्थापित करना जो १९५० ई० के जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, राज्य के शेष भागों में पुरःस्थापित भौमिक अधिकारों के यथासंभव अनुरूप हों; और

अन्ततः सबसे कमजोर श्रेणी के कृषकों को स्थायी अधिकारों का प्रदान।

चरन सिंह,

माल मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

पी० एस० यू० पी०—८० पी० ५४ एल० ए०—१९५६—७९६।